97

296

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

(पीठासीन न्यायाधीशः सी.बी.बाजपेयी)

सत्र प्रकरण कमांक 288/2011.
संस्थापन दिनांक 30—12—2011.

छत्तीसगढ़ राज्य,
व्दारा—पुलिस थाना रानीतराई,
जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) **अभियोजन**

बनाम

छन्नूलाल वर्मा आत्मज स्व. कामता प्रसाद
वर्मा, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी—ग्राम
बोरिद, थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग)

अभियुक्त

श्री कमलेश जमड़ल्ला, तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम वर्ग, पाटन, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) व्दारा उनके न्यायालय के दांडिक प्रकरण कमांक 850/2011 राज्य बनाम छन्नूलाल वर्मा, अपराध अंतर्गत धारा 302, 307 भारतीय दण्ड संहिता को दिनांक 23—12—2011 को सत्र न्यायालय को उपार्पित किए जाने से उद्भूत सत्र प्रकरण.

राज्य की ओर से श्री सुदर्शन महलवार, लोक अभियोजक ।
आरोपी की ओर से सुश्री यास्मीन रिजवी, अधिवक्ता ।

निर्णय

(आज दिनांक 25 जून सन् 2013 को घोषित)

01. इस निर्णय के व्दारा अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा आत्मज स्व. कामता प्रसाद वर्मा पर लगे आरोप अंतर्गत धारा 450, 302, 506(2), 307 भारतीय दण्ड संहिता कि, (1) अभियुक्त ने दिनांक 19—10—2011 को शाम 05 बजे या इसके लगभग ग्राम बोरिद, पुलिस थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) में अवैध रुप से आनंद राम के मकान में प्रवेश करके गृह अतिचार किया, ताकि आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध आनंद राम साहू, उसकी पत्नी फिरंतीन बाई तथा आनंद राम की बहू श्रीमती रत्ना साहू की हत्या कारित किया जा सके (2) उपर्युक्त उल्लिखित दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त ने आनंद राम आत्मज रामदयाल साहू को उसके घर के दरवाजे के पास चाकू से मारा और रत्ना साहू एवं फिरंतीन बाई को [illegible]

के बाद उसे घसीटते हुए ले गये, जो मीरा बंछोर के घर के चबूतरे पर गिर कर मर गया, इस तरह अभियुक्त ने उसकी मृत्यु साशय अथवा जानते हुए कारित कर उसकी हत्या की (3) उपर्युक्त उल्लिखित दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त ने मृतक आनंद राम साहू के घर में प्रवेश कर श्रीमती रत्ना साहू पति तुलसी राम साहू तथा श्रीमती फिरंतीन बाई पति आनंद राम साहू को चाकू से मारकर उनकी मृत्यु साशय अथवा जानते हुए कारित कर दोनों की हत्या की (4) इसके उपरान्त अभियुक्त ने ग्राम बोरिद में ही खून से लथपथ चाकू लेकर प्रार्थिया श्रीमती दुर्गा बंछोर के घर में प्रवेश कर मीरा बाई पति छन्नू बंछोर को अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर तथा ऐसी धमकी का निष्पादन उसे चाकू से मारकर किया (5) कमांक 04 में वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने काटने के आयुध चाकू से श्रीमती मीरा बंछोर पति छन्नू लाल बंछोर तथा छन्नू बंछोर आत्मज स्व. बृजलाल बंछोर को प्राणान्तक उपहति इस आशय से या ज्ञान से कारित किया तथा ऐसी परिस्थितियों में किया कि उसके व्दारा किये गये उक्त कृत्य के कारण श्रीमती मीरा बंछोर तथा छन्नू बंछोर की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता (6) उपर्युक्त उल्लिखित दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त व्दारा मीरा बंछोर तथा छन्नू बंछोर पर प्राणान्तक उपहति कारित करने के दौरान जब आहत गेंदलाल वर्मा आत्मज कृष्ण वर्मा वहां पहुंचा तो अभियुक्त ने उसे तुम गवाही देने आये हो कहकर, जान से मार दूंगा कहकर चाकू से उसे ऐसे प्राणान्तक उपहति इस आशय से या ज्ञान से कारित किया तथा ऐसी परिस्थितियों में किया कि उसके व्दारा किये गये उक्त कृत्य के कारण गेंदलाल वर्मा की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता, पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन एवं न्याय निर्णयन किया जा रहा है ।

02. 1. पुलिस थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.) व्दारा प्रस्तुत अभियोग–पत्र के अनुसार अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, दिनांक 19–10–2011 को थाना रानीतराई में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ संतोष राम लहरे (अ.सा.नं.30) को 17.55 बजे वायरलेस से पाटन थाना व्दारा सूचना मिली कि ग्राम बोरिद में झगड़ा–विवाद हुआ है । इस सूचना पर वे हमराह प्रधान आरक्षक 905 हेमलाल महिपाल, आरक्षक कमांक 875, 1873,

1459, 1527 के ग्राम बोरिद के लिए रवाना हुए । साथ में सहायक उपनिरीक्षक आर.एस.त्रिपाठी को भी ले गये । मोबाइल से सम्पर्क कर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उपनिरीक्षक बृजेश कुशवाहा को भी साथ ले गये । इस संबंध में थाना रानीतराई में प्रदर्श पी–77 का रोजनाम्चा सान्हा दर्ज किया गया । उक्त संतोक राम लहरे, निरीक्षक (अ.सा.नं.30) के मौके में पहुंचने पर श्रीमती दुर्गा बंछोर ने अभियुक्त व्दारा आनंद राम साहू, श्रीमती रत्ना साहू, श्रीमती फिरंतीन बाई, श्रीमती मीरा बंछोर, छन्नू लाल बंछोर और गेंदलाल वर्मा को चाकू से मारे जाने की सूचना उन्हें दी, जिसके आधार पर उन्होंने दिनांक 19–10–2011 को 19.30 बजे घटना स्थल पर अपराध कमांक 0/2011, अपराध अंतर्गत धारा 307, 302 भारतीय दण्ड संहिता का देहाती नालिशी प्रदर्श पी–18 दर्ज किया । उसके पश्चात् इसी श्रीमती दुर्गा बंछोर ने सूचना दी कि, अभियुक्त ने आनंद राम साहू पिता रामदयाल साहू की चाकू मारकर हत्या कर दी है और आनंद राम साहू की मृत्यु हो गई है, जिसके आधार पर दिनांक 19–10–2011 को 19–40 बजे देहाती मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–19 दर्ज किया गया ।

2. दिनांक 19–10–2011 को आहत छन्नू बंछोर को मुलाहिजा आवेदन के साथ आरक्षक के व्दारा उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन भेजा गया, जहां डॉ. ठाकुर अजय सिंह, मेडिकल ऑफिसर (अ.सा.नं.23) ने उसका प्रारंभिक उपचार किया और प्रदर्श पी–45 की रिपोर्ट दिया । आहत की चोटों से निरंतर खून निकल रहा था और वह शॉक की अवस्था में था, इस कारण उसे उच्च चिकित्सीय संस्थान रेफर किया गया । इस पर उसी दिनांक को 07 बजकर 45 मिनट पर छन्नू बंछोर को उपचार हेतु सेक्टर–09 हॉस्पिटल, भिलाई के आपात कक्ष में ले जाया गया, जहां डॉक्टर संजय कुमार भोई, तत्कालीन मेडिकल ऑफिसर (अ.सा.नं.13) ने उसकी जांच की और मरीज की हालत को देखते हुए उसे सर्जिकल वार्ड एच–04 में भर्ती करवाया गया । तत्संबंध में उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–21 है और भर्ती पर्ची प्रदर्श पी–22 है । दिनांक 19–10–2011 को ही श्रीमती रत्ना साहू पति तुलसीराम को उक्त चिकित्सालय में मृत अवस्था में 8.00 बजे रात को अस्पताल के केजुअल्टी में लाया गया था । उसकी केस हिस्ट्री में यह बताया गया था कि दिनांक 19–10–2011 को शाम 5.20 बजे उसे किसी ने चाकू से

मारा है । डॉक्टर संजय कुमार भोई, तत्कालीन मेडिकल ऑफिसर (अ.सा.नं. 13) व्दारा रत्ना साहू की मृत्यु की सूचना प्रदर्श पी–23 तैयार कर थाना प्रभारी, सेक्टर–06 कोतवाली थाना, भिलाई को भेजा गया । दिनांक 19–10–2011 को ही रात 20.30 बजे श्रीमती मीरा बंछोर पति श्री छन्नू बंछोर को भी उक्त चिकित्सालय में उपचार हेतु लाया गया, जिसकी जांच डॉक्टर मीनाक्षी दवे, असिस्टेन्ट डायरेक्टर (अ.सा.नं.14) ने की, जिनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–24 है । उक्त आहत का प्राथमिक उपचार कर उसे महिला सर्जिकल वार्ड में आगे के उपचार के लिए भेज दिया गया । दिनांक 19–10–2011 को ही रात 08 बजकर 20 मिनट पर आहत गेंदलाल आत्मज कृष्णा वर्मा को केजुअल्टी में उपचार हेतु लाया गया, जिसकी भी जांच डॉक्टर मीनाक्षी दवे, असिस्टेन्ट डायरेक्टर (अ.सा.नं.14) ने की, तत्संबंधी बेड हेड टिकट प्रदर्श पी–26 है । इस आहत को भी प्राथमिक उपचार कर एच–04 वार्ड में भर्ती कर दिया गया । डॉक्टर मीनाक्षी दवे, असिस्टेन्ट डायरेक्टर (अ.सा.नं.14) ने घटना के संबंध में गेंदलाल वर्मा पिता कृष्णा वर्मा और मीरा बंछोर पति छन्नू बंछोर के उपचार के लिए सेक्टर–09 अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में सेक्टर–06 कोतवाली पुलिस को कमशः प्रदर्श पी–29 और प्रदर्श पी–30 की सूचना दी ।

3. डॉक्टर ज्योति रंजन पुत्थल, रेसीडेन्ट डॉक्टर (अ.सा.नं.27) ने दिनांक 19–10–2011 को छन्नूलाल बंछोर और श्रीमती मीरा बंछोर की छाती और पेट का सोनोग्राफी किया और तत्संबंध में कमशः प्रदर्श पी–54 और 55 की रिपोर्ट दिया । दिनांक 19–10–2011 को रात्रि 08 बजकर 06 मिनट पर छन्नू बंछोर को एच–4 वार्ड में भर्ती किया गया था, जिससे संबंधित बेड हेड टिकट प्रदर्श पी–56 है । दिनांक 19–10–2011 को रात्रि 08 बजकर 13 मिनट पर श्रीमती मीरा बंछोर को एच–03 वार्ड में भर्ती किया गया था, जिससे संबंधित बेड हेड टिकट प्रदर्श पी–57 है । दिनांक 19–10–2011 को ही रात्रि 08 बजकर 33 मिनट पर गेंदलाल वर्मा को एच–4 वार्ड में भर्ती किया गया था, जिससे संबंधित बेड हेड टिकट प्रदर्श पी–58 है । इन सभी बेड हेड टिकटों पर डॉक्टर सुमन्ता मिश्रा, सीनियर डिप्टी डायरेक्टर (अ.सा.नं.28) के हस्ताक्षर हैं ।

4. आहत छन्नू बंछोर के एच–4 वार्ड में भर्ती होने के उपरान्त

डॉक्टर पराग गुप्ता, सीनियर मेडिकल ऑफिसर (अ.सा.नं.29) ने जांच और उपचार किया, तत्संबंधी मूल्यांकन पत्रक प्रदर्श पी–59 है । आहत मीरा बंछोर के एच–3 वार्ड में भर्ती होने के उपरान्त डॉक्टर पराग गुप्ता, सीनियर मेडिकल ऑफिसर (अ.सा.नं.29) ने जांच और उपचार किया, तत्संबंधी मूल्यांकन पत्रक प्रदर्श पी–60 है । आहत गेंदलाल वर्मा के एच–4 वार्ड में भर्ती होने के उपरान्त डॉक्टर पराग गुप्ता, सीनियर मेडिकल ऑफिसर (अ.सा. नं.29) ने जांच और उपचार किया, तत्संबंधी मूल्यांकन पत्रक प्रदर्श पी–61 है और आहत गेंदलाल का शल्य किया विवरण प्रदर्श पी–62 है ।

5. विंध्याचल यादव, आपरेटर कम टेक्नीशियन (अ.सा.नं.18) ने दिनांक 19–10–2011 को मृतका रत्ना साहू की मृत्यु की सूचना प्रदर्श पी–23, जो उसे सेक्टर–09 अस्पताल स्थित केजुअल्टी के ड्यूटी ऑफिसर ने थाने में प्रस्तुत करने के लिए दिया था, जिसे ले जाकर वह थाना भिलाई नगर में प्रस्तुत किया और मृतका रत्ना साहू का मर्ग इंटीमेशन जीरो पर प्रदर्श पी–34 दर्ज कराया ।

6. आनंदराम साहू के देहाती मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–19, कमांक 0/2011 को आरक्षक शीतलराम व्दारा पंजीबध्द करने हेतु लाये जाने पर मान सिंह सोनवानी, प्रधान आरक्षक (अ.सा.नं.17) ने थाना रानीतराई में मर्ग, कमांक 17/2011 के रुप में पंजीबध्द किया । उक्त अकाल और आकस्मिक मृत्यु की सूचना पंजी प्रदर्श पी–32 है । उक्त प्रधान आरक्षक ने अकाल और आकस्मिक मृत्यु की सूचना को थाना के सान्हा कमांक 537 दिनांक 19–10–2011 में इन्द्राज किया । आरक्षक शीतलराम व्दारा प्रधान आरक्षक, मान सिंह सोनवानी (अ.सा.नं.17) के समक्ष प्रदर्श पी–18 का बिना नंबरी देहाती नालिशी पेश करने पर एवं उसकी सूचना पर उक्त प्रधान आरक्षक व्दारा अभियुक्त के विरुध्द धारा 307, 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रदर्श पी–33 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया गया ।

7. संतोक राम लहरे, निरीक्षक (अ.सा.नं.30) के दिनांक 20–10–2011 को घटना स्थल जाने और वहां से वापस आने के संबंध में थाना रानीतराई के रोजनाम्चा में रिपोर्ट प्रदर्श पी–78 दर्ज की गई ।

8. भिलाई हास्पिटल से मृतका रत्ना बाई की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर लखन लाल टण्डन, सहायक उपनिरीक्षक (अ.सा.नं.26), दिनांक

20–10–2011 को सेक्टर–09 अस्पताल भिलाई गया और उक्त मृतका के शव का शव पंचनामा की कार्यवाही किया और तद्हेतु पंच साक्षियों को प्रदर्श पी–01 की नोटिस देकर आहूत किया । साक्षियों के उपस्थित होने और उनके व्दारा शव की पहचान किएं जाने पर प्रदर्श पी–02 का शव पंचनामा तैयार किया गया । पंचों की राय थी कि मृत्यु का सही कारण जानने के लिए मृतका के शव को शव परीक्षण हेतु भेजा जाए । इस पर मृतका रत्ना बाई के शव को शव परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन भेजा गया, जहां शव का परीक्षण डॉ. ठाकुर अजय सिंह एवं डॉ. एस. रोटेला की संयुक्त टीम व्दारा करके प्रदर्श पी–48 का प्रतिवेदन दिया गया और तत्पश्चात् मृतका के शव को कफन–दफन हेतु उसके परिजन को प्रदर्श पी–03 के सुपुर्दनामा के व्दारा सुपुर्द किया गया ।

9. संतोक राम लहरे, निरीक्षक (अ.सा.नं.30), दिनांक 20–10–2011 को शासकीय अस्पताल, पाटन की मरच्युरी गये और मृतक आनंदराम साहू के शव पंचनामा हेतु पंच साक्षियों को प्रदर्श पी–05 की नोटिस देकर आहूत किये और पंचों की उपस्थिति में शव के अवलोकन उपरान्त प्रदर्श पी–06 का शव पंचनामा तैयार किए । मृत्यु का सही कारण जानने के लिए आनंदराम साहू के शव को शव परीक्षण आवेदन प्रदर्श पी–35 के व्दारा आरक्षक, संतोष सोनी (अ.सा.नं.20) के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन भेजा गया, जहां डॉ. ठाकुर अजय सिंह एवं डॉ. एस. रोटेला की संयुक्त टीम व्दारा शव का परीक्षण करके प्रदर्श पी–47 का प्रतिवेदन दिया गया और तत्पश्चात् मृतक के शव को कफन–दफन हेतु उसके परिजन को प्रदर्श पी–20 के सुपुर्दनामा के व्दारा सुपुर्द किया गया ।

10. संतोक राम लहरे, निरीक्षक (अ.सा.नं.30) ने दिनांक 20–10–2011 को मृतका फिरंतीन बाई की मृत्यु हो जाने के कारण ओमप्रकाश साहू की सूचना पर देहाती मर्ग इंटीमेशन 0/2011, प्रदर्श पी–63 दर्ज किया और मर्ग सूचना को 18/2011, प्रदर्श पी–66 के रुप में कायमी किया । इलाज के दौरान फिरंतीन बाई की मृत्यु हो गई थी, अतः उसके शव को शासकीय अस्पताल, पाटन के मरच्युरी में रखा गया था । उक्त मृतका के शव पंचनामा हेतु प्रदर्श पी–07 के नोटिस के व्दारा पंच साक्षियों को आहूत किया गया और उनकी उपस्थिति में शव का अवलोकन कर प्रदर्श पी–08 का

शव पंचायतनामा तैयार किया गया । मृत्यु का सही कारण जानने के लिए फिरंतीन बाई के शव को शव परीक्षण आवेदन प्रदर्श पी–36 के व्दारा आरक्षक, संतोष सोनी (अ.सा.नं.20) के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन भेजा गया, जहां डॉ. ठाकुर अजय सिंह एवं डॉ. एस. रोटेला की संयुक्त टीम व्दारा शव का परीक्षण करके प्रदर्श पी–46 का प्रतिवेदन दिया गया और तत्पश्चात् मृतका के शव को कफन–दफन हेतु उसके परिजन को प्रदर्श पी–20 के सुपुर्दनामा के व्दारा सुपुर्द किया गया । संतोक राम लहरे, निरीक्षक (अ.सा.नं.30) ने मृतका फिरंतीन बाई और आनंदराम के शव का शव परीक्षण कराने के उपरान्त थाना वापस आने पर आरक्षक संतोष सोनी को प्रदर्श पी–37 और प्रदर्श पी–38 का कर्तव्य प्रमाण–पत्र दिया और आरक्षक गोविन्द राम साहू को मृतका रत्ना बाई का पोस्टमार्टम कराने बाबत् कर्तव्य प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–68 ए.एस.आई., एस.एल.टंडन, थाना भिलाईनगर व्दारा दिया गया।

11. संतोक राम लहरे, निरीक्षक (अ.सा.नं.30) ने दिनांक 20–10–2011 को साक्षियों की उपस्थिति में घटना स्थल का नज़री नक्शा प्रदर्श पी–15 तैयार किया । दिनांक 20–10–2011 को सुबह 07.00 बजे घटना स्थल मीरा बंछोर के परछी ब्यारा एवं चबूतरा से प्रदर्श पी–12 के विवरणानुसार मौके की खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी कमांक 01 से 06 के अनुसार जब्त किया । दिनांक 20–10–2011 को 07 बजकर 15 मिनट पर मृतका फिरंतीन के घर से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी प्रदर्श पी–13 के विवरणानुसार जब्त किया । उसी दिनांक को 07 बजकर 30 मिनट पर मुतजर्रर गेंदलाल के घर से खून आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी प्रदर्श पी–14 के विवरणानुसार जब्त किया । दिनांक 20–10–2011 को 21.45 बजे आरक्षक कमांक 1873 व्दारा एक सीलबंद पैकेट, जिसमें मृतक आनंदराम के कपड़े थे, एवं एक हाफ शर्ट मृतक आनंदराम का लाकर प्रस्तुत करने पर प्रदर्श पी–39 के विवरणानुसार जब्त किया । उसी दिनांक को 21.50 बजे आरक्षक कमांक 1873 व्दारा पेश करने पर एक सीलबंद पैकेट, जिसमें मृतका फिरंतीन बाई के कपड़े थे, प्रदर्श पी–40 के विवरणानुसार जब्त किया ।

12. दिनांक 20–10–2011 को डॉक्टर श्रीमती लता देवांगन, रेडियोलॉजिस्ट (अ.सा.नं.21) ने एक्स–रे फिल्म कमांक 33189 का परीक्षण की,

उक्त एक्स–रे रोगी मीरा बंछोर के छाती तथा पेट का था । जिस एक्स–रे का परीक्षण की थी उसका फिल्म आर्टिकल " ए " है तथा परीक्षण उपरान्त उनके व्दारा तैयार किया गया प्रतिवेदन प्रदर्श पी–42 है । इसी प्रकार उन्होंने दिनांक 20–10–2011 को एक्स–रे फिल्म कमांक 33192 का परीक्षण की, उक्त एक्स–रे रोगी छन्नू बंछोर के छाती तथा पेट का था। जिस एक्स–रे का परीक्षण की थी उसका फिल्म आर्टिकल " सी " है तथा परीक्षण उपरान्त उनके व्दारा तैयार किया गया प्रतिवेदन प्रदर्श पी–44 है ।

13. दिनांक 20–10–2011 को डॉक्टर तुषार रंजन मेहेर, डी. एन.बी. ट्रेनी (अ.सा.नं.24) ने मरीज छन्नू बंछोर, जिसका कि पंजीयन कमांक 1167228 था, जो कि एच–04 एस–2 वार्ड में भर्ती था, की छाती का एक्स–रे किया था, जिसका एक्स–रे फिल्म कमांक 33204 है, जो कि आर्टिकल "डी" है, का परीक्षण किया था और प्रदर्श पी–50 का प्रतिवेदन दिया था ।

14. संतोक राम लहरे, निरीक्षक (अ.सा.नं.30) ने दिनांक 21–10–2011 को अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा को अभिरक्षा में लेकर उससे घटना के संबंध में साक्षियों की उपस्थिति में पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–09 दर्ज किया और अभियुक्त व्दारा साक्षियों की उपस्थिति में घोरारी तालाब की झाड़ी से निकालकर पेश करने पर एवं उसकी निशानदेही पर एक लोहे का चाकू और एक फुलशर्ट जब्तीपत्र प्रदर्श पी–10 के अनुसार जब्त किया और उसी दिनांक को अभियुक्त के बदन से उतरवाकर एक फुलपेन्ट तथा एक हाफ सेण्डो बनियान, जिसमें खून सरीखे दाग थे, जब्ती पत्र प्रदर्श पी–11 के अनुसार जब्त किया । उनके व्दारा इसी दिनांक को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–64 तैयार किया गया और उसके गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्श पी–65 परमानंद वर्मा को दी गई ।

15. डॉक्टर मीनाक्षी दवे, असिस्टेंट डायरेक्टर (अ.सा.नं.14) को थाना रानीतराई के पुलिस व्दारा श्रीमती मीरा बंछोर को आई चोटों के संबंध में दरख्वास्त मुलाहिजा फार्म दिनांक 22–10–2011 को भरकर दिया गया था, जिसमें उन्होंने चिकित्सालय में भर्ती करते समय उसे आई चोटों के संबंध में दरख्वास्त मुलाहिजा फार्म में विवरण प्रदर्श पी–25 लिखकर दिया था । इसी

प्रकार उन्हें थाना रानीतराई व्दारा आहत गेंदलाल वर्मा को आई चोटों के संबंध में दरख्वास्त मुलाहिजा फार्म दिनांक 22–10–2011 को भेजा गया था, जिसमें उक्त आहत को प्रदर्श पी–26 के अनुसार आई चोटों का उल्लेख कर विवरण प्रदर्श पी–27 थाना प्रभारी के पास भेजा था ।

16. खुलेश्वर गायकवाड़, आरक्षक (अ.सा.नं.16) ने दिनांक 22–10–2011 को थाना भिलाईनगर में दर्ज मृतका रत्ना साहू के संबंध में मर्ग कमांक 0/2011 को ले जाकर थाना रानीतराई में अकाल और आकस्मिक मृत्यु की सूचना प्रदर्श पी–31 दर्ज कराया ।

17. संतोक राम लहरे, निरीक्षक (अ.सा.नं.30) ने दिनांक 22–10–2011 को आरक्षक संतोष कुमार सोनी के पेश करने पर एक सीलबंद पैकेट, जिसमें मृतका रत्ना बाई के कपड़े थे, जब्ती पत्र प्रदर्श पी–41 के व्दारा जब्त किया था । अभियुक्त का भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया था, जिससे संबंधित आवेदन–पत्र प्रदर्श पी–72 है, जिसके पृष्ठ भाग पर चिकित्सक की रिपोर्ट अंकित है । डॉक्टर तुषार रंजन मेहेर, डी एन बी ट्रेनी (अ.सा.नं.24) ने दिनांक 25–10–2011 को आहत छन्नू बंछोर की छाती का एक्स–रे लिया था, जिससे संबंधित एक्स–रे फिल्म आर्टिकल " ई " तथा उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–51 है । संतोक राम लहरे, निरीक्षक (अ.सा.नं.30) ने दिनांक 30–10–2011 को छन्नूलाल बंछोर से उसका गमछा गवाहों के समक्ष जब्ती पत्र प्रदर्श पी–67 के अनुसार जब्त किया था तथा इसी दिनांक को आहत मीरा बंछोर की एक छीटदार साड़ी, जिसे वह घटना के समय पहनी थी, जिसमें खून सरीखे दाग थे, जब्ती पत्र प्रदर्श पी–16 के अनुसार गवाहों के समक्ष जब्त किया । दिनांक 01–11–2011 को आहत गेंदलाल वर्मा के पेश करने पर एक फुलशर्ट, एक काला कलर का आस्तीन वाला बनियान, जिसमें खून सरीखे दाग लगे थे, गवाहों के समक्ष जब्ती पत्र प्रदर्श पी–17 के अनुसार जब्त किया। डॉक्टर श्रीमती लता देवांगन, रेडियालॉजिस्ट (अ.सा.नं. 21) ने आहत गेंदलाल वर्मा के एक्स–रे आर्टिकल " बी " का परीक्षण कर प्रदर्श पी–43 की रिपोर्ट दी ।

18. संतोक राम लहरे, निरीक्षक (अ.सा.नं.30) ने घटना स्थल का नज़री नक्शा तैयार करने बाबत् संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को प्रदर्श पी–69 का पत्र लिखा, जिसके आधार पर सोमनलाल रामटेके, पटवारी (अ.सा.

नं.19) ने गवाहों के समक्ष घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श पी–04 तैयार किया। संतोक राम लहरे, निरीक्षक (अ.सा.नं.30) ने आहत मीरा बंछोर, छन्नूलाल बंछोर एवं गेंदलाल वर्मा, जो घटना में आहत होने के बाद सेक्टर–09 अस्पताल, भिलाई में अपना इलाज कराये थे, उनके बेडहेड टिकट और एक्सरे रिपोर्ट प्रदान करने हेतु प्रदर्श पी–70 का आवेदन उप प्रबंधक, रिकार्ड शाखा, सेक्टर–09 अस्पताल, भिलाई को भेजा । संतोक राम लहरे, निरीक्षक (अ.सा. नं.30) ने दिनांक 21–11–2011 को आहत मीरा बंछोर और गेंदलाल के संबंध में अभिमत् बाबत् प्रदर्श पी–28 का क्वेरी आवेदन सेक्टर–09 अस्पताल, भिलाई के संबंधित चिकित्सक को भेजा । संतोक राम लहरे, निरीक्षक (अ.सा. नं.30) ने उसी दिनांक को छन्नूलाल बंछोर के कपड़ो में मानव रक्त के संबंध में, जब्तशुदा चाकू से चोट के संबंध में, आहत को आई चोटों का उपचार नहीं होने से मृत्यु के संबंध में, और जब्तशुदा लोहे के चाकू से मारने से मृतक आनंदराम, फिरंतीन् बाई और रत्ना बाई की मृत्यु के संबंध में प्रदर्श पी–49 के क्वेरी आवेदन के जरिए असिस्टेंट सर्जन, शासकीय अस्पताल, पाटन से क्वेरी किया, जिसके पृष्ठ भाग पर चिकित्सक ने अपना अभिमत् अंकित किया ।

19. संतोक राम लहरे, निरीक्षक (अ.सा.नं.30) ने प्रकरण में जब्तशुदा वस्तुओं को प्रधान आरक्षक हेमलाल महिपाल के माध्यम से निदेशक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर रासायनिक परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के ज्ञापन प्रदर्श पी–52 के व्दारा भेजा, जहां से प्रदर्श पी–53 की पावती प्राप्त हुई और बाद में प्रदर्श पी–71 की रिपोर्ट प्राप्त हुई। संतोक राम लहरे, निरीक्षक (अ.सा.नं.30) ने अभियुक्त के संबंध में जरायम की नकल, जो रत्ना बाई से संबंधित है, प्रदर्श पी–73 से लगायत प्रदर्श पी–76 प्रकरण में प्रस्तुत किया । विवेचना के दौरान गवाहों के बयान उनके बताये अनुसार दर्ज किया।

20. सम्पूर्ण विवेचना पर से यह पाए जाने पर कि अभियुक्त व्दारा हत्या एवं हत्या के प्रयास का अपराध कारित किया गया है, उसके विरुध्द अभियोग–पत्र दिनांक 23–12–2011 को श्री कमलेश जगदल्ला, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिनके व्दारा प्रकरण सत्र न्यायालय व्दारा विचारणीय

.....11

होना पाते हुए प्रकरण को दिनांक 23—12—2011 को सत्र न्यायालय, दुर्ग की ओर उपार्पित किया गया है ।

21. यह प्रकरण दिनांक 30—12—2011 को इस न्यायालय को उपार्पण पर प्राप्त हुआ । प्रकरण में अभियुक्त को दिनांक 21—10—2011 को गिरफ्तार किया गया, तब से लेकर आज तक वह अभिरक्षा में ही है ।

03. पूर्वाधिकारी व्दारा प्रकरण में दिनांक 23—03—2012 को अभियुक्त के विरुध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा 450, 302, 506(2), 307 के तहत प्रथम दृष्टया आरोप बनना पाया जाकर अभियुक्त के विरुध्द धारा 450, 302, 506(2), 307 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार नहीं किया, उसकी प्ली दर्ज की गई और अभियोजन साक्षियों को आहूत किया गया ।

04. इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में अभियोजन साक्षी क्रमांक—01 तुलसीराम साहू, अभियोजन साक्षी क्रमांक—02 अनूप साहू, अभियोजन साक्षी क्रमांक—03 गोपालराम मारकण्डे, अभियोजन साक्षी क्रमांक—04 संतोष कुमार घिरवानी, अभियोजन साक्षी क्रमांक—05 शंकर लाल बंजारे, अभियोजन साक्षी क्रमांक—06 श्रीमती मीरा बंछोर, अभियोजन साक्षी क्रमांक—07 गेंदलाल वर्मा, अभियोजन साक्षी क्रमांक—08 श्रीमती बसंता बाई, अभियोजन साक्षी क्रमांक—09 सुखदेव यादव, अभियोजन साक्षी क्रमांक—10 जयलाल धनकर, अभियोजन साक्षी क्रमांक—11 श्रीमती दुर्गा बाई, अभियोजन साक्षी क्रमांक—12 ओमप्रकाश साहू, अभियोजन साक्षी क्रमांक—13 संजय कुमार भोई (असिस्टेन्ट डायरेक्टर), अभियोजन साक्षी क्रमांक—14 डॉ. मीनाक्षी दवे (असिस्टेन्ट डायरेक्टर), अभियोजन साक्षी क्रमांक—15 रोशन उर्फ सोनू साहू, अभियोजन साक्षी क्रमांक—16 खुलेश्वर गायकवाड़ (आरक्षक), अभियोजन साक्षी क्रमांक—17 मान सिंह सोनवानी (प्रधान आरक्षक), अभियोजन साक्षी क्रमांक—18 विंध्याचल यादव (ऑपरेटर—कम—टेक्नीशियन), अभियोजन साक्षी क्रमांक—19 सोमनलाल रामटेके (पटवारी), अभियोजन साक्षी क्रमांक—20 संतोष सोनी (आरक्षक), अभियोजन साक्षी क्रमांक—21 डॉ. श्रीमती लता देवांगन (रेडियोलॉजिस्ट), अभियोजन साक्षी क्रमांक—22 तोशन साहू, अभियोजन साक्षी क्रमांक—23 डॉ. ठाकुर अजय सिंह (मेडिकल ऑफिसर), अभियोजन साक्षी क्रमांक—24 डॉ.

तुषार रंजन मेहेर (डी.एन.बी. ट्रेनी), अभियोजन साक्षी कमांक–25 हेमलाल महिपाल (प्रधान आरक्षक), अभियोजन साक्षी कमांक–26 लखन लाल टण्डन (सहायक उपनिरीक्षक), अभियोजन साक्षी कमांक–27 डॉ. ज्योति रंजन पुत्थल (रेसीडेन्ट डाक्टर), अभियोजन साक्षी कमांक–28 डॉ. सुमन्ता मिश्रा (सीनियर डिप्टी डायरेक्टर), अभियोजन साक्षी कमांक–29 डॉ. पराग गुप्ता (सीनियर मेडिकल ऑफिसर) तथा अभियोजन साक्षी कमांक–30 संतोक राम लहरे (निरीक्षक) के परीक्षण कराये गये हैं । बचाव पक्ष ने अपने पक्ष समर्थन में किसी भी बचाव साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है ।

05. इस प्रकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :–

(1) क्या दिनांक 19–10–2011 को शाम 05 बजे या इसके लगभग ग्राम बोरिद, पुलिस थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.) में आनंद राम साहू आत्मज रामदयाल साहू, श्रीमती रत्ना साहू पति तुलसी साहू तथा श्रीमती फिरंतीन बाई पति आनंद राम साहू की हत्यात्मक प्रकृति की उपहतियों के परिणामस्वरुप मृत्यु हुई थी और तद्नुसार उनकी हत्या हुई ?

(2) क्या उसी दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा ने लोहे के धारदार चाकू से आनंद राम साहू आत्मज रामदयाल साहू, श्रीमती रत्ना साहू पति तुलसी साहू तथा श्रीमती फिरंतीन बाई पति आनंद राम साहू के शरीर के मार्मिक अंगों पर चोटें पहुंचाकर उनकी साशय मृत्यु कारित कर उनकी हत्या की ?

(3) क्या दिनांक 19–10–2011 को शाम 05 बजे के उपरान्त ग्राम बोरिद, पुलिस थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.) में श्रीमती मीरा बंछोर पति छन्नू लाल बंछोर, छन्नू बंछोर आत्मज स्व. बृजलाल बंछोर तथा गेंदलाल वर्मा आत्मज कृष्ण वर्मा को उनके शरीर के मार्मिक अंगों में गंभीर श्रेणी की प्राणान्तक उपहति कारित हुई ?

(4) क्या उसी दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा ने श्रीमती मीरा बंछोर पति छन्नू लाल बंछोर, छन्नू बंछोर आत्मज स्व. बृजलाल बंछोर तथा गेंदलाल वर्मा आत्मज कृष्ण वर्मा को अपने हाथ में रखे लोहे के धारदार चाकू से उनके शरीर के मार्मिक अंगों पर मारकर प्राणान्तक उपहति कारित किया ?.

(5) क्या अभियुक्त ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त उपहति इस आशय से या ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थिति में कारित किया कि यदि उसके कृत्य के व्दारा श्रीमती मीरा बंछोर पति छन्नू लाल बंछोर, छन्नू बंछोर आत्मज स्व. बृजलाल बंछोर तथा गेंदलाल वर्मा आत्मज कृष्ण वर्मा की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के अपराध का दोषी होता ?

......13

(6) क्या दिनांक 19–10–2011 को शाम 05 बजे या इसके लगभग ग्राम बोरिद, पुलिस थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.) में अभियुक्त ने अवैध रुप से आनंद राम के मकान में प्रवेश करके गृह अतिचार किया, ताकि आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध आनंद राम साहू, उसकी पत्नी फिरंतीन बाई तथा आनंद राम की बहू श्रीमती रत्ना साहू की हत्या कारित किया जा सके ?

(7) क्या दिनांक 19–10–2011 को शाम 05 बजे के उपरान्त अभियुक्त ने ग्राम बोरिद में ही खून से लथपथ चाकू लेकर प्रार्थिया श्रीमती दुर्गा बंछोर के घर में प्रवेश कर मीरा बाई पति छन्नू बंछोर को अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर तथा ऐसी धमकी का निष्पादन उसे चाकू से मारकर किया ?

(8) अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा ने क्या अपराध किया और उसे क्या दण्ड दिया जावे ?

06. 1. इस प्रकरण में लोक अभियोजक ने मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि, इस प्रकरण में मृत रत्ना साहू के साथ वर्तमान अभियुक्त व्दारा बलात्कार किए जाने विषयक एक सत्र प्रकरण विचारित हुआ था । उक्त सत्र प्रकरण में अभियुक्त को विचारण न्यायालय व्दारा दोषमुक्त घोषित किया गया था । उक्त दोषमुक्ति के कुछ समय उपरान्त यह वर्तमान घटना घटी थी और अभियुक्त ने दिनांक 19–10–2011 को शाम 05 बजे आनंदराम साहू के घर जाकर उसकी पत्नी फिरंतीन बाई, उसकी बहू रत्ना बाई को चाकू से मारा, आनंदराम को भी चाकू से मारा । अभियुक्त व्दारा चाकू से किये गये अनेकों हत्यात्मक श्रेणी के प्रहारों के परिणामस्वरुप तीनों की मृत्यु हो गई । उसके उपरान्त उसी निरन्तरता में अभियुक्त ने मीरा बंछोर, छन्नू लाल बंछोर और गेंदलाल वर्मा को भी चाकू से साशय प्रहार कर हत्या करने के आशय से उन्हें अनेकों चोटें पहुंचाई । समय पर चिकित्सीय सहायता मिल जाने के परिणामस्वरुप उक्त मीरा बंछोर, छन्नू लाल बंछोर और गेंदलाल वर्मा का जीवन बच गया । इस प्रकार अभियुक्त ने उक्त तीनों की हत्या का प्रयास किया । रत्ना बाई को जान से मार डालने की धमकी दी और उक्त की अग्रसरता में उसे चाकू से अनेकों वार कर उसकी हत्या भी की तथा हत्या का कृत्य करने के लिए अवैध रुप से आनंदराम साहू के मकान में प्रवेश कर गृह अतिचार का भी कृत्य किया । अभियोजन पक्ष के अनुसार आनंदराम साहू और फिरन्तीन बाई

......14

दोनों पति–पत्नी थे, रत्ना बाई उनकी बहू थी । इन तीनों की इस घटना में हत्या हुई है।

2. अभियुक्त घटना के समय आनंदराम साहू के घर गया, वहां उसने रत्ना साहू को चाकू से मारकर उसकी हत्या की, फिरन्तीन बाई साहू को भी चाकू से अनेकों प्रहार कर उसकी मृत्यु कारित कर उसकी हत्या की और आनंदराम साहू को उसके घर के पास चाकू से प्रहार किया तथा उसें मारते हुए घसीटकर छन्नूलाल बंछोर के घर के पास चबूतरे तक ले गया, जहां इस आनंदराम साहू की भी मृत्यु हो गई । प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अ.सा.नं.15 रोशन उर्फ सोनू साहू है, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है । इस साक्षी ने इस घटना में मारे गये अपने दादा–दादी और मां का नाम बताया है और यह बताया है कि उसके न्यायालय में साक्ष्य देने के 10 माह पूर्व दीपावली के समय शाम 05 बजे की घटना है, घर में उसके दादा–दादी अर्थात् आनंद राम साहू और फिरन्तीन बाई थे, उसकी मां रत्ना बाई पानी भरने के लिए बोरिंग में गई थी, वह पानी लेकर घर आई तब अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा ने उसकी मां को गाली दिया । आनंदराम साहू के इस पर मना करने पर अभियुक्त ने जेब से चाकू निकालकर आनंदराम साहू को मारा, फिर अभियुक्त, आनंदराम साहू के घर के कमरे के अंदर घुस गया और अभियुक्त ने उसकी मां रत्ना बाई को चाकू से पेट और गले के पास मारा, फिर बाहर निकलकर आंगन में आकर उसकी दादी फिरन्तीन बाई को चाकू से मारा और उसके दादा आनंदराम साहू को मारते–मारते मीरा बंछोर के घर के पास ले गया और उसके चबूतरे में ले जाकर पटक दिया, तब वह मीरा बाई बंछोर के घर गया, उसकी सास दुर्गा बाई को बताया एवं मीरा बाई को बताया । फिर वहीं पर अभियुक्त ने मीरा बाई को चाकू से मारा । उसके दादा के कमर में फिर से मारा, और वह डर के कारण अपने बड़े पिता के घर चला गया ।

3. इस साक्षी को बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षण में 07 पृष्ठों का विशद प्रतिपरीक्षण किया है, किन्तु घटना का एवं आई साक्ष्य का खण्डन नहीं हो सका है । यह साक्षी मुख्य परीक्षण के अपनी बातों पर कायम रहा है । इस साक्षी को असत्य बोलने का कोई कारण नहीं है । इस साक्षी के अनुसार घटना के समय उसकी मां रत्ना बाई चोट लगने से आहत थी,

किन्तु जीवित थी । स्पष्ट है कि, अभियुक्त इन तीनों की हत्या करने के लिए मानसिक और शारीरिक रुप से तैयार था और उसके पास उक्त हेतु उपयुक्त अस्त्र चाकू भी था । इस साक्षी के कथनों में अत्यन्त महत्वहीन श्रेणी के विरोधाभास हैं, जो मूल घटना की स्वीकारिता के बिन्दु पर घातक नहीं हैं । साक्षी अपने तरीके से साक्ष्य देगा, न कि किसी और के अनुमान के आधार पर साक्ष्य देगा ।

4. अ.सा.नं.11 दुर्गा बाई, मीरा बंछोर की सास है, 70 वर्षीया वृध्दा है । इस साक्षी की पूर्वाधिकारी व्दारा सकारण कैमरा प्रोसीडिंग में साक्ष्य रिकार्ड किया गया है । इस साक्षी के अनुसार बुधवार 19 तारीख, कार्तिक माह, शाम 05 बजे वह घर पर थी, उसकी बहू मीरा बंछोर भी साथ में थी, दोनों बरामदे में बैठे थे और बर्तन साफ करने वाली बसन्ता बर्तन साफ कर रही थी, उसी समय सोनू, जो तुलसी का पुत्र है, रोते हुए आया और बताया कि छन्नू वर्मा ने उसकी मां रत्ना बाई, दादा आनंद राम और दादी फिरंतीन बाई को चाकू से मार रहा है । तब वह सोनू को लेकर बाहर निकली, अभियुक्त उसी समय आनंद राम को चाकू से मारते हुए लाया और उनके घर के चौरे में पटक दिया । अभियुक्त के पूरे शरीर में खून लगा हुआ था और उसने इस साक्षी के घर के अंदर घुसकर उसकी बहू मीरा बंछोर का हाथ पकड़कर चाकू से पहले उसके गर्दन के पीछे मारा और शरीर के कई अन्य भागों पर भी चाकू से मारा, तो उसने अभियुक्त से कहा कि मारना है तो मेरे को मार दे इसको मत मार, तो आरोपी ने कहा कि उसे तो फांसी में लटकना ही है । फिर अभियुक्त उसके घर के बरामदे से निकल कर ब्यारा में गया, ब्यारा में उसका बेटा छन्नू लाल बंछोर और दो अन्य काम करने वाले जयलाल और सुखदेव थे । अभियुक्त ने छन्नू लाल बंछोर को भी चाकू से मारा, जिसको मारने के निशान उसने बाद में देखे थे। इस साक्षी ने पुलिस के आने पर देहाती नालिशी प्रदर्श पी–18 लिखायी थी और देहाती मर्ग सूचना प्रदर्श पी–19 लिखायी थी । इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण के अनुसार इस साक्षी के घर से रत्ना के घर जाने में 04 मिनट का समय लगेगा । मीरा बंछोर जनपद सदस्य है । गेंदलाल, जिसे चाकू मारा गया था वह रत्ना वाले पूर्व बलात्कार के प्रकरण में साक्षी था या नहीं, इस साक्षी को नहीं मालूम । इस साक्षी को बयान देने के लिए अभिभाषक ने

नहीं समझाया था। इस साक्षी के मुख्य परीक्षण में बतायी गई घटना के बाबत् खण्डन नहीं है ।

5. अ.सा.नं.09 सुखदेव यादव के अनुसार वह घटना दिनांक को जयलाल के साथ शाम 05 बजे छन्नू बंछोर के यहां धान उड़ाने का काम कर रहा था । छन्नू बंछोर कोठार में बैठा था, उसने बचाओ–बचाओ की आवाज लगाई तो वे लोग वहां पहुंचे और देखे कि अभियुक्त, छन्नू बंछोर को चाकू से मार रहा है । चाकू उसके गले के पास लगा था, जिससे खून निकल रहा था । इस साक्षी के अनुसार 02 बार अभियुक्त ने उस पर प्रहार किये थे। जान से खत्म कर दूंगा कहकर अभियुक्त ने छन्नू बंछोर को चाकू से मारा था । इस साक्षी के भी इस घटना के बाबत् वर्णित तथ्यों पर कोई खण्डन नहीं है ।

6. अ.सा.नं.10 जयलाल धनकर के अनुसार भी वह और सुखदेव कोठार में धान उड़ा रहे थे और छन्नू बंछोर कोठार में बैठा था तब अभियुक्त ने छन्नू बंछोर को जान से मार दूंगा कहकर चाकू से मारा था और अभियुक्त वहां से भाग गया था, तथा छन्नू बंछोर को उठाकर वे लोग ले गये थे और छन्नू बंछोर के घर के अंदर भी मीरा बंछोर को चाकू मारा गया था, वह जमीन पर पड़ी थी, खून निकल रहा था । इस साक्षी ने भी अभियुक्त व्दारा छन्नू बंछोर को चाकू से मारते हुए देखा है । इस गवाह के कथन में भी प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं है ।

7. अ.सा.नं.07 गेंदलाल वर्मा आहत साक्षी है । इस साक्षी के अनुसार धनतेरस के दिन लगभग शाम 05 बजे वह सोसायटी बंद करके घर लौट रहा था, छन्नू बंछोर के घर के पास दरवाजे के पास खून फैला देखा, वह खून को देख रहा था तो अभियुक्त वहां आकर उसे कहा कि झूठा गवाही बनने के लिए आया है, कहकर चाकू से उसके पेट में मारा । उसका पेट कट गया, अतड़ी बाहर निकल गई, खून निकलने लगा । वह पेट दबाकर घर गया, उसे अस्पताल ले जाया गया । प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने बताया है कि अभियुक्त ने उसे आमने–सामने से मारा था और यह साक्षी रत्ना बाई की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुध्द चले पूर्व के एक अन्य प्रकरण में साक्षी था । इस साक्षी के भी न्यायालयीन कथनों में कोई खण्डन नहीं है, अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है ।

......17

(105) 312

8. अ.सा.नं.08 बसन्ता बाई के अनुसार वह छन्नू बंछोर के घर में शाम 05 बजे बर्तन साफ कर रही थी । मीरा बंछोर और उसकी सास घर के बरामदे में बैठे थे; अभियुक्त वहां चाकू लेकर आया और मीरा बंछोर को चाकू से मारने लगा, उसकी सास अभियुक्त के हाथ–पैर जोड़ रही थी, मारने से मना कर रही थी । मीरा बंछोर चाकू लगने से बेहोश होकर गिर गई और यह साक्षी डरकर घर के पीछे के दरवाजे से भाग गई । इस साक्षी को भी प्रतिपरीक्षण में विस्तृत प्रश्न पूछे गये हैं, किन्तु घटना का खण्डन नहीं हो सका है । इस साक्षी के बयान के अनुसार छन्नू बंछोर उस समय ब्यारा में था और मीरा तथा उसकी सास दुर्गा बाई बरामदे में बैठे थे । इस प्रकरण में बचाव पक्ष ने इस साक्षी के बयान की कंडिका 06 में यह बचाव लिया है कि अभियुक्त को मारा गया था, इस कारण उसने अपने बचाव में मारा है । किन्तु इस बिन्दु पर कोई भी तथ्य, साक्ष्य या सुझाव नहीं हैं । बचाव पक्ष ने यह एक निराधार बचाव लिया है, ऐसा अभियोजन का तर्क है ।

9. अ.सा.नं.06 श्रीमती मीरा बंछोर भी आहत साक्षी है, इस साक्षी ने भी बताया है कि, वह अपनी सास दुर्गा बाई के साथ बरामदे में बैठी थी, बर्तन धोने वाली महिला बसन्ता यादव बर्तन साफ कर रही थी, सोनू जो आनंदराम का नाती और रत्ना बाई का लड़का है, उन लोगों के पास दौड़ते हुए आया और बताया कि उसके दादा–दादी और मां को अभियुक्त मार रहा है । उन्होंने उसकी बातें सुनी और आश्चर्य में पड़ गये और पूछे कि कैसे मारेगा, उसी समय अभियुक्त चाकू लेकर वहां पर आया, उसके कपड़े खून से लथपथ थे, जान से मार दूंगा कहकर उसकी छाती पर चाकू मारा । इस साक्षी ने उसके हाथ को पकड़ा, तब उसके हाथ में भी चोटें आई, छाती में चोट आई, बांये कंधे में चाकू से मारा, पीठ में दो बार चाकू से मारा । उसके पति छन्नू बंछोर घर के पीछे खलिहान में बैठे थे । उसकी सास, अभियुक्त से हाथ जोड़कर बोल रही थी कि उसकी बहू को मत मारो तब उसके पति वहां पर आये, वह बेहोश हो गई, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया । इस साक्षी के भी मुख्य परीक्षण के कथनों में कोई खण्डन प्रतिपरीक्षण में नहीं आ सका है । इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण की कंडिका–10 में बचाव पक्ष ने एक नया बचाव लिया है कि अभियुक्त पागल है, जिससे इस साक्षी ने इंकार किया है । इस बिन्दु पर भी कोई अन्य तथ्य, साक्ष्य या सुझाव बचाव पक्ष ने

प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार यह भी एक निराधार बचाव अभियुक्त की ओर से लिया गया है ।

10. अ.सा.नं.03 गोपाल राम मारकण्डे के अनुसार तालाब के पास से अभियुक्त के बताने पर चाकू और कपड़े की जब्ती की गई थी, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–09 है, जब्ती प्रदर्श पी–10 और 11 है । इस साक्षी के कथनों का भी कोई खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है । अ.सा.नं.02 अनूप साहू के अनुसार वह अपने भाई रामस्वरुप के घर गया था । अभियुक्त वहां भी हाथ में चाकू लेकर आया था और पूछा था कि उसका भाई रामस्वरुप कहां है, जब उसने कहा कि वह घर में नहीं है, बाजार गया है, तो चाकू को जेब में रखकर चला गया और जाते–जाते कह रहा था कि रामस्वरुप को जान से मारेगा । इस प्रकार अभियोजन पक्ष के अनुसार रामस्वरुप की भी हत्या करने के लिए अभियुक्त उसी घटनाकम में तलाश रहा था, संयोगवश उससे मुलाकात नहीं हुई इसलिए उसकी जान बच गई ।

11. अ.सा.नं.05 शंकर लाल बंजारे, अभियुक्त के मेमोरेण्डम और जब्ती का साक्षी है, किन्तु यह साक्षी पक्षद्रोही हो गया है, किन्तु इस साक्षी ने घोरारी तालाब में जाने, साक्षी गोपाल राम की उपस्थिति, पुलिस वालों व्दारा अभियुक्त को गाड़ी में लेकर आने की बात स्वीकार की है । पुलिस ने इससे कोई मारपीट नहीं की, इसे धमकाया नहीं । पुलिस ने लिखापढ़ी की थी और उसके बाद इस साक्षी के हस्ताक्षर लिए थे । इस साक्षी का गांव बोरिद से 05 किलोमीटर दूर है । यह साक्षी घटना के बाबत् जानकारी होने की बात स्वीकार करता है । अ.सा.नं.04 संतोष कुमार घिरवानी खून आलूदा मिट्टी और सादी मिट्टी की जब्ती का साक्षी है । इस साक्षी के समक्ष पुलिस ने नज़री नक्शा तैयार किया था । इस साक्षी ने घटना स्थल का फोटो खींचा था । इस साक्षी के साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण में खण्डन नहीं हुआ है । अ.सा.नं.01 तुलसीराम साहू, रत्ना का पति है, वह बाहर गया हुआ था, जानकारी पाकर वापस आया । उसने मीरा बंछोर को अपने घर के पास खून से लथपथ देखा, चबूतरे में उसके पिता आनंदराम खून से लथपथ पड़े थे । फिर वह घर गया देखा कि उसकी मां फिरंतीन बाई आंगन में खून से लथपथ पड़ी है और कमरे में गया तो देखा कि रत्ना

बाई के पेट, गर्दन, नाक में चोट लगी थी, खून से लथपथ थी, बचाओ–बचाओ कह रही थी । रत्ना बाई ने पूछने पर बताया कि उसे अभियुक्त छन्नू वर्मा ने चाकू से मारा है । इस साक्षी को भी प्रतिपरीक्षण में विस्तृत प्रश्न पूछे गये हैं, किन्तु इन तथ्यों का खण्डन नहीं हुआ है । इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने जबरदस्ती अभियुक्त के विरुध्द पूर्व में बलात्कार का प्रकरण बनवाया था । अन्य सभी सुझावों से इस साक्षी ने इंकार किया है । घटना के बिन्दु पर जो कुछ इस साक्षी ने देखना बताया है, वह अखंडित है ।

12. इस प्रकरण में मृत आनंदराम साहू, रत्ना साहू और फिरंतीन साहू, तीनों के शव का शव परीक्षण कराया गया है । इन तीनों के शव में घोंपे हुए घाव थे, हत्यात्मक प्रकृति के थे, चाकू से प्रहार किए जाने पर आ सकती थी, चाकू और अभियुक्त के कपड़ों में मानव रक्त पाया गया है । इस बाबत् अ.सा.नं.23 डॉक्टर ठाकुर अजय सिंह ने न्यायालयीन कथन में विस्तृत साक्ष्य दिया है । अभियुक्त, धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए पूर्व में अभियोजित किया गया था, वह उक्त प्रकरण में दोषमुक्त होने के पश्चात् घूम–घूम कर घटना दिनांक को 03 लोगों की हत्या किया, 03 लोगों की हत्या करने के आशय से उन पर साशय प्रहार किया, अन्य व्यक्ति रामस्वरुप की भी हत्या करने के आशय से उसकी तलाश किया, इस बाबत् अ.सा.नं.22 तोशन साहू ने भी बताया है कि, अभियुक्त उसके घर के सामने खड़े होकर चाकू रखे हालत में उसके पिता रामस्वरुप के बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि, उसका पिता बहुत नेतागिरी करता है, वह उसे जान से मारेगा । रामस्वरुप के न मिलने पर उसके साथ संयोगवश कोई घटना घटित नहीं हो सकी । इस प्रकार अभियुक्त ने चुन–चुन कर जिन्हें उसे मारना था, चाकू के शक्तिशाली और अनेकों प्रकार कर उन्हें मारा, संयोगवश 03 लोगों को घटना के कम में उतनी गंभीर चोट न होने और तत्काल चिकित्सीय सहायता मिल जाने से उनकी जान बच गई और एक अन्य व्यक्ति न मिल पाने के कारण बच गया । अभियुक्त ने दोषमुक्त होने के बावजूद इस प्रकार से लोगों को चुन–चुन कर घूम–घूम कर एक–डेढ़ घंटे तक इस प्रकार का पाशविक कृत्य किया । जिन्हें वह नहीं मारना चाहता था उन्हें उसने कुछ नहीं किया, अर्थात् दुर्गा बाई बंछोर

को उसने कोई प्रहार नहीं किये, छन्नू बंछोर के ब्यारा में काम करने वाले जयलाल और सुखदेव को उसने कोई चोट नहीं पहुंचायी । मीरा बंछोर के घर में घटना के समय बर्तन साफ कर रही बसन्ता बाई को उसने कोई चोट नहीं पहुंचायी । रामस्वरुप के पुत्र तोशन साहू और भाई अनूप साहू को भी उसने कोई चोट नहीं पहुंचायी, मात्र रामस्वरुप के बारे में पूछा । समग्रतः जो लोग इस घटना में बच गये, वे संयोगवश और अच्छे भाग्य के कारण बचे, अन्यथा अभियुक्त की मंशा तो उनकी भी हत्या करने की थी । अभियोजन पक्ष का तर्क है कि, समग्रतः अभियुक्त के कृत्य, घटना के प्रकार, और एक ही चाकू से 06 लोगों पर किये गये कुल मिलाकर दर्जनों प्रहार, प्रहार में उपयोग की गई ताकत, मानसिकता, योजना बनाकर किये गये इस अपराध के समग्रतः प्रकाश में अभियुक्त को दोषी पाकर उसे निर्धारित अधिकतम दण्ड अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

13. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष समर्थन में *2009 (3) सुप्रीम, पृष्ठ 220 (सर्वोच्च न्यायालय), पक्षकार–अख्तर एवं अन्य बनाम उत्तरांचल प्रदेश* प्रस्तुत किया हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, यदि अभियोजन का प्रकरण आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों व्दारा समर्थित है, जिनके पुलिस के समक्ष दिये गये कथन और न्यायालय के समक्ष दिये गये कथन सारतः समान हैं, उन्हें चिकित्सीय समर्थन प्राप्त है तो उनकी साक्ष्य अस्वीकृत नहीं की जा सकती तथा कुछ लघु विरोधाभास विचारण को घातक नहीं बनाते । *2012(3) सी.जी.एल.जे., पृष्ठ 312 (सर्वोच्च न्यायालय), पक्षकार–नील कुमार उर्फ अनिल कुमार बनाम हरियाणा राज्य* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि, दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन देते समय अभियुक्त के विरूध्द सिध्द आपराधिक परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देना उसका कर्तव्य है, खामोश रहना, ऐसी परिस्थिति का स्पष्टीकरण न देना उसके विरुध्द आरोपों को सिध्द करने की परिस्थितियों की श्रृंखला में अतिरिक्त योग होगा । इसके अतिरिक्त मृत्यु दण्ड की शास्ति, यदि न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचती है कि अपराध की सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास पूर्णतया अनुपयुक्त होगा, तभी दी जा सकती है। *1999(3) सुप्रीम, पृष्ठ 212 (सर्वोच्च न्यायालय), पक्षकार–निर्मल सिंह एवं अन्य बनाम*

हरियाणा राज्य में अपीलार्थी धर्मपाल बलात्कार के प्रकरण में सत्र न्यायालय से दोषसिध्द होकर लंबित अपील के दौरान जमानत पर था, उसने और निर्मल सिंह ने बलात्कार की पीड़िता के परिवार के 05 सदस्यों की हत्या की और पूर्व में अन्य अवसरों पर उसने यह धमकी दी थी कि, जो भी बलात्कार के प्रकरण में साक्ष्य देगा उसकी हत्या की जावेगी । पश्चात्वर्ती घटना कम में पीड़िता परिवार के 05 लोगों की निर्मम हत्या पर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मपाल को अधिरोपित मृत्यु–दण्ड को स्थिर रखा था । अभियोजन पक्ष का तर्क है कि वर्तमान प्रकरण में भी बलात्कार के प्रकरण में अभियोजित, विचारित और दोषमुक्त होने के उपरान्त बलात्कार की रिपोर्टकर्ता, उसके सास–ससुर और अन्य लोग, जो उक्त प्रकरण में साक्षी थे या उक्त परिवार के समर्थन में थे, सभी पर वर्तमान प्रकरण के अभियुक्त ने कूरतापूर्वक घटना कारित कर 03 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें बलात्कार की कथित पीड़िता और रिपोर्टकर्ता शामिल हैं । तीन अन्य लोग संयोगवश उचित चिकित्सा सहायता एवं चिकित्सीय समर्थन पर से बच सके । एक अन्य व्यक्ति अनुपस्थित होने के कारण बच सका । अतः इस प्रकरण के तथ्य उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के प्रकरण के तथ्य से ज्यादा गंभीर हैं । अभियोजन इन सभी माननीय न्याय दृष्टान्तों पर अवलम्बन करता है, अतः अभियुक्त को दोषी पाकर अधिकतम देय दण्ड अधिरोपित किये जाने का निवेदन किया गया है ।

07. 1. इस प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से लिखित और मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके अनुसार बचाव पक्ष का तर्क है कि, गवाहों के कथनों और पुलिस कथनों में अन्तर पाया गया है । मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य में भिन्नता पाई गई है । जिन परिस्थितियों में किये गये अपराध के बाबत् निष्कर्ष निकाला जाना पाया जाता है, उन्हें अकाट्य रुप से और दृढ़तापूर्वक साबित करना चाहिए । बचाव पक्ष के अनुसार अ.सा.नं.01 तुलसीराम साहू ने अपने बयान की कंडिका 04 में बताया है कि, उसकी पत्नी रत्ना बचाओ–बचाओ चिल्ला रही थी, उसके पेट, गर्दन, नाक में चोट लगी थी, खून से लथपथ थी । उसने अपनी पत्नी से पूछा कि किसने मारा है तो रत्ना ने बताया था कि छन्नू वर्मा ने मारा है । बयान की कंडिका–15 के अनुसार जब वह गांव पहुंचा तो पुलिस पहुंच चुकी थी । अ.सा.नं.30

संतोक राम लहरे के बयान की कंडिका–27 के अनुसार उसने फिरंतीन बाई को मौके पर पड़े देखा था और रत्ना बाई को कमरे में पड़े देखा था, दोनों बेहोश थे, दरवाजा खुला हुआ था, उसके साथ बहुत से लोग गये और लोग आ–जा रहे थे । इस पर बचाव पक्ष के अनुसार संतोक राम लहरे के कथनों के प्रकाश में साक्षी तुलसीराम साहू असत्य कथन कर रहा है, उसके कथन संदेहास्पद हैं ।

2. अ.सा.नं.02 अनूप साहू के प्रतिपरीक्षण की कंडिका–05 के अनुसार उसने पुलिस के अलावा गांव वालों को किसी को चाकू लेकर आने की बात नहीं बताया था । उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखायी । चाकू लोहे का था या स्टील का था, वह नहीं जानता । अतः बचाव पक्ष के अनुसार साक्षी असत्य कह रहा है । अगर उसने चाकू देखा होता तो गांव के अन्य लोगों को बताता या पुलिस में रिपोर्ट करता और चाकू की विशेष पहचान भी बताता । मेमोरेण्डम और जब्ती के साक्षी गोपाल मारकण्डेय और शंकर बंजारे हैं, उन्हें पुलिस ने कोई नोटिस नहीं दिया था । गोपाल मारकण्डेय के बयान की कंडिका–03 के अनुसार वह तालाब के किनारे बैठा था तब उसे पुलिस ने बुलाया था और बाद में वह एक बार थाना गया था । थाने में कितने कागजातों पर हस्ताक्षर किया है, उसे याद नहीं है, उन्हें नहीं पढ़ा था । साक्षी गोपाल मारकण्डेय के अनुसार अभियुक्त का विशेष बयान नहीं हुआ था, पुलिस ने पूछताछ की थी । तालाब में लोग नहाने जाते हैं, वह खुले क्षेत्र में है । चाकू की विशेष पहचान नहीं बता सकता । उसे शर्ट का रंग याद नहीं है ।

3. अ.सा.नं.05 शंकर लाल बंजारे, अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है । पुलिस वालों के बुलाने पर प्रदर्श पी–09 पर हस्ताक्षर करने की बात कही है । अभियुक्त से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की और उसके बताने पर किसी चीज की जब्ती नहीं की । उसने मात्र प्रदर्श पी–10 और 11 में हस्ताक्षर किये हैं । इस पर बचाव पक्ष का तर्क है कि, चूंकि दोनों गवाह अभियोजन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जब्ती खुले क्षेत्र में हुई है, वहां लोग आसानी से आ–जा सकते हैं, इसलिए मेमोरेण्डम और जब्ती प्रमाणित नहीं है । अ.सा.नं.06 श्रीमती मीरा बंछोर के अनुसार उसके चिल्लाने पर उसके पति आ गये थे, वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई थी, होश में

(108) (318)

आने पर पता चला कि उसे उपचार के लिए सेक्टर–09 अस्पताल में भर्ती किया गया था । उसके सपोर्ट में मिश्रा वकील साहब हैं । बचाव पक्ष के अनुसार, श्रीमती मीरा बंछोर, गेंदलाल और छन्नू बंछोर, तीनों बात कर रहे थे और होश में थे, यह बात अ.सा.नं.30 संतोक राम लहरे के कथन से असत्य हो जाती है । गवाह झूठ बोल रही है और अभियुक्त को फंसा रही है ।

4. अ.सा.नं.07 गेंदलाल ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि, वह घर में बेहोश हो गया था, उसे सेक्टर–09 अस्पताल में होश आया, किन्तु अ.सा.नं.30 संतोक राम लहरे के अनुसार गेंदलाल वर्मा बात कर रहा था, मीरा बंछोर और छन्नू बंछोर भी बात कर रहे थे । यह बात इस साक्षी के कथन से असत्य हो जाती है । अ.सा.नं.08 श्रीमती बसन्ता बाई के न्यायालयीन कथन के अनुसार मीरा बंछोर को चाकू से मारने पर वह बेहोश होकर गिर गई थी तथा यह साक्षी डरकर घर के पीछे दरवाजे से भाग गई थी । बचाव पक्ष के अनुसार खलिहान अलग स्थल है और बरामदा अलग स्थल है, अतः वह खलिहान में बर्तन मांजने की जो बात कह रही है, वह असत्य है । बचाव पक्ष के अनुसार मीरा बंछोर ने पुकारने पर अपने पति के आने की बात कही है, किन्तु बसन्ता बाई, छन्नू बंछोर के बारे में कुछ नहीं बता रही है, इसलिए बसन्ता बाई के कथन स्वीकार योग्य नहीं हैं । सुखदेव यादव अभियोजन साक्षी के अनुसार उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि चिल्लाने की आवाज सुनकर छन्नू बंछोर घर के अंदर गया और उसके कुछ समय बाद छन्नू बंछोर और छन्नू लाल वर्मा कोठार में आये । यह साक्षी यह भी नहीं जानता कि छन्नू बंछोर को मारकर छन्नू वर्मा वहां से चला गया था। अतः बचाव पक्ष के अनुसार यदि यह साक्षी घटना के समय मौजूद रहता तो सही बात बताता । इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कंडिका–05 में यह बताया गया है कि छन्नू वर्मा बनियान और गमछा पहना था और हेमू निर्मलकर के यहां ले जाते समय छन्नू बंछोर पैदल चलते हुए गया था ।

5. अ.सा.नं.06 श्रीमती मीरा बंछोर अपने बयान की कंडिका–09 में कहती है कि अभियुक्त पैंट–शर्ट पहना था, किन्तु किस रंग के कपड़े पहना था, वह नहीं बता सकती । अतः बचाव पक्ष के अनुसार वास्तव में क्या कपड़े अभियुक्त ने पहने थे, संदेहास्पद है । अ.सा.नं.10 जयलाल धनकर के कथन के अनुसार उसे बयान देने के लिए समझाया गया है । बचाव पक्ष का

तर्क है कि, सोनू जो बाल साक्षी है अवश्य ही उसे भी समझाया गया होगा, ताकि वह झूठा बयान न्यायालय में दे । अतः सारे बयान संदेहास्पद हैं । अ. सा.नं.11 श्रीमती दुर्गा बाई वृध्दा है, वह अपनी बहू को बेहोश होकर गिरने की बात कहती है, बाहर की घटना न देखने की बात कहती है । इस प्रकार इस साक्षी ने घटना नहीं देखी है । दुर्गा बाई, मीरा बंछोर के पुकारने पर छन्नू बंछोर के आने की बात भी नहीं जानती । साक्षी सत्यवान सही–सही बात बता रहा है किन्तु सोची–समझी साजिश में विरोधाभास है और उनके कथन एक–दूसरे को काटते हैं । अ.सा.नं.13 डॉक्टर संजय कुमार भोई के अनुसार शाम 7.45 बजे छन्नू लाल बंछोर को उपचार के लिए आपात कक्ष में लाया गया था, उसे उसके निवास में किसी ने चाकू से हमला कर चोट पहुंचाया था, छन्नू सचेत अवस्था में था । बचाव पक्ष के अनुसार छन्नू लाल बंछोर ने अस्पताल में किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बताया । अ.सा. नं.14 डॉक्टर मीनाक्षी दवे के अनुसार उसने मीरा बंछोर को होश में होना पाया था । गेंदलाल ने भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बताया था और वह भी सचेत था । अतः बचाव पक्ष का तर्क है कि, दोनों साक्षी बेहोश होने की बात असत्य कह रहे हैं और जब वे सचेत थे तो मारने वाले का नाम चिकित्सक को बता सकते थे ।

6. अ.सा.नं.15 रोशन उर्फ सोनू साहू के बाबत् बचाव पक्ष का तर्क है कि उसे सिखाया–पढ़ाया गया है, उसे बयान का दिनांक और दिन नहीं मालूम, किन्तु घटना के बाबत् समय और तिथि साक्षी ने बताया है और इस साक्षी को अभियुक्त ने न तो गाली दी है और न ही मारपीट की है। इससे स्पष्ट है कि इस साक्षी को सिखा–पढ़ा कर लाया गया है । यह साक्षी डर के कारण भागने की बात कहता है, किन्तु यह नहीं कहता कि उसने छुप कर घटना देखा है । मीरा बंछोर को चौरा में पटकने की बात कहता है, किन्तु मीरा बंछोर इस बात का समर्थन नहीं करती । अलग–अलग गवाह कपड़े के रंग के संबंध में अलग–अलग बात कहते हैं । अतः साक्षी के कथन संदेहास्पद हैं । इस साक्षी को डर प्रतीत नहीं हुआ, सारी घटना देखने के बाद डर लगा । अतः इस साक्षी के कथन के आधार पर निर्दोष को सजा नहीं दी जा सकती । अ.सा.नं.19 सोमन लाल रामटेके, आनंद राम के मकान में और मीरा बंछोर के मकान में 2–2 कमरे होने की बात इंकार करता है ।

इससे स्पष्ट है कि यह साक्षी घटना स्थल पर नहीं गया था । गया होता तो बताता कि आनंद राम के यहां 2 कमरे हैं और परछी है, मीरा बंछोर के यहां 5 कमरे हैं । अतः यह साक्षी असत्य कह रहा है ।

7. अ.सा.नं.22 तोशन साहू के अनुसार आनंद राम और सोनू बचाओ–बचाओ चिल्लाते हुए आ रहे थे । आनंद राम के शरीर से खून निकल रहा था । वह अपने घर की तरफ गया था । तुलसी राम इस साक्षी का दूर का चाचा लगता है । यह साक्षी न्यायालय के बाहर अपने अधिवक्ता से मिलने की बात कहता है । इसने अभियुक्त को मारते नहीं देखा है, उसे चाकू लेकर खड़े देखा है । यह हितबध्द साक्षी है । दादा और पोते इस साक्षी को मारने वाले का नाम नहीं बताते । स्पष्ट है कि अभियुक्त ने कोई मारपीट नहीं की है । अ.सा.नं.23 डॉक्टर ठाकुर अजय सिंह के अनुसार उसे चोट की गहराई का पता नहीं चला था और आहत को उपचार के लिए उच्च चिकित्सीय संस्थान संदर्भित कर दिया था और उसने चोटों की प्रकृति का निर्धारण नहीं किया था । इस साक्षी को पोस्टमार्टम करने के दिनांक को हथियार नहीं दिखाया गया । शव परीक्षण के तहरीर में चाकू से हमला कर चोट पहुंचाना पुलिस वालों ने लिखा था। सील में क्या छपा था और किसके हस्ताक्षर थे, यह साक्षी नहीं जानता और एक माह दो दिन बाद चाकू को जांच के लिए भेजा गया था, तब तक चाकू कहां था, इसका कोई साक्ष्य नहीं है । अतः कथन संदेहास्पद हैं । जहां एक से ज्यादा व्यक्तियों पर हमला हुआ हो वहां केवल मानव रक्त से विचार नहीं किया जा सकता, उनके समूह क्या थे और रक्त हथियार में था या नहीं, यह प्रमाणित करना चाहिए । अतः यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि अभियुक्त के कपड़े में पाये गये खून और मृतकों के खून एक रक्त समूह के थे या नहीं ।

8. अ.सा.नं.27 डॉक्टर ज्योतिरंजन पुत्थल के अनुसार छन्नू लाल बंछोर के सोनोग्राफी में कोई अंदरुनी चोट नहीं थी । मीरा बंछोर के छाती और पेट के सोनोग्राफी में कोई चोट नहीं थी और इस प्रकार दोनों को भीतरी चोट प्रमाणित नहीं है । अ.सा.नं.29 पराग गुप्ता के अनुसार तीनों मरीज ने हमलावर के बतौर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बताया । अ.सा.नं.30 निरीक्षक, संतोक राम लहरे के बयान की कंडिका–27 के अनुसार यदि आंगन में खड़े हों तो कमरे का दृश्य नहीं दिखता । इस साक्षी ने मौके

.....26

पर फिरन्तीन बाई को पड़े देखा और रत्ना बाई को कमरे में पड़े देखा, दोनों बेहोश थे । इसी गवाह के बयान की कंडिका–31 के अनुसार उसने चाकू के दोनों तरफ लकड़ी की मूठ पाई थी और वर्तमान में मात्र एक ओर लकड़ी दिख रही है, दूसरी ओर की लकड़ी अनुपस्थित है । इस साक्षी ने चाकू में कुछ दूरी तक भोथरे दिशा में दांते बने रहने की बात नहीं लिखी है । चाकू मालखाना में जमा करने की पावती प्रकरण में संलग्न नहीं है और एक माह, दो दिन पश्चात् चाकू डॉक्टर के पास भेजा गया था । इस साक्षी के अनुसार एक अकेला व्यक्ति छः व्यक्तियों से नहीं निपट सकता, यदि मुकाबला करेगा तो उसके शरीर पर नोंच–खरोंच के चिन्ह आना स्वाभाविक है किन्तु अभियुक्त का मुलाहिजा नहीं कराया गया । बचाव पक्ष के अनुसार यह सारी बातें संदेह उत्पन्न करती हैं ।

9. बचाव पक्ष का तर्क है कि मीरा बंछोर के नेतृत्व में शक्ति का दुरुपयोग कर रत्ना बाई, फिरन्तीन बाई, आनन्द राम साहू, गेंदलाल, तुलसी राम सभी मिलकर अभियुक्त के विरुध्द झूठा प्रकरण बनाते रहे हैं । घटना घटी है, किन्तु घटनाकर्ता कोई अन्य व्यक्ति है । बचाव पक्ष का तर्क है कि, अपराध कमांक 85/09, धारा 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 04–11–2009 को अभियुक्त निर्दोष सिध्द हुआ था । अभियुक्त के विरुध्द अपराध कमांक 128/11 दिनांक 19–10–2011, अपराध कमांक 21/11 दिनांक 14–02–2011 एवं अपराध कमांक 43/11 दिनांक 12–04–2011 के झूठे मामले बनाये गये हैं । अब सीधे उसे मर्डर केस में फंसाया गया है । प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता मिश्रा जी ने गवाहों को सिखाया–पढ़ाया है । बाल साक्षी का कथन स्वीकार योग्य नहीं है । पूर्व में भी अभियुक्त को धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरण में झूठा फंसाया गया था । अभियोक्त्री के पति ने धमकी देकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी । बाल साक्षी का कथन अस्वाभाविक है । मीरा बंछोर गांव के लोगों पर दबाव बनाकर अभियुक्त को अनेकों मामले में झूठा फंसा रही है । अतः अभियुक्त को बेगुनाह मानते हुए दोषमुक्त घोषित किया जावे ।

10. बचाव पक्ष ने अपने पक्ष समर्थन में ***2004 क्रिमिनल लॉ जर्नल पृष्ठ 438 (बाम्बे उच्च न्यायालय), पक्षकार–राज्य बनाम आई. एस.बाबर*** प्रस्तुत किया है, जिसमें खुले स्थान पर सामानों की जब्ती के

आधार पर हत्या को प्रमाणित नहीं माना जा सकता । *2006(2) एम.पी.एल.जे. पृष्ठ 97 (मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय), पक्षकार–दयाराम एवं अन्य बनाम राज्य* प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्धारित अनुसार महज खून के धब्बे होने से उसे अभियुक्त के विरुध्द तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि रक्त का समूह मेल न खावे । उस पर से माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी पक्ष की दोषसिध्दि और दण्डादेश अपास्त किया था और हत्या के प्रयोजन को भी प्रमाणित नहीं पाया था । *2003 (1) सी.जी.एल.जे. पृष्ठ 343, पक्षकार–मुकेश साहू बनाम राज्य* में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, खुले स्थान पर वस्तु पाया जाना और जब्ती के साक्षियों के पक्षद्रोही हो जाने से यह नहीं माना जा सकता कि उक्त पत्थर या वस्तु का ज्ञान केवल अभियुक्त को था । अतः प्रकटीकरण विधि सम्मत नहीं पाया गया और अभियुक्त के कपड़े में पाये गये खून मृतक के रक्त समूह दोनों एक ही वर्ग के हैं, यह भी प्रमाणित नहीं है । अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को दोषमुक्त घोषित किया गया। *2004(3) एम.पी.एच.टी. 249 (मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय), पक्षकार–जगन्नाथ बनाम म.प्र.राज्य* में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि, साक्षी को सिखाया–पढ़ाया गया था और उसका पूर्व कथन पढ़कर सुनाया गया था । अभिलेख पर अन्य कोई सारवान साक्ष्य मौजूद नहीं थे । अतः दोषसिध्दि और दण्डादेश अपास्त कर अपील मंजूर की गई ।

11. इन सभी माननीय न्याय दृष्टान्तों के आधार पर बचाव पक्ष का तर्क है कि वे इन सभी माननीय न्याय दृष्टान्तों पर अवलम्बन लेते हैं, अतः उनमें प्रतिपादित न्यायिक सिध्दान्तों के अंतर्गत अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे ।

08. इस प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त कथन में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं मालूम अथवा असत्य है, के बतौर व्यक्त किये गये हैं । इस प्रकार अभियुक्त ने किसी भी तथ्य को अभियुक्त कथन में स्वीकार नहीं किया है । दूसरी ओर इस घटना में आनंदराम साहू, रत्ना साहू, फिरंतीन बाई की मृत्यु हो जाने एवं मीरा बंछोर, छन्नू बंछोर और गेंदलाल वर्मा को उपहतियां कारित होने के तथ्य को अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष ने चुनौती

नहीं दी है । इस प्रकार उपरोक्त तथ्य अविवादित एवं चुनौतीविहीन हैं । अभियुक्त ने प्रदर्श पी–72 के जरिए उसका चिकित्सीय परीक्षण होने के तथ्य को स्वीकार किया है, मात्र यह कहा है कि उसकी तबियत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको इलाज के लिए ले गये थे । प्रकरण में अन्य सभी तथ्य विवादित हैं और उन्हें बचाव पक्ष की ओर से चुनौती नहीं दी गई है ।

09. इस प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के जो कथन समर्थन में प्रस्तुत किये गये हैं, वे कुल 30 साक्षी परीक्षित किये गये हैं । बचाव पक्ष की ओर से किसी भी बचाव साक्षी का कथन समर्थन में नहीं कराया गया है ।

10. अभियोजन साक्षियों के कथन जो न्यायालय में कराये गये हैं, के कथनों के सार के अनुसार अ.सा.नं.01 तुलसीराम साहू इस बिन्दु पर है कि, वह रत्ना का पति है तथा फिरंतीन और आनंदराम का पुत्र है, वह घटना दिनांक को बाहर गया था, मनोज के बुलाने पर शाम 06 बजे वापस आया । उसने मीरा बंछोर को उसके घर के पास खून से लथपथ देखा, लोगों की भीड़ लगी थी । उसके घर के बाहर एक चबूतरे में उसका पिता आनंदराम साहू खून से लथपथ पड़े थे । फिर वह अपने घर गया, उसने अपनी मां फिरंतीन को आंगन में खून से लथपथ मृत हालत में देखा । कमरे में गया तो उसकी पत्नी के पेट, गर्दन, नाक में चोट थी, वह खून से लथपथ थी, बचाओ–बचाओ चिल्ला रही थी । उसने पूछने पर बताया कि छन्नू वर्मा ने उसे चाकू से मारा है । यह साक्षी रत्ना बाई के शव के पंचनामा की नोटिस प्रदर्श पी–01, शव पंचनामा प्रदर्श पी–02 का साक्षी है और इसने रत्ना बाई के शव को प्रदर्श पी–03 के जरिए सुपुर्दनामा पर प्राप्त किया था और घटना स्थल का नज़री नक्शा प्रदर्श पी–04 उसके सामने बनाया गया था ।

11. अ.सा.नं.2 अनूप साहू के अनुसार वह अपने भाई रामस्वरुप के घर गया था । अभियुक्त चाकू लेकर आया, रामस्वरुप कहां है पूछा, नहीं है कहने पर चाकू को जेब में रखकर चल दिया और कह रहा था कि 20 साल के लिए जेल जाऊंगा वहां से आने के बाद भी रामस्वरुप को जान से मारुंगा। यह साक्षी आनंदराम साहू के शव पंचनामा की नोटिस प्रदर्श पी–05 और उसके शव पंचनामा प्रदर्श पी–06 तथा फिरंतीन के शव पंचनामा की नोटिस प्रदर्श पी–07 तथा उसके शव पंचनामा प्रदर्श पी–03 का साक्षी है । अ.सा.नं.3 गोपालराम मारकण्डे इस बिन्दु पर है कि, अभियुक्त ने चाकू को

सत्र न्यायाधीश दुर्ग (छ.ग.)

तालाब के पार में फेंकने, शर्ट को तालाब के पानी में फेंकने का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–09 दिया था, उसका जब्ती पत्र प्रदर्श पी–10 है तथा फुलपेंट और सेण्डो की जब्ती प्रदर्श पी–11 इस साक्षी के समक्ष तैयार की गई थी । अ.सा.नं.4 संतोष कुमार घिरवानी इस बिन्दु पर है कि, उसने मीरा बंछोर के घटना स्थल घर का फोटो खींचा था । छन्नू बंछोर के ब्यारा में और मीरा बंछोर के घर की परछी में खून मिश्रित मिट्टी को जब्त किया गया था । चबूतरे से भी खून मिश्रित मिट्टी जब्त की गई थी, जिसका जब्ती मत्र प्रदर्श पी–12 है । फिरंतीन के घर से खून आलूदा मिट्टी प्रदर्श पी–13 के जरिए जब्त की गई थी । गेंदलाल के घर से खून आलूदा मिट्टी प्रदर्श पी–14 के जरिए जब्त की गई थी ।

12. अ.सा.नं.5 शंकर लाल बंजारे मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–09 और जब्ती पत्र प्रदर्श पी–10 और 11 का साक्षी है, किन्तु उसने इन तथ्यों के बाबत् अभियोजन का समर्थन नहीं किया है । उसके अनुसार मात्र पुलिस वाले अभियुक्त को गाड़ी में लेकर आये थे, उन्होंने उसे वहां बुलाया था, लिखापढ़ी की थी और उसके दस्तखत लिए थे। अ.सा.नं.6 श्रीमती मीरा बंछोर इस बिन्दु पर है कि, वह दुर्गा बाई के साथ अपने घर के बरामदे में बैठी थी, बर्तन धोने वाली महिला बसन्ता यादव बर्तन साफ कर रही थी, उसी समय रत्ना बाई का पुत्र सोनू दौड़कर आकर बताया कि अभियुक्त, आनंदराम साहू, फिरंतीन बाई और रत्ना बाई को मार रहा है। उसी समय अभियुक्त वहां चाकू लेकर आया, उसके कपड़े में खून लगा था, उसे कहा कि वह जान से मार देगा और उसकी छाती पर चाकू से मारा । अभियुक्त ने उसे छाती, हाथ की अंगुली, बांये कंधे और पीठ में अनेकों प्रहार किए । उस समय उसके पति घर के पीछे के खलिहान में बैठे थे । इस साक्षी की सास ने अभियुक्त से बहू को मारने से मना किया था । इस साक्षी के पति के आने पर वह बेहोश हो गई थी और फिर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था । इस साक्षी की साड़ी पुलिस ने जब्ती पत्र प्रदर्श पी–16 के जरिए जब्त की थी । इस साक्षी को बाद में पता चला कि उसके पति को भी अभियुक्त ने चाकू मारा है, गेंदलाल को भी चाकू से मारा है और फिरंतीन, आनंदराम तथा रत्ना की मृत्यु हो गई है । अ.सा.नं.7 गेंदलाल वर्मा इस बिन्दु पर है कि, जब वह शाम को घर लौट रहा था, छन्नू बंछोर के घर के पास

325

खून फैला देखा, वह उसे देख रहा था तभी अभियुक्त वहां आकर झूठा गवाही बनने आया है कहकर चाकू से उसके पेट में मारा, उसका पेट कट गया, अतड़ी बाहर निकल गई, खून निकला, वह पेट को दबाकर अपने घर गया, अपनी पत्नी को बताया कि उसे अभियुक्त ने चाकू से मार दिया है, वह बेहोश हो गया फिर वह अस्पताल में 10 दिन तक भर्ती रहा । इस साक्षी को भी बाद में पता चला कि आनंदराम, उसकी बहू तथा उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तथा अभियुक्त ने मीरा बंछोर और छन्नू बंछोर को भी चाकू से मारा था । इस साक्षी से पुलिस ने उसकी कमीज और बनियान जब्ती पत्र प्रदर्श पी-17 के जरिए जब्त किया था ।

13. अ.सा.नं.8 श्रीमती बसन्ता बाई इस बिन्दु पर है कि, वह घटना दिनांक को शाम 05 बजे छन्नू बंछोर के घर बर्तन साफ कर रही थी, मीरा बंछोर और उसकी सास अपने घर के बरामदे में बैठे थे, तब अभियुक्त चाकू लेकर आया और मीरा बंछोर को चाकू से मारने लगा, जिससे खून निकला और वह बेहोश हो गई, तब यह साक्षी वहां से घर के पीछे के दरवाजे से भाग गई । अ.सा.नं.9 सुखदेव यादव इस बिन्दु पर है कि, वह और जयलाल, छन्नू बंछोर के खलिहान में धान उड़ा रहे थे, छन्नू बंछोर वहीं कोठार में बैठा था, उसके बचाओ-बचाओ की आवाज सुनकर वे लोग गये और देखे कि अभियुक्त, छन्नू बंछोर को चाकू से मार रहा है, चाकू गले के पास लगा था, खून निकल रहा था । अभियुक्त ने चाकू के दो वार किये थे और जान से मार दूंगा कहकर उसे चाकू से मारा था । अ.सा.नं.10 जयलाल धनकर ने भी अ.सा.नं.9 सुखदेव यादव सरीखे बयान दिया है । अतिरिक्त रुप में यह बताया है कि, जब वह छन्नू बंछोर के घर के अंदर गया तो देखा कि मीरा बंछोर को भी चाकू लगा था और वह जमीन पर पड़ी थी और उसका शरीर खून से गीला था और उसके सिर, कंधे और पीठ में चोट लगी थी और छन्नू बंछोर के घर के बाहर चबूतरे में आनंदराम साहू खून से लथपथ पड़ा था और वह मर गया था । इस साक्षी के अनुसार पुलिस ने मीरा बंछोर की साड़ी और आनंदराम के गमछा और छन्नू बंछोर के कपड़े को, जो खून से भीग गया था, जब्त किया था ।

14. अ.सा.नं.11 श्रीमती दुर्गा बाई घटना दिनांक को शाम 05 बजे अपने घर में मीरा बंछोर के साथ थी, बसन्ता बाई बर्तन साफ कर रही थी,

सत्र न्यायाधीश दुर्ग (छ.ग.)

तभी रत्ना का पुत्र सोनू रोते आकर बताया कि अभियुक्त, रत्ना, आनंदराम और फिरंतीन को चाकू से मार रहा है, तब वह उसे लेकर बाहर निकली, उसी समय अभियुक्त, आनंदराम साहू को चाकू से मारते हुए लाया और उनके घर के चौरा में पटक दिया । फिर वह उनके घर के अंदर घुसकर मीरा बंछोर को चाकू से गर्दन के पीछे मारा, अन्य भागों पर भी मारा । फिर वह वहां से निकलकर ब्यारा में गया और वहां उसके पुत्र छन्नू बंछोर को भी चाकू से मारा था । इस साक्षी ने देहाती नालिशी प्रदर्श पी–18 लिखायी थी, देहाती मर्ग प्रदर्श पी–19 दर्ज करायी थी और इस साक्षी के सामने नक्शा प्रदर्श पी–04 और प्रदर्श पी–15 बनाया गया था । अ.सा.नं.12 ओमप्रकाश साहू, आनंदराम के शव पंचनामा की नोटिस प्रदर्श पी–05 पाकर शव पंचनामा में शामिल हुआ था, और इसके समक्ष प्रदर्श पी–06 का शव पंचनामा तैयार किया गया था । अपनी मां फिरंतीन बाई के शव पंचनामा की नोटिस प्रदर्श पी–07 पाकर उसके शव पंचनामा प्रदर्श पी–08 में शामिल हुआ था । रत्ना बाई के बाबत् भी पुलिस ने शव पंचनामा की कार्यवाही की थी । उसके पिता आनंदराम के गर्दन, कूल्हे, बांये कांख के पास चाकू के चोट के निशान थे । फिरंतीन बाई के मुंह पर चाकू के चोट के निशान थे । शव परीक्षण के उपरान्त आनंदराम का शव उसे प्रदर्श पी–20 के जरिए कफन–दफन के लिए दिया गया था ।

15. अ.सा.नं.13 डॉक्टर संजयकुमार भोई ने छन्नू लाल बंछोर की चोटों की जांच की थी, बांये पीठ के ऊपरी भाग, सिर के बांये पेराइटल भाग में, दाहिने छाती में कटे और घोंपे हुए घाव थे, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था । उनका प्रतिवेदन प्रदर्श पी–21 है और भर्ती पर्ची प्रदर्श पी–22 है। उसी दिनांक को रत्ना साहू को मृत हालत में अस्पताल में लाया गया था, जिसके बाबत् उसने मृत्यु की सूचना प्रदर्श पी–23 तैयार की थी । अ.सा.नं. 14 डॉक्टर मीनाक्षी दवे ने मीरा बंछोर का चिकित्सीय परीक्षण किया था, उसके शरीर पर छाती, बांये गर्दन, बांये पीठ के ऊपर, पीठ में दोनों स्केपुला हड्डी के बीच में, बांये तर्जनी अंगुली पर कुल मिलाकर 05 कटे हुए घाव और खरोचें आदि पाई थी तथा उसकी चोटों की जानकारी प्रदर्श पी–25 में लिखकर दी थी । गेंदलाल वर्मा का भी उसने चिकित्सीय परीक्षण किया था, उसके पेट के बांये तरफ निचले भाग में कटा हुआ घाव पाया था, उसे भर्ती

327

किया गया था। बेड हेड टिकट प्रदर्श पी–26 उसके व्दारा हस्ताक्षरित है और प्रदर्श पी–26 के अनुसार उसने चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–27 भेजी थी । इस साक्षी को कपड़े प्रेषित कर अभिमत् मांगा गया था कि उसमें मानव रक्त हैं या नहीं, इस बाबत् उसने उनके रासायनिक परीक्षण की सलाह दी थी तथा इस बिन्दु पर पूछा गया था कि, क्या तुरन्त इलाज न होने पर आहतों की मृत्यु हो सकती थी, तब उसने प्रदर्श पी–28 का अभिमत् दिया था कि तत्काल उपचार न होने पर मृत्यु संभावित थी । उसने प्रदर्श पी–29 का पत्र लिखकर गेंदराम वर्मा और प्रदर्श पी–30 का पत्र लिखकर मीरा बंछोर के अस्पताल में भर्ती होने बाबत् सूचना दी थी ।

16. अ.सा.नं.15 रोशन उर्फ सोनू साहू, जो बाल साक्षी है, इस बिन्दु पर है कि, उसके न्यायालय में बयान देने के 10 माह पहले दीपावली के समय शाम 05 बजे अभियुक्त ने उसकी मां को गाली दी, उसके दादा के मना करने पर चाकू निकालकर उसके दादा आनंदराम को चाकू से मारा, फिर कमरे में घुसकर उसकी मां रत्ना बाई को चाकू से पेट और गले में मारा, फिर उसकी दादी फिरंतीन बाई को आंगन में चाकू से मारा तथा उसके दादा आनंदराम को मारते–मारते मीरा बंछोर के घर के पास ले जाकर वहां पटक दिया । इस साक्षी ने मीरा बंछोर के घर जाकर उन्हें जानकारी दिया । अभियुक्त वहां पर भी आ गया और मीरा बाई को भी चाकू से मारा तथा उसके दादा के कमर में फिर मारा । फिर वह अपने बड़े पिता स्वरुप के घर चला गया । इस घटना में उसके दादा–दादी और मां की मृत्यु हो गई है। अ.सा.नं.16 खुलेश्वर गायकवाड़, आरक्षक ने मर्ग प्रदर्श पी–19 और प्रदर्श पी–23 को थाना रानीतराई में ले जाकर दिया और इसने प्रदर्श पी–31 अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना दर्ज करायी थी ।

17. अ.सा.नं.17 मान सिंह सोनवानी, प्रधान आरक्षक के अनुसार उसने देहाती मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–19 को प्रदर्श पी–32 के बतौर पंजीबध्द किया था और देहाती नालिशी प्रदर्श पी–18 के आधार पर प्रदर्श पी–33 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी थी। अ.सा.नं.18 विंध्याचल यादव, सेक्टर 09 अस्पताल के कर्मचारी के अनुसार डॉक्टर भोई के व्दारा सूचना देने पर रत्ना साहू के बाबत् सेक्टर–06 कोतवाली भिलाई थाने में मर्ग सूचना प्रदर्श पी–34 शून्य पर दर्ज कराया था । अ.सा.नं.19 सोमनलाल रामटेके,

पटवारी ने गवाहों की उपस्थिति में घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श पी–04 बनाया था और उनके हस्ताक्षर लिये थे । अ.सा.नं.20 संतोष सोनी, आरक्षक ने आनंदराम के शव का परीक्षण प्रदर्श पी–35 के जरिए और फिरंतीन बाई के शव का परीक्षण प्रदर्श पी–36 के जरिए करवाया था और दोनों के शव को ओमप्रकाश को प्रदर्श पी–20 के जरिए सुपुर्दनामें पर दे दिया था । उसकी ड्यूटी सर्टिफिकेट प्रदर्श पी–37 और प्रदर्श पी–38 है । उसने सीलबंद पैकेट आनंदराम से संबंधित प्रदर्श पी–39 के जरिए, फिरंतीन बाई से संबंधित प्रदर्श पी–40 के जरिए और रत्ना बाई से संबंधित प्रदर्श पी–41 के जरिये जब्त कराए थे ।

18. अ.सा.नं.21 डॉक्टर श्रीमती लता देवांगन के अनुसार उसने मीरा बंछोर का एक्स–रे लिया था, जिसका प्रतिवेदन प्रदर्श पी–42 है । गेंदलाल वर्मा का भी एक्स–रे लिया था, जिसमें पेट में फ्री गैस पाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–43 है । छन्नू बंछोर का भी एक्स–रे लिया था, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–44 है । अ.सा.नं.22 तोशन साहू के अनुसार उसने देखा कि आनंदराम और सोनू बचाओ–बचाओ चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आ रहे थे, आनंदराम के शरीर से खून निकल रहा था । जब वह ब्यारा से लौटा तो उसने देखा कि अभियुक्त उसके घर के सामने खड़ा था और पूछा कि तुम्हारा पिता रामस्वरुप कहां गया है, तब उसने कहा कि वह बाजार गये हैं, तब उसने कहा कि वह रामस्वरुप को ले जाएगा उसे मारेगा । फिर इस साक्षी ने मीरा बंछोर के चबूतरे के पास आनंदराम के शव को खून से लथपथ देखा, वहां से वापस आने पर अभियुक्त उसके घर के पास खड़ा था और उसके हाथ में चाकू था, जिसमें खून लगा था और कह रहा था कि जब तक पुलिस नहीं आयेगी मैं यहां से नहीं जाऊगा, यहीं खड़ा रहूंगा और वह वहीं पर था ।

19. अ.सा.नं.23 डॉक्टर ठाकुर अजय सिंह ने छन्नू बंछोर का चिकित्सीय परीक्षण किया था । उसके शरीर में बांये स्केपुलर रीजन में एक घोंपा हुआ कटा घाव था, एक कटा हुआ घाव बांये पेराइटल क्षेत्र में था, एक कटा हुआ तथा घोंपा हुआ घाव दाहिने कंधे के क्लेविकुलर हड्डी के भाग पर था । तीनों चोटें धारदार वस्तु से आई थी । आहत को आगे उपचार के लिए संदर्भित किया गया था । चोटों से निरन्तर खून निकल रहा था । इस

संबंध में उनका प्रतिवेदन प्रदर्श पी–45 है । इस साक्षी ने 20–10–2011 को फिरंतीन बाई के शव का परीक्षण किया था । शव परीक्षण में चेहरे पर, चेहरे के नीचे, बांये भुजा के ऊपरी भाम में, सिर के बांये भाग पर कान के पीछे, कटे हुए 04 चोटें पाई थी । कालर बोन के ऊपर एक घोंपा हुआ घाव पाया था । नाभि से छाती के बीच छूरे से पहुंचाई गई चोट पाई गई थी । सभी चोटें तत्काल पहुंचाई गई थी, धारदार नुकीले वस्तु से आई थी और प्रकृति के सामान्य अनुकम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । कटी चोटों से रक्तस्त्राव होने और सदमे से मृत्यु हुई थी, जो हत्यात्मक प्रकृति की थी। मृत्यु का समय शव परीक्षण करने के समय से 24 घंटे के अंदर की थी । शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–46 है ।

20. इसी चिकित्सक ने आनंदराम के शव का परीक्षण किया था, उसके माथे के दाहिने भाग में भौंह के ऊपर, जबड़े में बांये रुटल क्षेत्र में, दाहिने भुजा के ऊपरी भाग में, बांये कंधे के जोड़ पर, कुल 05 कटे हुए घाव एवं नाभि के बांये भाग पर घोंपा हुआ घाव, बांये क्लेविकल हड्डी के ऊपर घोंपा हुआ घाव, बांये छाती पर घोंपा हुआ घाव मौजूद थे । चोटें धारदार और नुकीले वस्तु से आई थी । प्रकृति के सामान्य अनुकम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । अत्यधिक रक्त स्त्राव होने और सदमे से मृत्यु हुई थी । प्रकृति हत्यात्मक थी। मृत्यु का समय शव परीक्षण करने के समय से 24 घंटे के अंदर की थी । शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–47 है । इस साक्षी ने अन्य साथी चिकित्सक के साथ मिलकर रत्ना बाई के शव का परीक्षण किया था, उसके माथे के बांये भाग पर एक कटा हुआ घाव, नाक के पास एक कटा हुआ घाव, गाल से जबड़े तक एक कटा हुआ घाव एवं नाभि के ऊपर साइड से बांयी ओर गहराई तक एक घोंपा हुआ घाव पाया था । चोटें प्रकृति के सामान्य अनुकम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, नुकीले और धारदार वस्तु से पहुंचाई गई थी । अत्यधिक रक्त स्त्राव होने और सदमे से मृत्यु हुई थी। मृत्यु का समय शव परीक्षण करने के समय से 24 घंटे के अंदर की थी । प्रकृति हत्यात्मक थी । शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–48 है।

21. इसी चिकित्सक साक्षी ने प्रदर्श पी–49 के पत्र पर से साथ में भेजे गये चाकू का परीक्षण कर रेखाचित्र बनाया था और यह अभिमत् दिया

.....35

था कि, चाकू से कटे हुए घाव, स्टेब वूण्ड और लेसरेटेड वूण्ड आ सकते हैं, उचित उपचार न मिलने की दशा में मृत्यु संभावित थी, चाकू में रक्त मौजूद था, किन्तु रासायनिक परीक्षण कराया जाना चाहिए, कपड़ों में भी रक्त मौजूद था किन्तु रासायनिक परीक्षण कराया जाना चाहिए । अ.सा.नं.24 डॉक्टर तुषार रंजन मेहेर ने छन्नू बंछोर का एक्स–रे किया था और रिपोर्ट प्रदर्श पी–50 दी थी । अ.सा.नं.25 हेमलाल महिपाल, प्रधान आरक्षक ने जब्तशुदा वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए एफ.एस.एल. रायपुर में जमा किया था, जिसके बाबत् पुलिस अधीक्षक का ज्ञापन प्रदर्श पी–52 है और एफ.एस. एल. की पावती प्रदर्श पी–53 है। अ.सा.नं.26 लखन लाल टण्डन, सहायक उपनिरीक्षक के अनुसार उसने रत्ना बाई के शव के पंचनामा के लिए गवाहों को प्रदर्श पी–01 की नोटिस दिया था और प्रदर्श पी–02 के जरिए शव का पंचनामा तैयार किया था । शव में अनेकों स्थान पर कटे हुए घाव पाये गये थे । अ.सा.नं.27 डॉक्टर ज्योति रंजन पुत्थल के अनुसार उसने छन्नू लाल के छाती और पेट की सोनोग्राफी की थी और रिपोर्ट प्रदर्श पी–54 दी थी । मीरा बंछोर के छाती और पेट की सोनोग्राफी की थी और प्रदर्श पी–55 की रिपोर्ट दी थी ।

22. अ.सा.नं.28 डॉक्टर सुमन्ता मिश्रा के अनुसार छन्नू बंछोर को दि. 19–10–2011 को रात्रि 08 बजकर 06 मिनट पर भर्ती कराया गया था, उसका बेड हेड टिकट प्रदर्श पी–56 है । मरीज को दिनांक 26–10–2011 को डिस्चार्ज किया गया था । मीरा बंछोर को दिनांक 19–10–2011 को रात्रि 08 बजकर 13 मिनट पर भर्ती कर दिनांक 22–10–2011 को डिस्चार्ज किया गया था, जिसका बेड हेड टिकट प्रदर्श पी–57 है । गेंदलाल वर्मा को दिनांक 19–10–2011 को रात्रि 08 बजकर 33 मिनट पर भर्ती कर दिनांक 25–10–2011 को डिस्चार्ज किया गया था, जिसका बेड हेड टिकट प्रदर्श पी–58 है । अ.सा.नं.29 डॉक्टर पराग गुप्ता के अनुसार छन्नू बंछोर का उसने चिकित्सीय परीक्षण किया था, उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे, कटे हुए घाव बांये पीठ पर था, सीला हुआ घाव बांये सिर पर था, एक अन्य कटा हुआ घाव दांये कंधे पर था । इसके अतिरिक्त फेफड़े में चोट के कारण छाती और कांख के नीचे चमड़ी के नीचे हवा भरी थी । प्रारंभिक मूल्यांकन पत्रक प्रदर्श पी–59 है । मीरा बंछोर का भी परीक्षण किया

....36

सत्र न्यायाधीश दुर्ग (छ.ग.)

था, उसके शरीर पर भी छाती के नीचे एक कटा हुआ घाव, बांये सुप्राक्लेविकुलर रीजन में एक कटा घाव, वहीं पर एक और कटा घाव, इण्टर स्केपुलर रीजन में एक कटा हुआ घाव, हाथ में भी एक कटा हुआ घाव तथा छीला हुआ घाव चेहरे में पाया था । सारे घावों को बंद किया गया था । मूल्यांकन पत्रक प्रदर्श पी–60 है । गेंदलाल वर्मा का भी परीक्षण किया था, उसके शरीर पर भी बांये इलियक रीजन में एक कटा हुआ घाव, जो पेट के अंदर तक घुस गया था, पेट के अंदर हवा भरी थी। छोटी अतड़ी में 04 जगह छेद थे, बड़ी अतड़ी में भी छेद था, पेट के पीछे वाली जगह में खून भरा था, उनके बाबत् चिकित्सा की गई थी । छेदों को बंद किया गया था और इलाज किया गया था । मूल्यांकन पत्रक प्रदर्श पी–62 है ।

23. अ.सा.नं.30 संतोक राम लहरे ने प्रकरण में विवेचना की है । देहाती नालिशी प्रदर्श पी–18 मौके पर दर्ज की थी । देहाती मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–19 मौके पर दर्ज की थी । मौके का नक्शा प्रदर्श पी–15 बनाया था । आहतों को चिकित्सा के लिए सेक्टर–09 अस्पताल भेजा था तथा दिनांक 20–10–2011 को खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी प्रदर्श पी–12, प्रदर्श पी–13 और प्रदर्श पी–14 के जरिए जब्त किया था । आनंदराम साहू के शव पंचनामा के लिए गवाहों को प्रदर्श पी–05 की नोटिस दिया था, शव पंचनामा प्रदर्श पी–06 तैयार किया था । फिरंतीन बाई की मृत्यु होने के कारण देहाती मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–63 दर्ज किया था । फिरंतीन बाई के शव पंचनामा हेतु नोटिस प्रदर्श पी–07 गवाहों को दिया था तथा गवाहों के समक्ष फिरंतीन बाई के शव का पंचनामा प्रदर्श पी–08 तैयार किया था । आनंदराम के कपड़े प्रस्तुत करने पर प्रदर्श पी–39 के जरिए, फिरंतीन के कपड़े प्रस्तुत करने पर प्रदर्श पी–40 के जरिए जब्त किया था । दिनांक 21–10–2011 को अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की थी, अभियुक्त ने चाकू और कपड़ों को घोरारी तालाब के पास छुपाकर रखना बताया था, उसका मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–09 तैयार किया था । झाड़ी से निकालकर पेश करने पर एक लोहे का चाकू और शर्ट प्रदर्श पी–10 के अनुसार जब्त किया था । अभियुक्त के बदन से उतरवाकर फुलपेंट और हाफ सेण्डो, जिसमें खून सरीखे दाग थे, जब्ती पत्र प्रदर्श पी–11 के जरिए जब्त किया था । अभियुक्त को प्रदर्श पी–64 के जरिए गिरफ्तार किया था।

......37

प्रदर्श पी–65 के जरिए उसके परिजन को सूचना दी गई थी । फिरंतीन बाई के मर्ग सूचना को प्रदर्श पी–66 के जरिए और रत्ना बाई के मर्ग सूचना को प्रदर्श पी–31 के जरिए कायमी किया था ।

24. इसी विवेचक साक्षी के अनुसार छन्नू बंछोर को प्रदर्श पी–45 के आवेदन के जरिए, गेंदलाल को प्रदर्श पी–25 के आवेदन के जरिए और मीरा बंछोर को प्रदर्श पी–27 के आवेदन के जरिए चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा था । मृतका रत्ना बाई के कपड़े प्रदर्श पी–41 के अनुसार जब्त किया था । छन्नूलाल बंछोर के पेश करने पर गमछा, जिसमें खून सरीखे दाग थे, प्रदर्श पी–67 के अनुसार जब्त किया था । मीरा बंछोर की छीटदार साड़ी प्रदर्श पी–16 के जरिए जब्त किया था । गेंदलाल वर्मा के पेश करने पर शर्ट और बनियान प्रदर्श पी–17 के जरिए जब्त किया था । मीरा बंछोर और गेंदलाल के कपड़ों में मानव रक्त होने, आहतों की चोटों का तत्काल उपचार न होने से मृत्यु की संभावना के बाबत् अभिमत् मांगा था, जो प्रदर्श पी–28 है । छन्नूलाल बंछोर के बाबत् जब्तशुदा चाकू से चोट आ सकती है या नहीं और उपचार न हो सकने से मृत्यु हो सकती थी या नहीं तथा उस चाकू से प्रहार करने से आनंदराम, फिरंतीन बाई और रत्ना बाई की मृत्यु हो सकती है या नहीं, के बाबत् अभिमत् हेतु प्रदर्श पी–49 का पत्र लिखा था, जिसमें आहत को उपचार न मिलने की दशा में मृत्यु होना संभावित होना बताया गया था और उस चाकू से आनंदराम, फिरंतीन और रत्ना बाई के शरीर में आई चोटें आ सकती हैं, ऐसा अभिमत् दिया गया था। कपड़ों में रक्त के बाबत् रासायनिक परीक्षण की सलाह दी गई थी ।

25. इसी साक्षी के अनुसार उसने आरक्षक संतोष सोनी को फिरंतीन बाई तथा आनंदराम के शव का पोस्टमार्टम कराने हेतु प्रदर्श पी–37 और प्रदर्श पी–38 का कर्तव्य प्रमाण–पत्र जारी किया था । रत्ना बाई के पोष्टमार्टम बाबत् संबंधित आरक्षक को कर्तव्य प्रमाण–पत्र ए.एस.आई. एस.एल. टंडन, थाना भिलाईनगर व्दारा दिया गया था । नक्शा तैयार करने के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारी को प्रदर्श पी–69 का पत्र लिखा था । इस साक्षी ने गवाहों के कथन रिकार्ड किए थे । मांग–पत्र प्रदर्श पी–70 देकर मीरा बंछोर, छन्नू बंछोर और गेंदलाल वर्मा के बेड हेड टिकट प्राप्त किया था और प्रकरण में संलग्न किया था । जब्तशुदा वस्तुओं को प्रदर्श पी–52 के पत्र के

व्दारा रासायनिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल., रायपुर भेजा था, जिसकी पावती प्रदर्श पी–53 है । रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–71 है । प्रदर्श पी–72 के जरिए अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण कराया था । अभियुक्त के संबंध में जरायम की नकल प्रदर्श पी–73 से लगायत प्रदर्श पी–76 प्रकरण में प्रस्तुत किया था । दिनांक 19–10–2011 और 20–10–2011 को घटना स्थल जाने और लौटने बाबत् प्रदर्श पी–77 और प्रदर्श पी–78 का सान्हा लिखा था । चाकू आर्टिकल एस–01 है, जो उसने जब्त कर रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा था । इस साक्षी के अनुसार उसने विवेचना पूर्ण कर अभियोग–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था ।

26. इस प्रकरण में जहां तक विचारणीय प्रश्न कमांक–01 कि, क्या दिनांक 19–10–2011 को शाम 05 बजे या इसके लगभग ग्राम बोरिद, पुलिस थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.) में आनंद राम साहू आत्मज रामदयाल साहू, श्रीमती रत्ना साहू पति तुलसी साहू तथा श्रीमती फिरंतीन बाई पति आनंद राम साहू की हत्यात्मक प्रकृति की उपहतियों के परिणामस्वरुप मृत्यु हुई थी और तद्नुसार उनकी हत्या हुई, पर साक्ष्य के विवेचन और निर्धारण का प्रश्न है, इस बिन्दु पर दिनांक 19–10–2011 को तुलसीराम साहू (अ.सा.नं.1) ने शाम लगभग 06 बजे ग्राम बोरिद में मीरा बंछोर के चबूतरे में अपने पिता आनंदराम साहू को खून से लथपथ पड़े देखा था और उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तथा इसी साक्षी ने फिर अपने घर जाकर अपनी मां फिरंतीन को घर के अंदर आंगन में खून से लथपथ और मृत दशा में देखा था तथा अपने घर के कमरे में अपनी पत्नी रत्ना बाई को खून से लथपथ आहत दशा में बचाओ–बचाओ कहते देखा था । रत्ना बाई को उसके उपरान्त सेक्टर–09 अस्पताल, भिलाई उपचार के लिए ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था । इस प्रकार रत्ना बाई की भी उसी दिनांक को घटना के पश्चात् मृत्यु हो गई थी । यह साक्षी रत्ना बाई के शव पंचनामा की नोटिस प्रदर्श पी–01, शव पंचनामा प्रदर्श पी–02 का साक्षी है और इस साक्षी ने रत्ना बाई के शव को किया–कर्म के लिए सुपुर्दनामा प्रदर्श पी–03 के जरिए प्राप्त किया था ।

27. अ.सा.नं.2 अनूप साहू के अनुसार 19 तारीख दीपावली के समय साढ़े पांच बजे शाम के बाद उसे पता चला था कि आनंदराम,

.....39

फिरंतीन बाई और रत्ना बाई की मृत्यु हो गई है । यह साक्षी आनंदराम के शव पंचनामा की नोटिस प्रदर्श पी-05 और शव पंचनामा प्रदर्श पी-06 का साक्षी है । इसके अतिरिक्त यह साक्षी फिरंतीन बाई के शव पंचनामा की नोटिस प्रदर्श पी-07 और शव पंचनामा प्रदर्श पी-08 का साक्षी है । अ.सा. नं.6 श्रीमती मीरा बंछोर आहत के बयान के अनुसार दिनांक 19-10-2011 को घटना घटित हुई थी और उसे यह जानकारी मिली थी कि फिरंतीन बाई, आनंदराम और रत्ना बाई की मृत्यु हो गई है । अ.सा.नं.7 गेंदलाल वर्मा के बयान के अनुसार धनतेरस के दिन घटना घटित हुई थी । दूसरे दिन उसे अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पता चला था कि आनंदराम, उसकी पत्नी और उसकी बहू, तीनों की मृत्यु हो गई है । यही बात अ.सा. नं.8 श्रीमती बसन्ता बाई ने अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका-02 में बतायी है । अ.सा.नं.9 सुखदेव यादव के अनुसार उसे घटना दिनांक के दूसरे दिन पता चला था कि 03 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो आनंदराम, उसकी पत्नी और उसकी बहू हैं ।

28. अ.सा.नं.10 जयलाल धनकर के अनुसार घटना दिनांक के दूसरे दिन उसे जानकारी मिली थी कि आनंदराम, उसकी पत्नी और बहू रत्ना बाई की मृत्यु हो गई है । अ.सा.नं.11 श्रीमती दुर्गा बाई के अनुसार आनंदराम को इस साक्षी के घर के चबूतरे पर मारते हुए लाकर पटका गया था । आनंदराम की मृत्यु हो गई थी । इस साक्षी ने देहाती नालिशी प्रदर्श पी-18 और देहाती मर्ग सूचना प्रदर्श पी-19 के जरिए आनंदराम की मृत्यु की जानकारी पुलिस को दी थी । अ.सा.नं.12 ओमप्रकाश साहू, जो कि आनंदराम का पुत्र है, के अनुसार उसे घटना के दूसरे दिन उसके पिता आनंदराम के शव पंचनामा के लिए प्रदर्श पी-05 का नोटिस दिया गया था और आनंदराम के शव का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-06 तैयार किया गया था तथा उसी दिन उसकी मां फिरंतीन बाई के शव के पंचनामा के लिए पुलिस ने प्रदर्श पी-07 का नोटिस दिया था और प्रदर्श पी-08 के जरिए उसकी मां फिरंतीन बाई के शव का पंचनामा तैयार किया गया था तथा रत्ना बाई उसकी भाभी के शव को भी सेक्टर-09 अस्पताल, भिलाई से लाकर पाटन के मरच्युरी में रखा गया था, जहां पुलिस ने शव पंचनामा की कार्यवाही की थी । उसने अपने पिता आनंदराम के गर्दन, कूल्हे, बांये कांख

के पास चाकू के चोट के निशान देखा था, मां फिरंतीन बाई के मुंह पर चाकू के चोट के निशान देखा था । पंचनामा की कार्यवाही के उपरान्त आनंदराम, फिरंतीन बाई और रत्ना बाई के शव का शव परीक्षण कराया गया था और उसे आनंदराम का शव प्रदर्श पी–20 के जरिए कफन–दफन के लिए सुपुर्दनामे पर दिया गया था ।

29. अ.सा.नं.13 डॉक्टर संजय कुमार भोई के बयान की कंडिका–05 के अनुसार दिनांक 19–10–2011 को श्रीमती रत्ना साहू को मृत अवस्था में 08 बजे रात्रि सेक्टर–09 अस्पताल, भिलाई के केजुअल्टी में लाया गया था, तब उसने उसकी मृत्यु की सूचना सेक्टर–06 कोतवाली थाना भिलाई को भेजा था, जो प्रदर्श पी–23 है । अ.सा.नं.15 रोशन उर्फ सोनू साहू के न्यायालयीन कथन के अनुसार 10 माह पूर्व दीपावली के समय शाम 05 बजे उसके दादा आनंदराम, दादी फिरंतीन बाई और मां रत्ना बाई की मृत्यु हो गई थी । आनंदराम को मारते हुए मीरा बंछोर के घर के पास ले जाकर चौरा में पटक दिया गया था । घर के आंगन में फिरंतीन बाई को मारा गया था और घर के अंदर उसकी मां रत्ना बाई को मारा गया था । अ.सा.नं.16 खुलेश्वर गायकवाड़ के अनुसार मृतका रत्ना बाई के संबंध में प्रदर्श पी–19 का मर्ग जो शून्य पर दर्ज की गई थी एवं मर्ग सूचना प्रदर्श पी–23 को उसने थाना रानीतराई ज़ाकर पंजीबध्द कराया था, जो प्रदर्श पी–31 है । अ.सा.नं.17 मान सिंह सोनवानी, प्रधान आरक्षक के अनुसार आनंदराम साहू के लिए दर्ज देहाती मर्ग प्रदर्श पी–19 को उसने पंजीबध्द किया था, जो प्रदर्श पी–32 है और देहाती नालिशी प्रदर्श पी–18 को उसने पंजीबध्द किया था, जो प्रदर्श पी–33 है ।

30. अ.सा.नं.18 विंध्याचल यादव, कर्मचारी सेक्टर–09 अस्पताल भिलाई के अनुसार उसे डॉक्टर एस.के.भोई ने हस्ताक्षर कर रत्ना साहू के मृत्यु की सूचना प्रदर्श पी–23 सेक्टर–06 कोतवाली में प्रस्तुत करने को कहा था, तब उसने उसे ले जाकर थाना भिलाईनगर में मर्ग सूचना दर्ज करायी थी, जो प्रदर्श पी–34 है । अ.सा.नं.20 संतोष सोनी, आरक्षक के अनुसार दिनांक 20–10–2011 को थाना प्रभारी ने आनंदराम साहू के शव का परीक्षण कराने के लिए उसे आवेदन दिया था, वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन के मेडिकल ऑफिसर के पास ले जाकर आनंदराम साहू के शव

का परीक्षण कराया था । उक्त बाबत् आवेदन प्रदर्श पी–35 है । इसी तरह उसे, थाना प्रभारी ने फिरंतीन बाई के शव का परीक्षण कराने के लिए भी प्रदर्श पी–36 का शव परीक्षण आवेदन दिया था । इस साक्षी ने फिरंतीन बाई के शव को उक्त आवेदन–पत्र के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन ले जाकर शव परीक्षण कराया था और उसके उपरान्त दोनों शव को उसने उनके पुत्र ओमप्रकाश को प्रदर्श पी–20 के अनुसार सुपुर्दनामे पर दे दिया था । इस बाबत् उसकी ड्यूटी सर्टिफिकेट प्रदर्श पी–37 और प्रदर्श पी–38 है। इस साक्षी ने चिकित्सक व्दारा जो उसे मृतकों के शव से संबंधित सामान के बाबत् सीलबंद पैकेट दिया गया था, उन्हें प्रदर्श पी–39 और प्रदर्श पी–40 के जरिए तथा मृतका रत्ना बाई से संबंधित सीलबंद पैकेट प्रदर्श पी–41 के जरिए जब्त कराया था ।

31. अ.सा.नं.22 तोशन साहू के अनुसार लगभग एक वर्ष पूर्व शाम साढ़े पांच बजे के करीब उसने मीरा बंछोर के चबूतरे के पास आनंदराम के शव को खून से लथपथ दशा में पड़ा पाया था । अ.सा.नं.26 लखन लाल टण्डन, सहायक उपनिरीक्षक ने दिनांक 20–10–2011 को सेक्टर–09 अस्पताल भिलाई से रत्ना बाई की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर शव के पंचनामा के लिए गवाहों को प्रदर्श पी–01 का नोटिस दिया था और गवाहों के समक्ष शव की पहचान कराकर प्रदर्श पी–02 का शव पंचनामा तैयार किया था । मृतका के शव को महिला पंच साक्षी के व्दारा उलटा–पलटा कर देखा गया था । मृतका के शरीर पर माथा, नाक, दाहिने गाल, दाढ़ी के पास, पेट में पसली के नीचे कटी हुई चोटें थी और रत्ना बाई के शव को शव परीक्षण के लिए भिजवाया गया था ।

32. अ.सा.नं.30 संतोक राम लहरे, निरीक्षक पुलिस के अनुसार उसने दिनांक 19–10–2011 को रात्रि 7.30 बजे श्रीमती दुर्गा बंछोर की सूचना पर से देहाती नालिशी प्रदर्श पी–18 लिखी थी और आनंदराम साहू की मृत्यु के बाबत् देहाती मर्ग सूचना प्रदर्श पी–19 लिखी थी । दिनांक 20–10–2011 को उसने शासकीय अस्पताल, पाटन की मरच्युरी में जाकर आनंदराम साहू के शव का पंचनामा किए जाने के लिए पंचों को आहूत किया था, जिसकी नोटिस प्रदर्श पी–05 है, पंचों की उपस्थिति में उसने मृतक के शव का अवलोकन कर पंचनामा तैयार किया था। धारदार वस्तु से

.....42

मारकर चोट पहुंचाने के कारण पंचों ने शव परीक्षण की सलाह दी थी । शव पंचनामा प्रदर्श पी–06 है । इसी साक्षी ने दिनांक 20–10–2011 को फिरंतीन बाई की मृत्यु हो जाने के कारण ओमप्रकाश साहू की सूचना पर देहाती मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–63 तैयार किया था तथा फिरंतीन बाई के शव के पंचनामा के लिए गवाहों को प्रदर्श पी–07 का नोटिस दिया था और गवाहों की उपस्थिति में शव का पंचनामा किया था । पंचों ने फिरंतीन बाई को चाकू से मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाने से मृत्यु होना व्यक्त करते हुए शव परीक्षण की सलाह दी थी, जिसका नक्शा पंचायतनामा प्रदर्स पी–08 है। इसी साक्षी ने आरक्षक के प्रस्तुत करने पर मृतक आनंदराम के कपड़े, फिरंतीन बाई के कपड़े प्रदर्श पी–39 और 40 के जरिए जब्त किए थे । इसी साक्षी ने फिरंतीन बाई की मर्ग सूचना को दिनांक 20–10–2011 को प्रदर्श पी–66 के जरिए और रत्ना बाई के मर्ग सूचना को प्रदर्श पी–31 के जरिए पंजीबध्द किया था । इसी साक्षी ने दिनांक 22–10–2011 को आरक्षक, संतोष सोनी के पेश करने पर मृतक रत्ना बाई के कपड़े प्रदर्श पी–41 के जरिए सीलबंद पैकेट में जब्त किया था । इस साक्षी ने उक्त आरक्षक को प्रदर्श पी–37 और प्रदर्श पी–38 के जरिए फिरंतीन बाई और आनंदराम के शव परीक्षण कराने के पश्चात् थाना वापस आने के लिए कर्तव्य प्रमाण–पत्र जारी किया था और आरक्षक गोविन्द राम साहू को रत्ना बाई के शव परीक्षण कराने के लिए कर्तव्य प्रमाण–पत्र सहायक उपनिरीक्षक, एस.एल.टण्डन व्दारा जारी किया गया था, जो प्रदर्श पी–68 है । इस साक्षी ने जब्तशुदा वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण किए जाने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर ज्ञापन प्रदर्श पी–52 के व्दारा आरक्षक के माध्यम से भिजवाया था, जहां से प्राप्त पावती प्रदर्श पी–53 है और परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–71 है ।

33. अ.सा.नं.23 डॉक्टर ठाकुर अजय सिंह के अनुसार दिनांक 20–10–2011 को दिन के 11.30 बजे आरक्षक, संतोष सोनी के व्दारा फिरंतीन बाई पति आनंदराम, उम्र 55 वर्ष के शव को प्रस्तुत किए जाने पर उसने तथा डॉक्टर एस.रोटेला की संयुक्त टीम ने शव परीक्षण प्रारंभ किया था । शव परीक्षण में सारतः चेहरे के बांये भाग पर 9.5 सें.मी. x 2 सें.मी. आकार का कटा हुआ घाव, चेहरे के दाहिने भाग में 3 x 2 सें.मी. का कटा

हुआ घाव, बांये भुजा के ऊपर 4.5 x .5 सें.मी. का कटा हुआ घाव, सिर के बांये भाग पर कान के पीछे 3.5 x 3.5 सें.मी. का कटा हुआ घाव पाया था, कालर बोन के ऊमर 3.5 x .5 सें.मी. का घोंपा हुआ घाव, नाभि से छाती के बीच 5.5 x 3.5 सें.मी. का घोंपा हुआ घाव, जो तिरछा था, पाया था । मांसपेशियां, पेरिटोनियम, आमाशय, छोटी आंत ये सभी अंग घोंपे हुए थे । चोटें धारदार और नुकीले वस्तु से आई थी । प्रकृति के सामान्य अनुकम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं । चोटें चाकू से पहुंचाई गई थी । कटे हुए चोटों से अत्यधिक रक्तस्त्राव होने और सदमे के कारण मृत्यु हुई थी । मृत्यु के 12 घंटे के अंदर की चोटें थी और मृत्यु का समय शव परीक्षण करने के समय से 24 घंटे के अंदर की थी । शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–46 है, जिस पर दोनों डॉक्टरों के संयुक्त हस्ताक्षर हैं ।

34. इसी चिकित्सक के अनुसार दिनांक 20–10–2011 को आरक्षक, संतोष सोनी के ही प्रस्तुत करने पर उसने तथा डॉक्टर एस.रोटेला की संयुक्त टीम ने आनंदराम आत्मज स्वर्गीय रामदयाल के शव का परीक्षण किया था । शव परीक्षण में सारतः माथे के दाहिने भाग में भौंह के ऊपर 05 सें.मी. लम्बी हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव, बांये जबड़े पर 5 x 1 x 1 सें.मी. का कटा हुआ घाव, बांये रुटल क्षेत्र के लेटरल क्वाड्रेन्ट भाग पर 5 x 3.5 सें.मी. का कटा हुआ घाव, दाहिने भुजा के ऊपरी भाग में 5 x 0.5 सें.मी. का कटा हुआ घाव, बांये कंधे के जोड़ के पास 2.5 x .5 सें.मी. का कटा हुआ घाव पाया था । नाभि के बांये भाग पर 3 x .5 सें.मी. आकार का मांसपेशियों की गहराई तक घोंपा हुआ घाव था, जिससे म्यूकोसा तथा पेरिटोनियम कटे हुए थे, बांये क्लेविकल हड्डी के ऊपर 3.3 सें.मी. तिरछा मांसपेशी तक गहरा घोंपा हुआ घाव था, जिससे म्यूकोसा कटा हुआ था, बांये छाती पर 2.5 x .6 सें.मी. का घोंपा हुआ घाव मौजूद था जो मांसपेशी, म्यूकोसा और पेरिकार्डियम को पंचर कर दिया था, हृदय का बांया चेम्बर भी कट गया था । ये चोटें धारदार और नुकीले वस्तु से आई थीं । प्रकृति के सामान्य अनुकम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । हत्यात्मक प्रकृति की थी । मृत्यु का कारण बहुविध चाकू से पहुंचाये गये कटे हुए घाव के कारण अत्यधिक रक्तस्त्राव और सदमा था । शव परीक्षण करने के समय से 24 घंटे के अंदर मृत्यु हुई थी और मृत्यु से 12 घंटे के अंदर चोटें

पहुंचाई गई थी । शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी–47 है, जो उसके तथा डॉक्टर एस.रोटेला के व्दारा संयुक्त हस्ताक्षरित है।

35. इसी साक्षी के अनुसार उसने दिनांक 20–10–2011 को आरक्षक; गोविन्द के प्रस्तुत करने पर रत्ना बाई पति तुलसीराम, उम्र 32 साल के शव का परीक्षण किया था । डॉक्टर रोटेला भी उसकी संयुक्त टीम में शामिल थे । शव परीक्षण में माथे के बांये भाग पर नाक के जोड़ तक 5 x 2 सें.मी. की गहराई तक एक कटा हुआ घाव मौजूद था । नाक के जोड़ से नाक के ऊपरी हिस्से तक एक कटा हुआ घाव 5 x 3 सें.मी. का मौजूद था । गाल में जबड़े तक 9 x 1 x 2 सें.मी. हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव था, नाभि के ऊपर साइड से बांयी ओर गहराई तक मांसपेशी, चर्बी, छोटी आंत और पेरिटोनियम तक गहरा 3 x 6 सें.मी. का घोंपा हुआ घाव मौजूद था । सभी चोटें नुकीले और धारदार वस्तु से पहुंचाई गई थी । प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं । बहुविध चाकू से पहुंचाये गये कटे हुए घाव के कारण अत्यधिक रक्तस्त्राव और सदमे के कारण मृत्यु हुई थी । मृत्यु के 12 घंटे के अंदर चोटें पहुंचाई गई थी और शव परीक्षण करने के समय से 24 घंटे के अंदर मृत्यु हुई थी। चोटें हत्यात्मक प्रकृति की थी । शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–48 है, जो उसके तथा डॉक्टर रोटेला के व्दारा संयुक्त रुप से हस्ताक्षरित है।

36. चिकित्सक ने मृतकों के कपड़े सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को थाने में देने के लिए सौंप दिया था । अभिमत् हेतु भेजे गये प्रदर्श पी–49 के आवेदन–पत्र पर से चिकित्सक ने चाकू 20 सें.मी. लम्बा, 03 सें. मी. चौड़ा, फल का एक किनारा धारदार और नुकीला था, उक्त चाकू का रेखाचित्र बनाया था और यह अमिमत् दिया था कि, जब्त लोहे की चाकू से कटे हुए घाव, स्टेब वूण्ड तथा लेसरेटेड वूण्ड कारित की जा सकती हैं तथा उचित उपचार न मिलने की दशा में मृत्यु संभव है, और मृतकों के शरीर पर आई चोटें उक्त चाकू से कारित की जा सकती हैं । तत्संबंधी उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–49 है ।

37. इन सभी बिन्दुओं पर जो भी तथ्य, साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, उन्हें प्रतिपरीक्षण में कोई भी सारवान चुनौती नहीं है । दर्शित बिन्दु प्रतिपरीक्षण में अखंडित, चुनौतीविहीन

.....45

और स्वीकार योग्य हैं । चूंकि इस प्रथम विचारणीय प्रश्न के बिन्दु पर न तो कोई सारवान चुनौती है और न ही विरोध में कोई तथ्य, साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, और न ही कोई विपरीत स्वीकार योग्य चिकित्सीय तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, अतः न्यायालय के मत में स्पष्ट है कि आनंदराम, फिरंतीन बाई और रत्ना बाई, तीनों को उनके शरीर के मार्मिक अंगों पर तेज धारदार हथियार से अनेकों शक्तिशाली प्रहार कर, पहुंचाई गई उपहतियों के परिणामस्वरुप अत्यधिक रक्तस्त्राव और रक्तस्त्राव से उत्पन्न सदमे के कारण उनकी मृत्यु हुई थी । मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी । चोटें प्रकृति के सामान्य अनुकम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं । तीनों के शव ग्राम बोरिद, थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.) में दिनांक 19-10-2011 को शाम 05 बजे के करीब पाये गये थे । आनंदराम का शव मीरा बंछोर के घर के सामने स्थित चबूतरे पर, फिरंतीन बाई का शव उसके घर के आंगन में और रत्ना बाई का शरीर आहत दशा में उसके घर के कमरे में पाया गया था । रत्ना बाई की भी अन्ततः अस्पताल ले जाए जाने के दौरान मृत्यु हो गई थी । इस प्रकार तीनों की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की उपहतियों के परिणामस्वरुप हुई थी और इस प्रकार आनंदराम साहू आत्मज रामदयाल साहू, श्रीमती फिरंतीन बाई पति आनंदराम साहू, श्रीमती रत्ना साहू पति तुलसी साहू की दिनांक 19-10-2011 को शाम 05 बजे के करीब ग्राम बोरिद, थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.) में कड़े और धारदार वस्तु से हत्यात्मक प्रकृति की मार्मिक अंगों में अनेकों उपहतियों के परिणामस्वरुप मृत्यु हुई और तद्नुसार उनकी हत्या हुई, यह अभियोजन ने प्रमाणित कर दिया है।

38. अब जहां तक विचारणीय प्रश्न कमांक-02 तथा 06 कि, क्या दिनांक 19-10-2011 को शाम 05 बजे या इसके लगभग ग्राम बोरिद, पुलिस थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.) में अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा ने लोहे के धारदार चाकू से आनंद राम साहू आत्मज रामदयाल साहू, श्रीमती रत्ना साहू पति तुलसी साहू तथा श्रीमती फिरंतीन बाई पति आनंद राम साहू के शरीर के मार्मिक अंगों पर चोटें पहुंचाकर उनकी साशय मृत्यु कारित कर उनकी हत्या की ? तथा क्या उसी दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त ने अवैध रुप से आनंद राम के मकान में प्रवेश करके गृह अतिचार

किया, ताकि आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध आनंद राम साहू, उसकी पत्नी फिरंतीन बाई तथा आनंद राम की बहू श्रीमती रत्ना साहू की हत्या कारित किया जा सके, पर साक्ष्य के विवेचन और निर्धारण का प्रश्न है, इस बिन्दु पर जो तथ्य और साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, उनके अनुसार अ.सा.नं.1 तुलसीराम साहू, मृतका रत्ना बाई का पति अपने बयान की कंडिका–04 में बताता है कि, उसके घर में कमरे में रत्ना बाई खून से लथपथ पड़ी थी, बचाओ–बचाओ चिल्ला रही थी, पेट, गर्दन, नाक में चोट लगी थी । रत्ना बाई ने पूछने पर बताया कि उसे छन्नू वर्मा ने चाकू से मारा है । इस बिन्दु पर मात्र बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि इस साक्षी के गांव पहुंचने पर तीनों की मृत्यु हो चुकी थी, इस बात से इस साक्षी ने इंकार किया है । अ.सा.नं.6 मीरा बंछोर के अनुसार आनंदराम का नाती और रत्ना बाई का पुत्र सोनू उनके पास दौड़कर आकर बताया कि उसके दादा, दादी और मां को छन्नूलाल वर्मा मार रहा है । उसी समय छन्नूलाल वर्मा वहां चाकू लेकर आया और उसके कपड़े खून से लथपथ थे । अ.सा.नं.11 श्रीमती दुर्गा बाई के बयान की कंडिका–02 के अनुसार गांव के तुलसी का पुत्र सोनू उनके पास रोते हुए आया और बोला कि छन्नू वर्मा, उसकी मां रत्ना बाई, दादा आनंदराम और दादी को चाकू से मार रहा है । इस साक्षी के अनुसार वह सोनू को लेकर बाहर निकली, उसी समय अभियुक्त, आनंदराम को चाकू से मारते हुए लाया और उनके घर के चौरा में पटक दिया । उस समय अभियुक्त का पूरा शरीर खूनाखून था ।

39. अ.सा.नं.15 रोशन उर्फ सोनू प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, इस साक्षी की उम्र 10 वर्ष है, इस साक्षी को विस्तृत प्रश्न पूछकर साक्षी का कथन बिना शपथ लिये प्रश्न–उत्तर के रुप में कराया गया था । इस साक्षी ने अपने बयान में बताया है कि, अभियुक्त छन्नू ने उसकी मां को गाली दिया था । उसकी मां ने उसके दादा को बताया था । दादा ने अभियुक्त को गाली देने से मना किया, फिर अभियुक्त ने चाकू निकालकर उसके दादा को पेट में मार दिया । फिर छन्नू उनके घर के कमरे के अंदर घुस गया और वहां अभियुक्त ने उसकी मां को चाकू से पेट और गले के पास मारा, उसके बाद अभियुक्त आंगन में उसकी दादी को चाकू से मारा और फिर

उसके दादा को मारते–मारते मीरा बंछोर के घर के पास ले गया और चौरा में पटक दिया । फिर इस साक्षी ने मीरा बाई के घर जाकर उसकी सास दुर्गा बाई को बताया कि अभियुक्त ने उसके दादा–दादी और मां को मार दिया है । अभियुक्त ने वहां फिर से उसके दादा के कमर में मारा था, तब वह डर के कारण अपने बड़े पिता के घर के पास चला गया था । इस साक्षी को प्रतिपरीक्षण में विस्तृत प्रश्न पूछे गये हैं, किन्तु इस साक्षी के कथनों में ऐसी कोई बात नहीं आई है, जिससे इस साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जा सके ।

40. अ.सा.नं.22 तोशन साहू ने मीरा बंछोर के चबूतरे के पास आनंदराम का शव खून से लथपथ देखा था और जब वह घर की ओर वापस आया तो उसने अभियुक्त को उसके घर के पास खड़े देखा था, उसके हाथ में चाकू था, खून लगा था और कह रहा था कि जब तक पुलिस नहीं आयेगी मैं यहीं खड़ा रहूंगा । अ.सा.नं.30 संतोक राम लहरे ने श्रीमती दुर्गा बंछोर के लिखाने पर देहाती नालिशी प्रदर्श पी–18 एवं देहाती मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–19 लिखा था । देहाती नालिशी घटना दिनांक को घटना के लगभग ढ़ाई घंटे पश्चात् इस साक्षी दुर्गा बंछोर के घर पर ही लिखायी गई थी । प्रदर्श पी–18 में इस बात का जिक है कि, सोनू ने आकर बताया कि अभियुक्त, उसकी मां और दादी को चाकू से मार रहा है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक है कि, अभियुक्त ने गांव के आनंदराम साहू को चाकू से मारा है, जो उसके चबूतरे में खून से लथपथ होकर पड़ा है और मर चुका है । अन्य घटनाओं का भी इस देहाती नालिशी में जिक है। देहाती मर्ग सूचना प्रदर्श पी–19 में, जो कि 07 बजकर 40 मिनट पर श्रीमती दुर्गा बंछोर व्दारा लिखायी गई थी, में इस बात का जिक है कि, अभियुक्त व्दारा आनंदराम साहू को चाकू से मारकर चोट पहुंचाने पर से उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी लाश इसके घर के बरामदे में पड़ी हुई है। दोनों रिपोर्ट बिना किसी विलम्ब के मौके पर ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षी व्दारा लिखायी गई थी । अभियुक्त की मौके पर उपस्थिति तथा गांव में उपस्थिति, अन्य साक्षियों व्दारा भी जिनमें आहत साक्षी, स्वाभाविक साक्षी शामिल हैं, के व्दारा पाई गई थी । बचाव पक्ष की ओर से अ.सा.नं.8 श्रीमती बसन्ता बाई को कंडिका–06 में यह सुझाव दिया गया था कि, अभियुक्त को मारा गया

.....48

था इसलिए उसने अपने बचाव में मारा था । इस बिन्दु पर बचाव पक्ष की ओर से कोई तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा तर्क अथवा सुझाव भी किसी आत्मरक्षा की घटना पर से घटना कारित करने के बिन्दु पर नहीं है।

41. अ.सा.नं.6 श्रीमती मीरा बंछोर को बयान की कंडिका–10 में यह सुझाव दिये गये हैं कि अभियुक्त पागल है, इस सुझाव से इस साक्षी ने इंकार किया है । कहीं भी और इस आशय के सुझाव नहीं दिये गये कि अभियुक्त की मानसिक दशा ठीक नहीं है । अभियुक्त कथन में भी इस बिन्दु पर कोई तथ्य नहीं हैं । इस बिन्दु पर कोई अन्य बचाव साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं है । अतः आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत इन 03 लोगों को मारने अथवा मानसिक दशा ठीक न होने से घटना कारित करने आदि के बचाव निराधार एवं अस्वीकार योग्य हैं ।

42. अभियुक्त के पास से उसके मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–09 पर से चाकू और फुलशर्ट प्रदर्श पी–10 के जरिए जब्त की गई थी और काले रंग का फुलपेंट और सेण्डो बनियान प्रदर्श पी–11 के जरिए जब्त किया गया था। आर्टिकल एस–1 चाकू और जब्तशुदा कपड़ों में रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–71 में दर्शित अनुसार मानव रक्त पाया गया था । रक्त के समूह के बिन्दु पर न तो कोई परीक्षण हुआ है और न ही उक्त बाबत् कोई रिपोर्ट आई है । अ.सा.नं.3 गोपाल राम मारकण्डे, जो कि मेमोरेण्डम और जब्ती का साक्षी है, ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पुलिस ने तालाब से कपड़े को वहां पर उपस्थित लड़कों से ढूंढवाकर निकलवाया था । चाकू का विशेष पहचान वह नहीं बता सकता । चाकू तालाब के पास फेंकने बाबत् अभियुक्त ने कथन दिया था । इस साक्षी ने दस्तावेज प्रदर्श पी–09, 10 और 11 का समर्थन किया है । एक अन्य पंच साक्षी अ.सा.नं.5 शंकर लाल बंजारे ने इन तीनों दस्तावेजों का समर्थन नहीं किया है, किन्तु इस साक्षी ने मौके पर अपनी उपस्थिति, गोपालराम की उपस्थिति, अभियुक्त को पुलिस वालों व्दारा गाड़ी में लेकर आने और घोरारी तालाब में पहुंचने की बात और हस्ताक्षर करने की बात को स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि, जिन कागजों पर उसने हस्ताक्षर किए उसे पुलिस ने लिखा था, उस पर गोपाल ने हस्ताक्षर किया था, फिर उसने हस्ताक्षर किया था तथा

.....49

पुलिस, अभियुक्त व्दारा बोरिद गांव में कई लोगों को मार दिए जाने की जांच के संबंध में आई थी । यद्यपि इस साक्षी ने दस्तावेज का समर्थन नहीं किया है, किन्तु जितनी बातें बताया है उसके परिप्रेक्ष्य में और अ.सा.नं.3 गोपालराम मारकण्डे के न्यायालयीन कथन के परिप्रेक्ष्य में विवेचक अ.सा.नं. 30 संतोक राम लहरे के बयान की कंडिका–07 और 08 की पुष्टि होती है कि, तालाब के पास झाड़ी से निकालकर पेश करने पर और अभियुक्त की निशानदेही पर एक लोहे का चाकू और एक फुलशर्ट प्रदर्श पी–10 के जरिए जब्त किया गया था, उन बातों के बाबत् अभियुक्त ने प्रदर्श पी–09 का मेमोरेण्डम कथन दिया था और अभियुक्त के बदन से उतरवाकर फुलपेंट और हाफ सेण्डो बनियान प्रदर्श पी–11 के जरिए जब्त किए गए थे । इन तीनों दस्तावेजों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है । इस प्रकार अभियुक्त के मेमोरेण्डम पर तालाब के पास की झाड़ी से निकालकर चाकू और शर्ट तथा अभियुक्त के शरीर से उतरवाकर फुलपेंट और हाफ सेण्डो बनियान की जब्ती की गई थी।

43. प्रकरण में फिरंतीन बाई के घर के आंगन से और उसकी बहू रत्ना बाई के कमरे और बरामदे से खून आलूदा मिट्टी और सादी मिट्टी जब्त की गई थी । इस बाबत् दस्तावेज प्रदर्श पी–13 और 14 हैं । मौके का नक्शा पुलिस ने तैयार किया था । विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी–71 में खून आलूदा मिट्टी में रक्त की उपस्थिति पाई गई है । मृतक फिरंतीन बाई, रत्ना बाई एवं आनंदराम के शरीर से जो कपड़े जब्त किये गये थे, उनमें भी मानव रक्त प्रदर्श पी–71 के अनुसार पाया गया था।

44. बचाव पक्ष ने बाल साक्षी अ.सा.नं.15 रोशन उर्फ सोनू साहू के कथनों पर अविश्वास किया जाना चाहिए, ऐसा निवेदन किया है, किन्तु इस साक्षी के समग्र प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी के कथनों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है । इसके अतिरिक्त इस साक्षी के कथन दुर्गा बाई, मीरा बंछोर एवं अन्य साक्षी के कथनों और तथ्यों से समर्थित है । अभियुक्त ने भी हर किसी को प्रहार करने का यत्न नहीं किया है, उदाहरण के बतौर अ.सा.नं.9 सुखदेव यादव, अ.सा.नं.10 जयलाल धनकर, और अ.सा.नं.11 दुर्गा बाई तथा अ.सा.नं.8 बसन्ता बाई की उपस्थिति के बावजूद अभियुक्त ने उन पर प्रहार नहीं किए थे । दुर्गा बाई के यह कहने पर कि उसकी बहू को

.....50

मत मारे, उसे मारे तब भी अभियुक्त ने उस पर कोई प्रहार नहीं किया था । अ.सा.नं.22 तोशन साहू से भी उसके पिता रामस्वरुप के बारे में पूछा था और यह बताने पर कि रामस्वरुप बाजार गया है, अभियुक्त ने उसे मिलने पर मारने की बात कही थी । इस साक्षी के कहने पर भी कि वह उसे मारे, तब अभियुक्त ने कहा था कि वह उसे नहीं मारेगा । इसी तरह अ.सा.नं.2 अनूप साहू के बयान के अनुसार अभियुक्त ने उससे उसके भाई के बारे में पूछा था, न होना कहने पर चाकू को जेब में रखकर वापस चला गया था ।

45. इस प्रकार यदि बाल साक्षी अ.सा.नं.15 रोशन उर्फ सोनू साहू पर अभियुक्त ने कोई प्रहार नहीं किये हैं, तो मात्र इस आधार पर इस साक्षी को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता । इस साक्षी के कथन अन्य आहत साक्षियों एवं अन्य साक्षियों के कथनों से भी समर्थित है, और जैसा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत **अख्तर एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य (पूर्वोक्त)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि, यदि अभियोजन का प्रकरण आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों व्दारा समर्थित है, जिनके पुलिस के समक्ष दिये गये कथन और न्यायालय के समक्ष दिये गये कथन सारतः समान हैं, उन्हें चिकित्सीय समर्थन प्राप्त है तो उनकी साक्ष्य अस्वीकृत नहीं की जा सकती। वर्तमान प्रकरण में आहत साक्षी मीरा बंछोर एवं अन्य साक्षियों, जिनका उल्लेख किया गया है, के कथनों से इस बाल साक्षी रोशन उर्फ सोनू के कथनों को समर्थन मिलता है । उपरोक्त अख्तर वाले प्रकरण में निर्धारित अनुसार कुछ लघु विरोधाभास विचारण को विपरीत रुप से प्रभावित नहीं करते । वर्तमान प्रकरण में सभी साक्षियों के कथनों में, जो इस विचारणीय प्रश्न कमांक–02 से संबंधित हैं, ऐसे कोई भी स्वीकार योग्य प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं हैं, जिस पर से उन पर अविश्वास किया जा सके । इस साक्षी के कथनों के प्रकाश में अभियुक्त ने उसकी मां रत्ना बाई के कमरे में प्रवेश कर उसकी मां को चाकू से मारा था और इस घटना में अन्ततः रत्ना बाई की मृत्यु हो गई थी। उक्त मान से विचारणीय प्रश्न कमांक–06 के संबंध में भी यह प्रमाणित है कि, अभियुक्त ने आजीवन कारावास/मृत्यु–दण्ड से दंडनीय अपराध हत्या कारित करने के लिए आनंदराम के मकान में प्रवेश किया और इस प्रकार गृह अतिचार किया। जहां तक विचारणीय प्रश्न कमांक–02 की बात है, अभियुक्त व्दारा

......51

चाकू से आनंदराम, रत्ना साहू और फिरंतीन बाई के शरीर पर उनके मार्मिक अंगों पर अनेकों शक्तिशाली प्रहार कर चोटें पहुंचाकर उनकी साशय मृत्यु कारित किया जाना प्रमाणित है । इस पर बचाव पक्ष की ओर से किये गये तर्क, सारवान न होने, लघु विरोधाभास वह भी मूल घटना से भिन्न बिन्दुओं पर होने, आहत साक्षियों व्दारा भी समर्थन किए जाने, चिकित्सीय साक्ष्य से भी समर्थित होने पर से, स्वीकार योग्य नहीं हैं । अतः अभियोजन ने विचारणीय प्रश्न कमांक–02 और 06 को इस न्यायालय के मत में विधिवत् प्रमाणित कर दिया है ।

46. अब जहां तक विचारणीय प्रश्न कमांक–03 कि, क्या दिनांक 19–10–2011 को शाम 05 बजे के उपरान्त ग्राम बोरिद, पुलिस थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.) में श्रीमती मीरा बंछोर पति छन्नू लाल बंछोर, छन्नू बंछोर आत्मज स्व. बृजलाल बंछोर तथा गेंद्रलाल वर्मा आत्मज कृष्ण वर्मा को उनके शरीर के मार्मिक अंगों में गंभीर श्रेणी की प्राणान्तक उपहति कारित हुई, पर साक्ष्य के विवेचन और निर्धारण का प्रश्न है, इस बिन्दु पर अ.सा.नं.1 तुलसीराम साहू ने घटना दिनांक को मीरा बंछोर के घर के पास मीरा बंछोर को खून से लथपथ देखा था । वहां काफी लोगों की भीड़ थी । अ.सा.नं.6 मीरा बंछोर के अनुसार उसे छाती पर चाकू से मारा गया था, उसने अभियुक्त के हाथ को पकड़ा था तो उसके हाथ की अनामिका तथा मध्यमा अंगुली चाकू से कट गया था, छाती में चोट आई थी, बांये कंधे पर एवं पीठ पर चाकू के कई प्रहार किए गए थे, और उससे खून निकला था । उसे सेक्टर–09 अस्पताल भिलाई में भर्ती किया गया था । बाद में उसे होश आने पर जानकारी मिली थी कि उसके पति छन्नू बंछोर को भी चाकू से मारा गया था, वे भी सेक्टर–09 अस्पताल भिलाई में भर्ती हैं ।

47. अ.सा.नं.7 गेंदलाल वर्मा के अनुसार उसे घटना दिनांक को छन्नू बंछोर के घर के पास चाकू से पेट में मारा गया था, उसका पेट कट गया था, अतड़ी बाहर निकल गई थी, खून निकलने लगा था, वह पेट को दबाकर अपने घर गया था, फिर उसे सेक्टर–09 अस्पताल ले जाया गया था। उसे अस्पताल में पता चला था कि मीरा बंछोर और छन्नू बंछोर को भी मारा गया था । अ.सा.नं.8 बसन्ता बाई के अनुसार मीरा बंछोर पर चाकू से प्रहार किया गया था, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई थी । बाद में इस

.....52

साक्षी को पता चला था कि छन्नूलाल और एक अन्य व्यक्ति गेंदलाल को भी चाकू से मारा गया था । अ.सा.नं.9 सुखदेव यादव के अनुसार छन्नू बंछोर को गले के पास चाकू से प्रहार किया गया था। दूसरे दिन इस साक्षी को यह जानकारी मिली थी कि, गेंदलाल और मीरा बंछोर को भी मारा गया था। अ.सा.नं.10 जयलाल धनकर के अनुसार छन्नू बंछोर को चाकू से मारा गया था, जिससे खून निकला था, वे लोग उसे उठाकर ले गये थे और उसके घर के अंदर मीरा बंछोर को भी चाकू से मारा गया था । इस साक्षी को जानकारी मिली थी कि, गेंदलाल को भी मारा गया था । अ.सा.नं.11 श्रीमती दुर्गा बाई के अनुसार उसकी बहू मीरा बंछोर को चाकू से गर्दन के पीछे एवं शरीर के अन्य भागों पर प्रहार किया गया था और उसके लड़के छन्नू बंछोर को भी चाकू से मारा गया था ।

48. अ.सा.नं.13 डॉक्टर संजय कुमार भोई ने छन्नू बंछोर का चिकित्सीय परीक्षण सेक्टर–09 अस्पताल, भिलाई में किया था, उसके बांये पीठ के ऊपर 3 x 2 सें.मी., सिर के बांये पेराइटल क्षेत्र में हड्डी तक गहरी 10 x 4 सें.मी., दाहिने छाती पर 3 x 2 सें.मी. घोंपा हुआ घाव था । मरीज सदमे की अवस्था में था । इस साक्षी ने प्रदर्श पी–21 का प्रतिवेदन तैयार किया था । मरीज को भर्ती किया था और भर्ती पर्ची प्रदर्श पी–22 बनाया था । अ.सा.नं.14 डॉक्टर मीनाक्षी दवे के अनुसार दिनांक 19–10–2011 को सेक्टर–09 अस्पताल, भिलाई में उसने मीरा बंछोर का चिकित्सीय परीक्षण किया था, उसे अस्पताल में रात्रि 08 बजे भर्ती किया गया था । उसके शरीर पर उसने एक कटा हुआ घाव छाती में 01 इंच लम्बी, एक कटा हुआ घाव बांये गर्दन के पास 01 सें.मी. लम्बी, एक कटा हुआ घाव बांये पीठ के ऊपर 01 इंच लम्बी, पीठ में एक अन्य कटा हुआ घाव 01 इंच लम्बी, बांये तर्जनी अंगुली पर एक कटा हुआ घाव 1/2 इंच लम्बी एवं चेहरे के बांये तरफ 03 इंच लम्बी खरोंच पाई थी । उसने चोटों के बाबत् चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–25 दी थी । इसी साक्षी के अनुसार उसी दिनांक को उसने 08 बजकर 20 मिनट पर गेंदलाल वर्मा की जांच की थी, उसके पेट के बांये तरफ इलियक क्षेत्र में 1/2 इंच लम्बा एक कटा हुआ घाव था, जिससे खून निकल रहा था । इस साक्षी ने उसकी चोटों का प्रदर्श पी–26 के अनुसार परीक्षण कर प्रदर्श पी–27 के अनुसार पत्र थाना प्रभारी को भेजा था । प्रदर्श

......53

पी–28 के जरिए उसने अभिमत् दिया था कि यदि सभी आहतों को तुरन्त उपचार नहीं दिया जाता तो उनकी मृत्यु संभावित थी और उसने प्रदर्श पी–29 और 30 के जरिए कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी ।

49. अ.सा.नं.21 डॉक्टर श्रीमती लता देवांगन ने मीरा बंछोर के छाती और पेट के एक्स–रे फ़िल्म का परीक्षण की थी । हृदय, फेफड़े तथा पेट को सामान्य पाया था, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–42 है। इसी साक्षी ने गेंदलाल वर्मा के छाती और पेट के एक्स–रे फिल्म का परीक्षण की थी और एक्स–रे में पेट में फ्री गैस, जो कि असामान्य स्थिति होती है, पाई थी । इस संबंध में प्रदर्श पी–43 का प्रतिवेदन दिया था । इसी साक्षी ने छन्नू बंछोर के छाती और पेट के एक्स–फिल्म का परीक्षण की थी । हृदय, फेफड़े तथा पेट को सामान्य पाया था, सर्वाइकल स्पाइन का एक्स–रे पुनः कराने की सलाह दी थी । इस संबंध में उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–44 है। इस साक्षी ने बताया है कि जब घोंपा हुआ घाव हो, उस स्थिति में आंतों के बाहर गैस पाई जाती है ।

50. अ.सा.नं.23 डॉक्टर ठाकुर अजय सिंह के अनुसार उसने छन्नू बंछोर का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 19–10–2011 को किया था । बांये स्केपुला रीजन में घोंपा हुआ घाव 3.5 x 2 सें.मी., बांये पेराइटल क्षेत्र में 10 x 5 सें.मी. का कटा हुआ घाव, दाहिने कंधे के क्लेविकुलर हड्डी के भाग पर 3.5 x 2 सें.मी. का कटा हुआ और घोंपा हुआ घाव पाया था । चोटों से रक्तस्त्राव हो रहा था । चोटें धारदार वस्तु से पहुंचाई गई थी । निरन्तर खून निकल रहा था, मरीज सदमे की दशा में था, उसे उच्च चिकित्सीय संस्थान की ओर संदर्भित किया गया था । उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–45 है ।

51. अ.सा.नं.24 डॉक्टर तुषार रंजन मेहेर के अनुसार उसने छन्नू बंछोर की छाती का एक्स–रे लिया था । एक्स–रे में फेफड़ा और छाती के दीवार के बीच के स्थान पर तरल पदार्थ जम गया था। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–50 है। अ.सा.नं.27 डॉक्टर ज्योति रंजन पुत्थल ने छन्नू बंछोर और मीरा बंछोर की सोनोग्राफी किया था । अंदरुनी चोट नहीं पाई थी । उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–54 और 55 है। अ.सा.नं.28 डॉक्टर सुमन्ता मिश्रा के अनुसार छन्नू बंछोर को दिनांक 19–10–2011 को भर्ती किया गया था, उसे दिनांक 26–10–2011 को डिस्चार्ज किया गया था । मीरा बंछोर को दिनांक

.....54

19—10—2011 को भर्ती किया गया था, उसे दिनांक 22—10—2011 को डिस्चार्ज किया गया था । गेंदलाल वर्मा को दिनांक 19—10—2011 को भर्ती किया गया था, उसे दिनांक 25—10—2011 को डिस्चार्ज किया गया था । तीनों के बाबत् बेड हेड टिकट प्रदर्श पी—56, 57 और 58 है ।

52. अ.सा.नं.29 डॉक्टर पराग गुप्ता के अनुसार उसनें दिनांक 19—10—2011 को छन्नू बंछोर को देखा था, उसके शरीर पर कई सारे चोट के निशान थे । बांये पीठ पर, बांये सिर पर, दांये कंधे पर घोंपा हुआ घाव पाया था । बांये छाती और कांख के नीचे फेफड़ों में चोट लगने के कारण हवा भरी थी, जिसके बाबत् उसकी चौथी और पांचवी पसली के बीच ट्यूब डालकर इलाज किया था । मरीज को गंभीर श्रेणी की उपहति थी । दिनांक 19—10—2011 को उसने, मीरा बंछोर का भी परीक्षण किया था, उसके शरीर पर कई घोंपे हुए घाव थे । बांयी छाती में वक्ष के नीचे, बांये सुप्राक्लेविकुलर रीजन में, सुप्रास्केपुलर रीजन में, इण्टर स्केपुलर रीजन में, बांये तर्जनी पर, चेहरे के बांये साइड में, इस प्रकार 05 धारदार हथियार की चोटें और एक छीला हुआ घाव पाया था । छाती और पेट के एक्स—रे सामान्य थे । सारे घावों को दिनांक 22—10—2011 को सील कर मरीज को छुट्टी दे दी गई थी ।

53. इसी चिकित्सक डॉक्टर पराग गुप्ता के अनुसार उसने गेंदलाल वर्मा का भी चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 19—10—2011 को किया था, उसके लेफ्ट इलियक रीजन में पेट के अंदर तक घुसा हुआ एक कटा हुआ घाव था, पेट के अंदर हवा भरी थी, जो किसी अतड़ी के फटने से होना संभावित थी । उसी रात्रि मरीज का आप्रेशन किया गया था । पेट के अंदर हवा और धूल भरे हुए थे । छोटी अतड़ी में चार जगह छेद थे, बड़ी अतड़ी में एक जगह छेद था । पेट के पीछे वाले जगह पर खून भरा था । पेट को साफ कर छेदों को सील किया गया था, खून का रिसाव बंद किया गया था। मरीज की चोटें गंभीर प्रकृति की थी । इस साक्षी का मूल्यांकन पत्रक प्रदर्श पी—59, 60 और 61 है।

54. अ.सा.नं.30 संतोक राम लहरे के अनुसार उसने छन्नू बंछोर के चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रदर्श पी—45, गेंदलाल वर्मा और मीरा बंछोर के चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रदर्श पी—25 और 27 का पत्र लिखा था । इस

पुलिस अधिकारी ने छन्नूलाल बंछोर के कपड़े प्रदर्श पी–67 के जरिये, मीरा बंछोर के कपड़े प्रदर्श पी–16 के जरिये और गेंदलाल के कपड़े प्रदर्श पी–17 के जरिये जब्त किया था । कपड़ों में मानव रक्त और आहतों को आई चोटों की प्रकृति के बाबत् अभिमत मांगा था, इस बाबत् प्रदर्श पी–28 का पत्र लिखा था । चिकित्सक ने आहतों के तुरन्त उपचार न होने से मृत्यु संभावित होना बताया था । इस साक्षी के अनुसार उसने प्रदर्श पी–39 का पत्र लिखकर छन्नूलाल बंछोर को उपचार न होने से मृत्यु हो सकने बाबत् अभिमत मांगा था, जिसका सकारात्मक उत्तर चिकित्सक ने दिया था । इस विवेचक ने बेड हेड टिकट मीरा बंछोर, छन्नू लाल बंछोर और गेंदलाल वर्मा के बाबत् प्रदर्श पी–70 के मांगपत्र के जरिये मांगे थे । इस साक्षी ने जब्तशुदा कपड़ों को जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे थे, उक्त प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी–71 प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार आहतों के कपड़ों में रक्त पाया गया था । इन सभी बिन्दुओं पर जो कुछ तथ्य, साक्ष्य और चिकित्सीय प्रमाण अभियोजन ने प्रस्तुत किया है, के अवलोकन से तथा उनके किसी सारवान चुनौती के अभाव में न्यायालय के मत में अभियोजन ने यह प्रमाणित कर दिया है कि, दिनांक 19–10–2011 को ग्राम बोरिद, थाना रानीतराई में मीरा बंछोर, छन्नू बंछोर और गेंदलाल वर्मा को उनके शरीर के मार्मिक अंगों में कठोर एवं धारदार वस्तु से गंभीर श्रेणी की प्राणान्तक उपहतियां कारित हुई थी, तथा समय पर उपचार मिल पाने पर से इन तीनों की प्राण रक्षा हो सकी । अतः उपरोक्त तीनों को शरीर के मार्मिक अंगों में गंभीर श्रेणी की प्राणान्तक उपहति घटना दिनांक को कारित होना अभियोजन ने प्रमाणित कर दिया है ।

55. अब जहां तक विचारणीय प्रश्न कमांक–04, 05 और 07 कि, क्या दिनांक 19–10–2011 को शाम 05 बजे के उपरान्त ग्राम बोरिद, पुलिस थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.) में छन्नूलाल वर्मा ने श्रीमती मीरा बंछोर पति छन्नू लाल बंछोर, छन्नू बंछोर आत्मज स्व. बृजलाल बंछोर तथा गेंदलाल वर्मा आत्मज कृष्ण वर्मा को अपने हाथ में रखे लोहे के धारदार चाकू से उनके शरीर के मार्मिक अंगों पर मारकर प्राणान्तक उपहति कारित किया एवं क्या अभियुक्त ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त उपहति इस आशय से या ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थिति में कारित किया कि यदि उसके

कृत्य के व्दारा इन तीनों की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के अपराध का दोषी होता, तथा क्या उसी दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त ने ग्राम बोरिद में ही खून से लथपथ चाकू लेकर प्रार्थिया श्रीमती दुर्गा बंछोर के घर में प्रवेश कर मीरा बाई पति छन्नू बंछोर को अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर तथा ऐसी धमकी का निष्पादन उसे चाकू से मारकर किया, पर साक्ष्य के विवेचन और निर्धारण का प्रश्न है, इस बिन्दु पर अ.सा.नं.6 श्रीमती मीरा बंछोर के अनुसार अभियुक्त ने जान से मार दूंगा कहकर उसे छाती में, हाथ में, बांये कंधे में मारा और पीठ में दो बार प्रहार किया, जिससे खून निकलने लगा और वह बचाओ–बचाओ चिल्लाने लगी । उसकी सास ने अभियुक्त से हाथ जोड़कर कहा कि उसकी बहू को मत मारो। बाद में उसे पता चला कि उसके पति को भी अभियुक्त ने चाकू से मारा था और अभियुक्त यह बोलते हुए घर में घुसा था कि, तुम बहुत नेतागिरी करते हो, आनंदराम और रत्ना को बचाते हो, अब मैं जान से मारुंगा, अब कैसे बचाओगे ।

56. अ.सा.नं.7 गेंदलाल वर्मा के अनुसार जब वह शाम पांच बजे के करीब छन्नू बंछोर के घर के पास दरवाजे पर खून फैला देखकर रुका था तो अभियुक्त ने वहां आकर उसे कहा कि, झूठा गवाही बनने के लिए आया है और चाकू उसके पेट में मारा था, जिससे उसका पेट कट गया था, अतड़ी बाहर निकल गई थी, वह पेट दबाकर घर गया, अपनी पत्नी को घटना के बारे में बताया और फिर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया । अ.सा.नं.8 श्रीमती बसन्ता बाई के बयान के अनुसार अभियुक्त, मीरा बंछोर के घर के बरामदे में चाकू लेकर आया था, मीरा बंछोर को चाकू से मारने लगा, जिससे खून निकलने लगा । मीरा बंछोर की सास, अभियुक्त के हाथ–पांव जोड़ रही थी, मारने से मना कर रही थी । मीरा बंछोर चाकू मारने से बेहोश होकर गिर गई थी । इस साक्षी के अनुसार उसे दूसरे दिन यह पता चला था कि अभियुक्त ने छन्नूलाल बंछोर और गेंदलाल को भी चाकू से मारा है ।

57. अ.सा.नं.9 सुखदेव यादव के अनुसार खलिहान में जब वे काम कर रहे थे, छन्नू बंछोर वहीं बैठकर पेपर पढ़ रहा था, बचाओ–बचाओ सुनकर वे लोग छन्नू बंछोर के पास गये, उन्होंने देखा कि अभियुक्त, छन्नू बंछोर को चाकू मार रहा था, जो उसके गले के पास लगा था, खून निकला

......57

था, तब वे लोग उसे उठाकर ले गये थे । अभियुक्त ने छन्नू बंछोर को चाकू से उसके सामने दो प्रहार किए थे । दूसरे दिन इसे पता चला कि अभियुक्त ने गेंदलाल और मीरा बंछोर को भी मारा है । सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया था । अ.सा.नं.10 जयलाल धनकर के अनुसार वह घटना दिनांक को शाम 05 बजे छन्नू बंछोर के कोठार में धान उड़ा रहा था । छन्नू बंछोर ब्यारा में बैठा था । ब्यारा के अंदर अभियुक्त ने छन्नू बंछोर को चाकू से मार दिया और जान से मार दूंगा कहकर मारा था, तब छन्नू बंछोर बचाओ–बचाओ चिल्लाया था । उसके शरीर से खून निकल रहा था, तब वे लोग छन्नू बंछोर को उठाकर ले गये थे तथा उसके घर के अंदर मीरा बंछोर को भी चाकू से मारा गया था । दूसरे दिन इस साक्षी को पता चला था कि गेंदलाल वर्मा को भी चाकू से मारा गया था ।

58. अ.सा.नं.11 श्रीमती दुर्गा बाई, जो कि मीरा बंछोर की सास है, के अनुसार अभियुक्त ने यही मीरा बंछोर का घर है कहकर उसकी बहू का हाथ पकड़कर चाकू से पहले उसके गर्दन के पीछे मारा, फिर शरीर के कई अन्य भागों पर भी चाकू से मारा, तब उसने कहा कि मारना है तो मुझे मार दे, इसको मत मार, तो अभियुक्त ने कहा कि उसे तो फांसी में लटकना ही है । इस साक्षी की बहू मारने से बेहोश होकर गिर गई, तब अभियुक्त उसके घर के बरामदे से निकलकर ब्यारा में गया और उसके पुत्र छन्नू बंछोर को भी चाकू से मारा था । अ.सा.नं.15 रोशन उर्फ सोनू साहू के बयान की कंडिका–04 के अनुसार अभियुक्त ने मीरा बाई को भी चाकू से मारा था ।

59. ये सभी साक्षी अर्थात् आहत एवं अन्य साक्षी, जिनके कथन चिकित्सीय परीक्षण से समर्थित हैं, इन साक्षियों के कथनों में कोई भी ऐसा विरोधाभास नहीं है, जिसके आधार पर इन साक्षियों के कथनों को अविश्वास किया जा सके । संबंधित चिकित्सक ने भी धारदार हथियार से गंभीर श्रेणी की प्राणान्तक चोटें इन तीनों आहत को आने के बाबत् अभिमत् दिया है । साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट है कि, अभियुक्त ने मीरा बाई को जान से मारने की धमकी दी थी और धमकी देते हुए उसे चाकू से अनेकों प्रहार कर चोटें भी पहुंचाई थी । उसने दुर्गा बाई के इस अनुरोध पर कि वह उसकी बहू को मत मारे, किन्तु अभियुक्त ने कहा था कि उसे तो फांसी में लटकना ही है, मीरा बंछोर को चाकू से मारा था । कोठार में धान उड़वाने का काम

करवाते समय छन्नू बंछोर को भी चाकू से प्रहार कर चोटें पहुंचाई थी, जो उसके गले एवं अन्य स्थानों पर आई थी । उस बात को कोठार में काम करने वाले दो अन्य साक्षी अ.सा.नं.9 सुखदेव और अ.सा.नं.10 जयलाल धनकर ने भी देखा था, और उन्होंने इसका समर्थन भी किया है । ये दोनों साक्षी किसी भी भांति हितबध्द नहीं हैं । इस प्रकार आहत साक्षियों के कथनों को स्वतंत्र साक्षियों के कथनों से समर्थन प्राप्त है । इसी तरह मीरा बंछोर को चाकू से मारने के तथ्य को घटना के समय बर्तन साफ कर रहे अ.सा.नं.8 बसन्ता बाई ने भी समर्थन किया है । यह साक्षी भी किसी भी भांति मीरा बंछोर से संबंधित नहीं है, हितबध्द साक्षी नहीं है । इन तीनों साक्षियों की अभियुक्त से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है । इस तरह आहत साक्षियों के कथनों को अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों का समर्थन प्राप्त हुआ है तथा चिकित्सीय साक्ष्य से भी समर्थन प्राप्त हुआ है ।

60. जिस प्रकार की चोटें उपरोक्त तीनों आहतों के शरीर पर आई थी, से यह स्पष्ट है कि यदि उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिलती तो उनकी मृत्यु संभावित थी । तीन अन्य लोगों को गंभीर उपहतियां पहुंचाकर उनकी मृत्यु कारित कर देने वाले इस अभियुक्त ने उसके पश्चात् भी जिस प्रकार से घूम-घूम कर इन तीनों मीरा बंछोर, छन्नूलाल बंछोर और गेंदलाल वर्मा को चाकू से प्रहार किए हैं, से स्पष्ट है कि अभियुक्त का आशय इन तीनों की भी हत्या करने का था और उस आशय से ही अभियुक्त ने पूर्व में ही 03 अन्य लोगों की मृत्यु कारित करने के उपरान्त इन तीनों आहतों पर भी चाकू के अनेकों तथा शक्तियुक्त प्रहार किए । स्वाभाविक तौर पर इनके बचने का यत्न तथा समय पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध हो जाने के कारण, वह भी उच्च स्तरीय चिकित्सीय सहायता, क्योंकि सेक्टर-09 अस्पताल, भिलाई इस अंचल का एक विशेषज्ञ तथा उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला अस्पताल है, इन तीनों की जान बच सकी । न्यायालय के मत में अभियुक्त ने इस आशय और ज्ञान से और ऐसी परिस्थिति में धारदार हथियार से कमवार इन तीनों पर चाकू से प्रहार किए हैं कि यदि इन तीनों की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त उन तीनों मीरा बंछोर, छन्नूलाल बंछोर और गेंदलाल वर्मा की हत्या के अपराध का दोषी होता । न्यायालय के मत में अभियुक्त ने इन तीनों पर साशय उनके शरीर के

मार्मिक अंगों पर चाकू से शक्तिशाली प्रहार कर उन्हें प्राणान्तक उपहतियां कारित की है, और मीरा बंछोर को जान से मार डालने की धमकी दी थी और उस धमकी के तुरन्त बाद उस पर चाकू से अनेकों प्रहार किए थे । इस प्रकार उक्त जान से मारने की धमकी भी वास्तविक धमकी थी, जिसकी निरन्तरता में चाकू के प्रहार भी किये गये थे । अतः इस न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष ने विचारणीय प्रश्न कमांक 04, 05 और 07 को प्रमाणित कर दिया है ।

61. इस प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से जो माननीय न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें **महाराष्ट्र राज्य बनाम आई.एस.बाबर** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में यह निर्धारित किया गया था कि, खुले स्थान से सम्पत्ति बरामद की गई थी, जहां कोई भी जा सकता था । मात्र उक्त मेमोरेण्डम और जब्ती के आधार पर हत्या का प्रकरण प्रमाणित नहीं हो सकता था । वर्तमान प्रकरण में अनेकों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, स्वतंत्र साक्षी एवं अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त चाकू तालाब के पास झाड़ियों से बरामद किया गया था। झाड़ियों में क्या रखा है, आमतौर से अन्य लोग जब तक वहां प्रवेश कर न देखें नहीं जान सकते । अतः प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त में यह निर्धारण कि धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता आकर्षित होती है, वर्तमान प्रकरण हेतु लागू किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण प्रत्यक्ष साक्ष्य से समर्थित है, जिसका समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य एवं स्वतंत्र साक्ष्य से भी हुआ है तथा जिनके कथनों पर एवं तथ्यों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है । बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त **दयाराम एवं अन्य बनाम राज्य** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में यह निर्धारित किया गया था कि, महज खून के धब्बे चाकू में होने से उसे अपीलार्थी के विरुध्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता तथा अभियोजन अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य से प्रकरण प्रमाणित नहीं कर सका था । वर्तमान प्रकरण में अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य से अपराध प्रमाणित है । मात्र चाकू पर खून की उपस्थिति आधार नहीं है । अतः प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त से बचाव पक्ष को सहायता नहीं मिलती । बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत माननीय न्याय दृष्टान्त **मुकेश साहू बनाम राज्य** (पूर्वोक्त) में जब्ती का साक्षी पक्षद्रोही हो गया था। वस्तु शव से 10 फीट की दूरी पर खुले स्थान पर पाई गई थी और

.....60

सत्र न्यायाधीश दुर्ग (छ.ग.)

रक्त समूह प्रमाणित नहीं था । वर्तमान प्रकरण में एक पंच साक्षी ने सम्पूर्ण मेमोरेण्डम और जब्ती का समर्थन किया है, एक अन्य पंच साक्षी ने महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अभियोजन का समर्थन किया है और वर्तमान प्रकरण प्रत्यक्ष, स्वतंत्र और चिकित्सीय साक्ष्य पर आधारित है । आहत लोगों का साक्ष्य भी अभियोजन का समर्थन कर रहा है । जब्ती का स्थान शव से अत्यन्त दूर गांव के बाहर घोरारी तालाब के पास झाड़ियों से बरामदगी है । अतः प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त इस प्रकरण में बचाव पक्ष की सहायता नहीं करता ।

62. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत माननीय न्याय दृष्टान्त जगन्नाथ बनाम मध्यप्रदेश राज्य (पूर्वोक्त) में निर्धारित अनुसार बालक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एकमात्र था । मृतक का गला घोंटने से मृत्यु हुई थी । बालक साक्षी इस बिन्दु पर पूर्णरुप से मौन था । बालक साक्षी की साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य के मध्य महत्वपूर्ण विरोधाभास था । उस साक्षी को उसका कथन पढ़कर सुनाया गया था । अन्य कोई सारवान् साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, इसलिए अपीलार्थी को दोषमुक्त घोषित किया गया था । वर्तमान प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मात्र बालक नहीं है, अपितु अन्य अनेकों साक्षियों के कथनों से, जिनमें आहत साक्षी, स्वतंत्र साक्षी एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हैं, का समर्थन हुआ है । इसके अतिरिक्त बालक साक्षी ने चाकू से प्रहार करने की बात बतायी है । चिकित्सीय साक्ष्य भी उसका समर्थन करती है । उक्त बालक साक्षी को न तो उसका पूर्व कथन पढ़कर सुनाया गया था और न ही उसे सिखाया–पढ़ाया गया था । अतः प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त इस बिन्दु पर बचाव पक्ष की सहायता नहीं करता ।

63. इस प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से माननीय न्याय दृष्टान्त के साथ–साथ संलग्न कर अन्य प्रकरणों में हुए कथित साक्ष्य की छाया प्रतियां एवं उनसे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु न तो ऐसी सभी छाया प्रतियां प्रमाणित सत्य प्रति के बतौर प्रस्तुत की गई हैं और न ही उन्हें बचाव पक्ष ने प्रदर्श चिन्हांकित कर साक्ष्य में लिये जाने हेतु स्वीकृत कराया है । अतः छाया प्रतियों की अन्तर्वस्तुयें साक्ष्य में स्वीकार न होने के कारण इस प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से पढ़े जाने योग्य नहीं हैं । इसके अतिरिक्त इस वर्तमान प्रकरण में साक्षियों के कथनों में यह बात सामने आई है कि, मृतका रत्ना साहू के साथ पूर्व में घटित किसी बलात्कार की घटना में

.....61

अभियुक्त के विरुध्द विचारण हुआ था और उसमें अभियुक्त दोषमुक्त घोषित हुआ था । अन्य प्रकरण छोटी–छोटी धाराओं में चलने के बाबत् सुझाव भी प्रस्तुत हैं । किन्तु मात्र इस आधार पर कि बलात्कार के प्रकरण में अभियुक्त दोषमुक्त हो गया था, इस आधार पर वर्तमान हत्या के प्रकरण को झूठा फंसाये जाने का प्रकरण नहीं माना जा सकता, क्योंकि वर्तमान प्रकरण हेतु समग्रतः स्वीकार योग्य साक्ष्य मौजूद हैं । इसके अतिरिक्त यदि कथित तौर पर बलात्कार के प्रकरण में झूठा फंसाये जाने की बात को कल्पना के लिए स्वीकार कर भी लिया जावे तो भी यह परिस्थिति अभियुक्त के विरुध्द भी जा सकती हैं कि उसने कथित तौर पर झूठा फंसाये जाने के कारण आक्रोशित होकर और योजना बनाकर 03 लोगों को चाकू मारकर मार डाला, अन्य 03 लोगों को भी चाकू से प्राणान्तक उपहति कारित किया, संयोगवश चिकित्सीय सहायता तत्काल मिल जाने से वे बच गये तथा रामस्वरुप नामक एक अन्य व्यक्ति अनुपस्थित होने के कारण मरने अथवा प्राणान्तक उपहति से बच गया और कथित तौर पर यह सभी लोग उक्त कथित रत्ना साहू के परिजन या उसे समर्थनकारी व्यक्ति थे । अतः न्यायालय के मत में पूर्व अभियोजन में दोषमुक्ति, अभियुक्त की निर्दोषिता का प्रमाण नहीं है, अपितु अभियुक्त को वर्तमान प्रकरण कारित करने के लिए कथित तौर पर उद्देश्य उपलब्ध कराता है ।

64. गवाहों के पुलिस कथन और न्यायालयीन कथन में ऐसे कोई तात्विक विरोधाभास नहीं हैं, जिनके आधार पर गवाहों के कथनों को असत्य माना जा सके । प्रकरण में तत्काल रिपोर्ट दर्ज करायी गई है । देहाती नालिशी दर्ज करायी गई है । उसके तथ्य सम्पूर्ण प्रकरण के तथ्यों से मेल खाते हैं । तत्काल कार्यवाही की गई है । साक्षियों के कथन बिना किसी विलम्ब के रिकार्ड किये गये हैं । साक्षियों में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, आहत साक्षी, स्वतंत्र साक्षी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य शामिल हैं, जो एक–दूसरे का समर्थन करते हैं । चाकू की कोई विशेष पहचान न बताने के बिन्दु पर न्यायालय के मत में चाकू से संबंधित सम्पूर्ण पहचान और तथ्यों का उल्लेख जब्ती पत्र में है । मूठ में से एक ओर की लकड़ी के गायब होने की बात चाकू की जब्ती को प्रभावहीन नहीं करती । [illegible] जांच करने आदि में कहीं भी एक ओर के मूठ की लकड़ी ढीली होकर [illegible]

हो सकती है । अतः उक्त बाबत् तर्क स्वीकार योग्य नहीं है ।

65. तुलसीराम ने अपनी पत्नी के मृत्यु पूर्व कथन के बाबत् भी बताया है कि उसकी पत्नी ने बताया था कि, छन्नू वर्मा ने उसे, चाकू से मारा है । जब संतोक राम लहरे, मृतका रत्ना बाई के पास पहुंचा उस समय यदि वह बेहोश हो गई हो तो यह स्वाभाविक है क्योंकि पति और निरीक्षक अलग-अलग समय पर रत्ना बाई को देखे थे । चिकित्सकों को आहतों व्दारा मारने वालों का नाम न बताए जाने के बिन्दु पर स्पष्ट है कि प्रथमतः यह आवश्यक नहीं है, आहत की शारीरिक और मानसिक दशा उस समय ऐसी संतुलित नहीं हो सकती कि वे सम्पूर्ण घटना का विवरण चिकित्सक को भी बतावें । इसके अतिरिक्त आहतों के अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही दुर्गा बंछोर व्दारा देहाती नालिशी और मर्ग सूचना दर्ज करा दी गई थी, जिसमें अभियुक्त के व्दारा की गई तमाम घटनाओं का स्पष्ट उल्लेख था । अतः चिकित्सक को आहतों ने मारने वालों का नाम नहीं बताया, यह प्रकरण को संदेहास्पद नहीं करता। मेमोरेण्डम और जब्ती के लिए गवाहों को नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है । यदि प्रकरण में अभियोजन की सहायता के लिए कोई अभिभाषक नियुक्त हैं, मात्र उस पर से साक्षियों के कथनों को अविश्वास नहीं किया जा सकता । यदि किसी एक साक्षी की अपने अभिभाषक से न्यायालय के बाहर भेंट हुई हो, तो उसके आधार पर सभी साक्षियों के कथन सिखाये-पढ़ाये गये हैं, ऐसा स्वयंमेव उपधारित नहीं किया जा सकता । यदि कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियुक्त के कपड़ों का रंग नहीं बता पा रहा है उस पर से सभी साक्षी को अविश्वसनीय करार नहीं दिया जा सकता ।

66. प्रकरण में पहचान का कोई प्रश्न निहित नहीं है । अभियुक्त और अभियोजन के सभी संबंधित साक्षीगण एक ही गांव के निवासी हैं और घटना शाम पांच-साढ़े पांच बजे की है, उस समय पर्याप्त रोशनी रहती है और लगभग एक-डेढ़ घंटे तक इस प्रकार घूम-घूम कर अभियुक्त ने हत्या और हत्या के विशद प्रयासों के कृत्य किए हैं । अनेकों स्तरों पर साक्षियों ने अभियुक्त को देखा है। अतः किसी अन्य ने घटना कारित की हो, ऐसा संभावित नहीं किया जा सकता । अभियुक्त ने बाल साक्षी को देखकर कुछ नहीं किया, इस पर से बाल साक्षी के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा

सकता, क्योंकि बाल साक्षी के कथन अन्य साक्षियों के कथनों से और चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थित है । उभयपक्ष के मध्य पूर्व के प्रकरण का घटनाक्रम मौजूद है, उसी की पृष्ठभूमि में यह घटना घटी है । मीरा बंछोर के परिजनों और आनंदराम साहू के परिजनों के मध्य अच्छे संबंध होने मात्र से मीरा बंछोर के एवं उसके परिजनों के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंततः इस प्रकरण में आनंदराम साहू के परिवार में 03 लोगों की हत्या हुई है और मीरा बंछोर तथा उसके पति पर भी हत्या के आशय से गंभीर प्राणान्तक उपहतियां कारित की गई हैं । अतः मात्र अच्छे संबंध होने के कारण ये साक्षी किसी निर्दोष को फंसायेंगे ऐसा नहीं माना जा सकता । आखिरकार ऐसे किसी अन्य दोषी को छोड़ देने का इन गवाहों के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं है । ऐसा नहीं माना जा सकता कि घटनाकर्ता कोई और है और अभियुक्त को असत्य फंसा दिया गया है ।

67. एक 70 वर्षीय महिला दुर्गा बाई बंछोर ने देहाती नालिशी और रिपोर्ट दर्ज कराया है । उसके पुत्र और बहू दोनों गंभीर रुप से आहत हुए थे । तात्कालिक रिपोर्ट है । ऐसे अवसर पर 70 वर्षीय महिला तुरन्त सोच–समझ कर योजना बनाकर दोषी को छोड़कर निर्दोष के विरुध्द रिपोर्ट लिखायेगी, ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र साक्षी बसन्ता बाई, जयलाल, सुखदेव एवं अन्य, जो दुर्गा बंछोर से किसी भी भांति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधित नहीं हैं, उनकी अभियुक्त से कोई रंजिश नहीं है, वे आखिरकार क्यों निर्दोष को फंसाने और दोषी को छोड़ने में दुर्गा बंछोर की सहायता करेंगे । न्यायालय के मत में समग्रतः प्रस्तुत तर्क जो बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं, स्वीकार योग्य नहीं हैं । धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता की असत्य रिपोर्ट लिखायी गई थी या नहीं, इस प्रकरण में विचार का विषय नहीं है तथा धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरण में अभियुक्त दोषमुक्त हुआ है, यह तथ्य अप्रत्यक्ष रुप से वर्तमान घटना कारित करने के लिए अभियुक्त की संलग्नता दर्शाती है । अपराध घटित होना या न होना तथा उसका दांडिक न्यायालय में प्रमाणित होना या न होना, दो अलग–अलग मापने योग्य स्थितियां हैं । साथ ही यदि असत्य अभियोजन था तो वह अभियुक्त को इस प्रकरण को कारित करने के लिए आधार देती है । न्यायालय के मत में इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के तर्क समग्रतः स्वीकार योग्य नहीं हैं ।

.....64

68. पूर्व में अभियुक्त का बलात्कार के प्रकरण में अभियोजन वर्तमान प्रकरण हेतु स्वीकार योग्य हेतुक है । वर्तमान प्रकरण में अभियोजन ने यह प्रमाणित कर दिया है कि दिनांक 19–10–2011 को शाम 05 बजे के करीब ग्राम बोरिद, थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.) में आनंदराम साहू, श्रीमती रत्ना साहू और श्रीमती फिरंतीन बाई की हत्यात्मक प्रकृति की उपहतियों के परिणामस्वरुप मृत्यु हुई और तद्नुसार उनकी हत्या हुई तथा अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा ने उपरोक्त आनंदराम साहू, श्रीमती रत्ना साहू और श्रीमती फिरंतीन बाई के शरीर में चाकू से मार्मिक अंगों पर चोटें पहुंचाकर साशय मृत्यु कारित कर उनकी हत्या की, और उसी समय अभियुक्त ने आजीवन कारावास के दण्ड से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आनंदराम साहू के मकान में प्रवेश कर गृह अतिचार किया और यह गृह अतिचार आनंदराम साहू, फिरंतीन बाई और श्रीमती रत्ना साहू की हत्या कारित करने के लिए किया गया था, तथा दिनांक 19–10–2011 को शाम 05 बजे के उपरान्त ग्राम बोरिद, थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.) में अभियुक्त ने श्रीमती मीरा बंछोर, छन्नू बंछोर और गेंदलाल वर्मा को साशय हत्या करने के आशय और ज्ञान से तथा परिस्थिति के साथ चाकू से उनके शरीर के अनेक मार्मिक अंगों पर प्रहार कर प्राणान्तक उपहतियां कारित की, यदि उक्त कृत्य के व्दारा श्रीमती मीरा बंछोर, छन्नू बंछोर और गेंदलाल वर्मा की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त उनकी हत्या के अपराध का दोषी होता, तथा अभियुक्त ने श्रीमती मीरा बंछोर को जान से मार डालने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ।

69. फलतः, अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा आत्मज स्व. कामता प्रसाद वर्मा, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी–ग्राम बोरिद, थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग) को आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आनंदराम साहू के मकान में अवैध रुप से प्रवेश कर गृह अतिचार करने हेतु अंतर्गत धारा 450 भारतीय दण्ड संहिता के, आनंदराम साहू आत्मज रामदयाल साहू की हत्या करने पर से अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के, श्रीमती रत्ना साहू पति तुलसीराम साहू की हत्या करने पर से अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के, श्रीमती फिरंतीन बाई पति आनंदराम साहू की हत्या करने पर से अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड

संहिता के, श्रीमती मीरा बंछोर को जान से मार डालने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास करने हेतु अंतर्गत धारा 506 (2) भारतीय दण्ड संहिता के, श्रीमती मीरा बंछोर पति छन्नू लाल बंछोर की हत्या करने का प्रयत्न करने पर से अंतर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के, छन्नू लाल बंछोर आत्मज स्व. बृजलाल बंछोर की हत्या करने का प्रयत्न करने पर से अंतर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के, गेंदलाल वर्मा आत्मज कृष्ण वर्मा की हत्या करने का प्रयत्न करने पर से अंतर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के, इस प्रकार कुल मिलाकर धारा 450 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के 03 काउन्ट, धारा 506 (2) भारतीय दण्ड संहिता, धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के 03 काउन्ट, कुल 08 काउन्ट में दोषी पाकर सिध्ददोष किया जाता है ।

70. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय का लिखा जाना यहीं पर स्थगित किया गया ।

दुर्ग,
दिनांक 25–06–2013.

(सी.बी.बाजपेयी)
सत्र न्यायाधीश, दुर्ग
(छत्तीसगढ़)
25/6/13

पुनश्चः

दण्डादेश

71. दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया ।

72. राज्य की ओर से लोक अभियोजक व्दारा माननीय न्याय दृष्टान्त *1999 (3) सुप्रीम पृष्ठ 212 (सर्वोच्च न्यायालय) पक्षकार–निर्मल सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य* का अवलम्बन लेते हुए यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी धर्मपाल, जिसे कि पुनम के साथ पूर्व में बलात्कार के आरोप में अभियोजित एवं विचारण न्यायालय व्दारा 10 वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किया गया था, उक्त अपीलार्थी धर्मपाल जो कि उक्त दण्डादेश के विरुध्द अपील कर जमानत पर रिहा था, ने उक्त बलात्कार की अभियोक्त्री के परिवार के 05 लोगों की हत्या की । उक्त बलात्कार के प्रकरण में दोषसिध्द होने के पूर्व एक अवसर पर अपीलार्थी धर्मपाल ने यह धमकी दी थी कि यदि कोई बलात्कार के प्रकरण में साक्ष्य देगा तो उसके पूरे परिवार को मिटा दिया जावेगा । पश्चात्‌वर्ती

घटनाकम में धर्मपाल ने अभियोक्त्री के परिवार के कुल 05 लोगों को जो उसके परिजन थे, की नृशंसतापूर्वक कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी । उक्त हत्या अत्यन्त नृशंसतापूर्वक अपने अन्य साथी के साथ की गई थी । उक्त धर्मपाल व्दारा किये गये कृत्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कूरतापूर्ण कृत्य एवं निर्दयतापूर्वक किये गये प्रहार और उनके परिणामस्वरुप 05 लोगों की हत्या मय से इसे विरल से विरलतम प्रकरण मानकर मृत्यु–दण्ड से दंडित किया था ।

73. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष समर्थन में विरल से विरलतम प्रकरण की पहचान एवं निर्धारण हेतु ***2012 (2) सी सी एस सी पृष्ठ 689 (सर्वोच्च न्यायालय) पक्षकार–अजीतसिंह हरनाम सिंह गुजराल बनाम महाराष्ट्र राज्य*** एवं ***2009 (3) सी सी एस सी पृष्ठ 1693 (सर्वोच्च न्यायालय) पक्षकार–जगदीश बनाम म.प्र.राज्य*** को भी अवलम्बन में लिया है, और व्यक्त किया है कि वर्तमान प्रकरण निर्मल सिंह एवं अन्य के प्रकरण से भी ज्यादा विरलतम श्रेणी का प्रकरण है, क्योंकि इस सत्र प्रकरण के अभियुक्त को तो उसके विरुध्द चले बलात्कार के प्रकरण में वर्तमान घटना के कुछ माह पूर्व ही दोषमुक्त किया गया था, उसके बावजूद अभियुक्त ने निश्चित योजना बनाकर रत्ना बाई के पति की अनुपस्थिति में उनके घर जाकर आनंदराम साहू, श्रीमती रत्ना साहू और फिरंतीन बाई के शरीर के मार्मिक अंगों पर चाकू से अनेकों शक्तिशाली प्रहार कर उक्त तीनों की हत्या कर दी । आनंदराम साहू को वह मारते–मारते दौड़ाते हुए मीरा बंछोर के घर के सामने स्थित चबूतरे में ले गया, वहां उसे ले जाकर पटक दिया तथा वहां मौजूद मीरा बंछोर पर यह आरोप लगाते हुए कि वह नेता है और आनंदराम और रत्ना आदि को बचाता है, अब वह उसे भी जान से मारेगा, अभियुक्त ने उस पर भी चाकू से अनेकों प्रहार किए तथा उसे आहत दशा में छोड़कर पीछे स्थित कोठार की ओर गया, जहां मीरा बंछोर का पति छन्नू बंछोर धान साफ कराने का कार्य करा रहा था, वहां पर भी अभियुक्त ने छन्नू बंछोर के गले एवं अन्य स्थान पर चाकू से प्रहार किए । तदुपरांत पुनः छन्नू बंछोर के घर के पास संयोगवश वहां पहुंचे गेंदलाल वर्मा, जो कि छन्नू बंछोर के घर के दरवाजे के पास फैले खून को देख रहा था, अभियुक्त ने झूठी गवाही बनने के लिए आया है कहकर गेंदलाल वर्मा के पेट में भी चाकू

मारा, जिससे उसका पेट कट गया, अतड़ी बाहर निकल गई, छोटी आंत और बड़ी आंत में अनेकों जगह छेद हो गये तथा उसके उपरान्त अभियुक्त रामस्वरुप के घर में चाकू लेकर गया और वहां मौजूद अनूप साहू (अ.सा.नं. 2) से रामस्वरुप के बारे में पूछा, उसके कहने पर कि वह घर में नहीं है, बाजार गया है, चाकू को जेब में रखकर यह कहते हुए चला गया कि 20 साल के लिए जेल जाऊंगा और वहां से आने के बाद भी रामस्वरुप को जान से मारुंगा ।

74. उसके पश्चात् अभियुक्त ने अ.सा.नं.22 तोशन साहू, जो कि रामस्वरुप साहू का पुत्र है, से भी उसके पिता के बारे में पूछा कि वह कहां है, उसने बताया कि वह बाजार गया है, तब अभियुक्त ने कहा था कि वह उसके पिता को भी ले जाकर मारेगा । उसके पश्चात् अभियुक्त इस साक्षी के घर के पास खड़ा था, उसके हाथ में चाकू था, खून लगा हुआ था और कह रहा था कि जब तक पुलिस नहीं आयेगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अभियोजन प्क्ष के अनुसार अ.सा.नं.11 श्रीमती दुर्गा बाई ने जब अपनी बहू मीरा बंछोर को अभियुक्त व्दारा चाकू से मारने से मना किया तो अभियुक्त ने उससे भी कहा था कि उसे तो फांसी में लटकना ही है । अभियोजन साक्षियों के कथनों के अनुसार एक–डेढ़ घंटे तक अभियुक्त इस प्रकार घूम–घूम कर घटनायें करता रहा, अन्य वांछित लोगों की तलाश करते रहा, अभियुक्त लगभग 45–46 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति है, उसके बावजूद उसने 04 इंच लम्बे फल के चाकू, जिसकी मूठ साढ़े चार इंच लम्बी थी तथा चौड़ाई एक इंच थी, इस लघु सरीखे हथियार से 03 लोगों की हत्या कर 03 अन्य को प्राणान्तक उपहतियां कारित करने के प्रकाश में कुल मिलाकर दर्जनों प्रहार इन सभी 06 लोगों के शरीर में किया तथा इसके अतिरिक्त भी अनेकों ऐसे प्रहार किये होंगे जो लक्ष्य चूक जाने के कारण अथवा संबंधित व्यक्ति व्दारा अपना बचाव कर लिये जाने के कारण वह उन संबंधितों के शरीर में प्रहार न कर पाया हो । इस प्रकार संभवतः कई दर्जन वास्तविक प्रहार और यत्न के प्रहार अभियुक्त ने इस अधेड़ अवस्था उम्र में लगभग एक–डेढ़ घंटे के समग्र घटनाकम के दौरान किये थे, जो यह दर्शाते हैं कि अभियुक्त ने शांत मस्तिष्क से योजना बनाकर अपने शिकार के नाम चिन्हित किये और उन्हें चुन कर वह योजना के अनुसार उन पर प्रहार कर उनकी हत्या अथवा

हत्या करने का प्रयत्न करता रहा तथा वह इस बिन्दु पर स्पष्ट मत का था कि वह उन्हें नहीं छोड़ेगा और अन्य कथित रामस्वरुप नामक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ेगा, भले ही वह 20 वर्ष बाद लौटे, वह उसे जान से मारेगा, तथा अभियुक्त ऐसे घटनाकम में अंतिम चिंतन को भी व्यक्त कर रहा था, जो यह दर्शाता है कि अभियुक्त के कृत्यों के बाबत् उसे कोई पश्चाताप नहीं था। वह सुधरने के अयोग्य है, समाज में रहने के योग्य नहीं है । अतः उसे निर्मल सिंह एवं अन्य के प्रकरण में प्रतिपादित अनुसार एवं अन्य संदर्भित न्याय दृष्टान्तों में प्रतिपादित अनुसार विरल से विरलतम प्रकरण मानकर मृत्यु–दण्ड से दंडित किया जावे ।

75. बचाव पक्ष का निवेदन है कि अभियुक्त 46 वर्षीय व्यक्ति है, प्रथम अपराधी है, पूर्व दोषसिध्द नहीं है, समग्रतः उसके व्दारा किये गये कृत्य को देखते हुए उसे अन्य वैकल्पिक दण्ड से दंडित किया जावे ।

76. इस पर समग्र प्रकरण का अवलोकन किया गया । समग्र प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि, सभी 03 मृतकों एवं 03 आहतों के शरीर पर कुल 28 कटे हुए एवं घोंपे हुए प्रहार तेज धारदार हथियार से किये गये थे । सभी प्रहार मुख्यतः शरीर के मार्मिक अंगों गर्दन, सिर, पीठ, छाती, पेट, चेहरे आदि पर किये गये थे । अनेकों प्रहार इतने शक्तिशाली थे कि एक ही प्रहार से पेट में बड़ी आंत और छोटी आंत अनेकों स्थान पर कट गये थे । हत्या एवं हत्या करने का प्रयत्न करने के लिए उक्त प्रहार पहुंचाये गये थे । शरीर के मार्मिक अंगों को उन प्रहारों ने प्रभावित किया था । सभी प्रहारों की संख्या, उनके प्रहार करने की जगह, अभियुक्त की मानसिकता को दर्शाती है । इसके अतिरिक्त स्वाभाविक तौर पर अनेकों ऐसे प्रहार भी रहे होंगे, जो उत्तेजनावश किये गये हों, अथवा संबंधितों व्दारा अपना बचाव करने के कारण उनके शरीर पर न लग पाये हों, उसका निशाना चूक गया हो । इस प्रकार यह दर्शाता है कि अभियुक्त ने इन सभी 06 लोगों पर कई दर्जनों प्रहार किये तथा अनेकों अन्य प्रहार उनके शरीर में लग नहीं सके । यह सब दर्शाता है कि अभियुक्त का आशय उनकी हत्या करने का ही था । इसीलिए अभियुक्त ने जिन्हें मारना था उन्हें ही चुन कर मारा । अभियुक्त ने दुर्गा बंछोर, सुखदेव, जयलाल, अनूप साहू, तोशन साहू, रोशन उर्फ सोनू साहू, बसन्ता बाई आदि को उपलब्ध होने के बाद भी नहीं

मारा, जो यह दर्शाता है कि अभियुक्त ने योजना बनाकर यह कृत्य किया है। इस कृत्य हेतु अभियुक्त के पास कोई उत्तरदायी कारण मौजूद नहीं है। न्यायालय के मत में अभियोजन व्दारा किया गया निवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है । चुन कर चाकू सरीखे लघु हथियार के जरिए काफी मात्रा में श्रमसाध्य कृत्य अर्थात् दर्जनों प्रहार जीवित इंसानों पर शक्ति और मानसिकता के साथ किये गये थे । अभियुक्त का समग्र कृत्य दर्शाता है कि उसका यह कृत्य विरल से विरलतम है, उसमें सुधार नहीं लाया जा सकता। अतः प्रस्तुत माननीय न्याय दृष्टान्त निर्मल सिंह एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य माननीय न्याय दृष्टान्त में प्रतिपादित न्यायिक सिध्दान्त इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष का समर्थन करते हैं कि यह विरल से विरलतम मामला है ।

77. अभियुक्त ने बर्बरता की आखिरी सीमा तक जाकर दयाहीनता के साथ यह कृत्य किया है । अतः इसे अपवादों में अपवादात्मक श्रेणी का अपराध मानते हुए अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा आत्मज स्व. कामता प्रसाद वर्मा, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी–ग्राम बोरिद, थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ. ग) को **धारा 450 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 05 वर्ष** (अक्षरी पांच वर्ष) के **सश्रम कारावास** एवं **1,000/– रुपये** (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, **धारा 506(2) भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 05 वर्ष** (अक्षरी पांच वर्ष) के **सश्रम कारावास** एवं **1,000/– रुपये** (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, **श्रीमती मीरा बंछोर** की हत्या करने का प्रयत्न करने के संबंध में **धारा 307** भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत **10 वर्ष** (अक्षरी दस वर्ष) के **सश्रम कारावास** एवं **5,000/–रुपये** (अक्षरी पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, **छन्नू बंछोर** की हत्या करने का प्रयत्न करने के संबंध में **धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता** के अंतर्गत **10 वर्ष** (अक्षरी दस वर्ष) के **सश्रम कारावास** एवं **5,000/–रुपये** (अक्षरी पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, **गेंदलाल वर्मा** की हत्या करने का प्रयत्न करने के संबंध में **धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता** के अंतर्गत **10 वर्ष** (अक्षरी दस वर्ष) के **सश्रम कारावास** एवं

5,000/–रुपये (अक्षरी पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा **आनंद राम साहू** की हत्या करने के संबंध में **धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता** के अंतर्गत **मृत्यु–दण्ड** एवं **5,000/–रुपये** (अक्षरी पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर सुसंगत स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, **श्रीमती रत्ना साहू** की हत्या करने के संबंध में **धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता** के अंतर्गत **मृत्यु–दण्ड** एवं **5,000/–रुपये** (अक्षरी पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर सुसंगत स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं **श्रीमती फिरंतीन बाई** की हत्या करने के संबंध में **धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता** के अंतर्गत **मृत्यु–दण्ड** एवं **5,000/–रुपये** (अक्षरी पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर सुसंगत स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, से दंडित किया जाता है ।

78. चूंकि जीवन एक ही है तथा मृत्यु–दण्ड संख्या में ज्यादा होने पर भी एक साथ निष्पादित होंगे, तथा ऐसे मृत्यु–दण्ड के समग्रतः एक साथ निष्पादित होने की दशा में अन्य अधिरोपित सश्रम कारावास के दण्ड भी उक्त समग्रतः निष्पादित मृत्यु–दण्ड में विधि अनुसार स्वयंमेव समाहित होंगे, चूंकि मृत्यु–दण्ड के निष्पादन उपरान्त अन्य दण्डादिष्ट धाराओं में अधिरोपित कारावास के दण्ड को स्वाभाविक रुप से भुगताया जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए समग्र रुप से अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा आत्मज स्व. कामता प्रसाद वर्मा, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी–ग्राम बोरिद, थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग) को **मृत्यु–दण्ड** से दंडित किया जाता है **और आदेशित** किया जाता है कि, अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा आत्मज स्व. कामता प्रसाद वर्मा को गर्दन में **फांसी लगाकर तब तक लटकाया जावे, जब तक कि उसका प्राणान्त न हो जाए ।**

79. अधिरोपित सभी कारावासीय सजायें भुगताए जाने की दशा में साथ–साथ चलेंगी ।

80. अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा इस प्रकरण में गिरफ्तारी दिनांक 21–10–2011 से लगातार निर्णय दिनांक तक अभिरक्षा में रहा है, इस अवधि के बाबत् प्रमाण–पत्र सम्यक रुप से जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार,

दुर्ग (छत्तीसगढ़) की ओर प्रेषित किया जावे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अभिरक्षा अवधि बाबत् समग्र संबंधितों को उचित उपयोग हेतु अवगत किया जा सके ।

81. अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा आत्मज स्व. कामता प्रसाद वर्मा को अंतर्गत धारा 366 उपधारा 02 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत निर्धारित रुप से फार्म कमांक 40 के अंतर्गत वारंट के साथ जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, दुर्ग (छत्तीसगढ़) की ओर विधि अनुसार अग्र कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे । साथ ही अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा आत्मज स्वर्गीय कामता प्रसाद वर्मा को इस निर्णय एवं दण्डादेश के व्दारा दंडादिष्ट किये गये समस्त दण्डादेशों का उल्लेख करते हुए एक ज्ञापन भी संलग्न कर प्रेषित किया जावे, ताकि उक्त का सम्यक उपयोग एवं निष्पादन विधि अनुसार किया जा सके ।

82. अभियुक्त छन्नूलाल वर्मा आत्मज स्व. कामता प्रसाद वर्मा को निर्णय की एक सत्य प्रतिलिपि तत्काल प्रदान की जावे । निर्णय की एक अतिरिक्त सत्य प्रतिलिपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रकाश में आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त रुप में अभियुक्त के हित रक्षा हेतु जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, दुर्ग (छत्तीसगढ़) की ओर प्रेषित की जावे ।

83. निर्णय की एक अन्य सत्य प्रतिलिपि तत्काल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छत्तीसगढ़) की ओर प्रेषित की जावे । निर्णय की एक अन्य सत्य प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं नस्ती संधारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लोक अभियोजक, दुर्ग (छत्तीसगढ़) को दी जावे ।

84. प्रकरण में जब्तशुदा सम्पत्ति चाकू, खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, कपड़े एवं अन्य को मूल्यहीन और अनुपयोगी होने के कारण अपील अवधि बीतने के और दो माह उपरान्त अपील न होने पर नष्ट कर दी जावें। यदि अपील हो और माननीय अपीलीय न्यायालय का अन्यथा आदेश हो तो उक्त अनुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे ।

सत्र न्यायाधीश दुर्ग (छ.ग.)

85. अभियुक्त को यह सूचित किया जाता है कि, इस दोषसिध्दि के विरुध्द अपील की अवधि 30 दिन (अक्षरी तीस दिन) की है, यदि वह चाहे तो माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.) में प्रत्येक

दण्डादेश के विरुध्द 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करे ।

86. प्रकरण को धारा 366 उपधारा 01 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत तत्काल व्यवस्थित कर प्रकरण की समग्र कार्यवाहियां माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर व्दारा रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.) के, आवश्यक अग्र कार्यवाही हेतु, जैसा कि दण्ड प्रकिया संहिता के अध्याय 28 में उल्लिखित है, सादर प्रस्तुत की जावे तथा दण्डादेश की पुष्टि हेतु निवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.) के समक्ष रखा जावे ।

स्थानः दुर्ग (छत्तीसगढ़)
दिनांक 25 जून 2013.

(सी.बी.बाजपेयी)
सत्र न्यायाधीश, दुर्ग
(छत्तीसगढ़)
25/6/13